दिल्ली विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका

विधान चेतना | VIDHAN CHETNA

वर्ष 1, अंक 1 (प्रवेशांक) फरवरी-अप्रैल, 2026 ई. माघ-वैशाख 2083 विक्रमी

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

भारत की माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को कॉफ़ी-टेबल बुक 'शताब्दी-यात्रा' भेंट करते हुए
दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता (राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली, 30.3.2026)

॥ समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् ॥ (ऋग्वेद, 10.191.3)

विधान चेतना | VIDHAN CHETNA

दिल्ली विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष 1, अंक 1 (प्रवेशांक) फरवरी-अप्रैल, 2026 ई. माघ-वैशाख 2083 विक्रमी

संरक्षक

श्री विजेन्द्र गुप्ता

अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा

मुख्य सम्पादक

रंजीत सिंह

सचिव, दिल्ली विधान सभा

सम्पादक

गुंजन अग्रवाल

प्रबन्ध सम्पादक

कांचन आज़ाद

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

विधान चेतना | VIDHAN CHETNA

प्रकाशक

गोल्डी शर्मा

निदेशक, विधायी अध्ययन ब्यूरो

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, महात्मा गांधी रोड, सिविल लाइन, दिल्ली-110054

ई-मेल : editor.vidhanchetana@gmail.com

वेबसाइट : delhiassembly.delhi.gov.in

ट्वीटर/X : DelhiAssembly

यूट्यूब : DelhiAssemblyTelevision

फेसबुक : dvsdelhi

© सर्वाधिकार : दिल्ली विधान सभा सचिवालय

इस पत्रिका में प्रयुक्त सभी चित्र तथा लिखित सामग्री दिल्ली विधान सभा की सम्पत्ति है तथा लिखित अनुमति के बिना इसके किसी भी भाग को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से (इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक–फ़ोटोकॉपी) पुनर्प्रस्तुत या प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

आवरण एवं पृष्ठ-सज्जा : समरजीत

प्रशासनिक सहयोग : विनीत कुमार, मुकेश चंद शर्मा, गुरिन्दर सिंह, शैलेन्द्र छाबड़ा

सम्पादन-सहयोग : लावण्या राठी, मुदित गोस्वामी

तकनीकी सहयोग : सी. वेलमुरुगन, महेन्द्र गुप्ता, रविन्द्र वलेचा, शुभम कुशवाहा, अम्बुज मिश्रा, दीपिका सेठिया, दिवांशी

छायाकार : अजय कुमार, यश कौशिक

अस्वीकरण : 'विधान-चेतना' में प्रकाशित लेखों में प्रतिपादित विचारों और तथ्यों का उत्तरदायित्व लेखकों का है और उनसे सम्पादक तथा प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्ली-स्थित सक्षम न्यायालयों और मंचों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

Disclaimer : The views expressed and facts presented in the articles published in '*Vidhan-Chetana*' are solely those of the respective authors; the Editor and Publisher are not necessarily in agreement with them. All disputes shall be subject to the jurisdiction of the competent courts and forums situated in Delhi.

स्वत्त्वाधिकारी **दिल्ली विधान सभा के विधायी अध्ययन ब्यूरो** के लिए प्रकाशक **गोल्डी शर्मा** द्वारा **दिल्ली विधान सभा सचिवालय**, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 से प्रकाशित एवं **जे.के. प्रिण्ट एण्ड पैक, 42ए/28, कार मार्केट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095** से मुद्रित। सम्पादक : गुंजन अग्रवाल।

सत्यमेव जयते

अध्यक्ष, लोक सभा
SPEAKER, LOK SABHA
INDIA

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि दिल्ली विधान सभा द्वारा त्रैमासिक पत्रिका विधान-चेतना' का शुभारंभ किया जा रहा है।

लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था में विधान मंडल केवल विधि-निर्माण का मंच मात्र नहीं होते, अपितु वह जनभावनाओं की अभिव्यक्ति, नीतिगत विमर्श, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण का सशक्त माध्यम भी होते हैं। इनकी कार्यवाही, समितियों की अनुशंसाएँ, विधायी प्रक्रियाएँ तथा नीतिगत चर्चाएँ प्रत्यक्ष रूप से जनसरोकारों से जुड़ी होती हैं और लोकतांत्रिक शासन की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करती हैं।

पत्र-पत्रिकाएँ न केवल नागरिकों को संसदीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली, विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं तथा जनहित से जुड़े निर्णयों की सम्यक् एवं प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराती हैं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना के विस्तार, संवैधानिक मूल्यों के प्रसार तथा जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। इस दृष्टि से दिल्ली विधान सभा द्वारा 'विधान-चेतना' जैसी पत्रिका का प्रकाशन लोकतांत्रिक मूल्यों को जनसामान्य तक पहुँचाने की दिशा में एक दूरदर्शी, समयानुकूल एवं अत्यंत सार्थक पहल है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनविश्वास, पारदर्शिता तथा नागरिक सहभागिता को सुदृढ़ करने का यह प्रयास निःसंदेह अत्यंत सराहनीय, प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय है।

मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका अपने शोधपरक एवं विवेचनात्मक लेखों, संसदीय आलेखों तथा विधायी विषयों पर आधारित प्रामाणिक सामग्री के माध्यम से दिल्ली विधान सभा जैसी महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था के प्रति जनविश्वास को और अधिक सुदृढ़ करेगी। साथ ही, यह स्वस्थ एवं रचनात्मक लोकतांत्रिक विमर्श को नई दिशा प्रदान करते हुए नागरिकों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के मध्य संवाद का प्रभावी सेतु सिद्ध होगी।

मैं दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री विजेन्द्र गुप्ता जी को इस अभिनव, जनोन्मुखी एवं दूरदर्शी पहल के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ तथा 'विधान-चेतना' पत्रिका के सफल, प्रभावी एवं निर्बाध प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(ओम बिरला)

लेखकों से निवेदन

'विधान-चेतना' दिल्ली विधान सभा की त्रैमासिक पत्रिका है। इसमें विधान सभा गतिविधियों के साथ-साथ उच्च कोटि के अनुसन्धानात्मक निबन्ध प्रकाशित किए जाते हैं। लेख प्रेषित करने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :

- कृपया हिंदी अथवा अंग्रेज़ी में लिखित अपना मौलिक, अप्रकाशित, अप्रसारित, टंकित निबन्ध भेजें। आपका लेख पहले से वेब पर किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग आदि में प्रकाशित नहीं होना चाहिये। निबन्ध के शीर्षक के ऊपर 'मौलिक एवम् अप्रकाशित' अवश्य लिखें।
- 'विधान-चेतना' के लिए भेजे जानेवाले निबन्ध 1,500 शब्दों से कम न हों, अधिकतम शब्द सीमा 5,000 है। 'व्यक्तित्व' स्तम्भ के लिए भेजे जानेवाला लेख 3,000 शब्दों से अधिक का न हो।
- कृपया अपने लेख में 'सन्दर्भ' अंकित करने के मानकों का पालन करें। सन्दर्भ देते समय पुस्तक/पत्रिका का नाम, लेखक/सम्पादक का नाम, प्रकाशक का नाम-स्थान, प्रकाशन-वर्ष का उल्लेख होना आवश्यक है।
- पत्रिका के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपके लेख का शीर्षक बदलने, वाक्यांशों, अनुच्छेदों में परिवर्तन करने अथवा इसमें सम्पादन करने का अधिकार सम्पादक के पास है।
- आपके शोध-निबन्ध को पत्रिका में प्रकाशित करने या न करने के बारे में अन्तिम निर्णय सम्पादक-मण्डल का ही होगा। स्वीकृत रचनाओं के प्रकाशन में एक से तीन अंकों तक का समय लग सकता है। अस्वीकृत रचनाओं के विषय में पत्र-व्यवहार नहीं किया जाता।
- कृपया अपना निबन्ध यथासम्भव टंकित करके **सचिव, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, महात्मा गांधी रोड, सिविल लाइन, दिल्ली-110054** के पते पर अथवा **editor.vidhanchetana@gmail.com** पर ई-मेल करें। सॉफ़्ट कॉपी में लेख यूनिकोड अथवा 'कृतिदेव 010' फॉण्ट में टंकित होना चाहिए।
- कहानी, लघुकथा, कविताएँ, प्रहसन, प्रेरक-प्रसंग, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य, आत्मकथा, डायरी, आलोचना, यात्रा-वृत्तान्त न भेजें। समीक्षार्थ पुस्तक की 2 प्रतियाँ भेजना आवश्यक है।
- प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय की व्यवस्था है। अतः लेख के साथ अपना बैंक खाता विवरण अवश्य भेजें।
- प्रथम बार लेख भेजनेवाले लेखक कृपया अपना संक्षिप्त परिचय, पूरा पता एवं चित्र भी संलग्न करें।

इस अंक में

संदेश	श्री ओम बिरला	5
अध्यक्ष की कलम से	श्री विजेन्द्र गुप्ता	9
सचिव की कलम से	श्री रंजीत सिंह	11
सम्पादकीय	गुंजन अग्रवाल	12

मंथन

1. **भारत के संसद व विधान मण्डलों के विशेषाधिकार (Privileges) एवम् उन्मुक्तियाँ (Imunities)**
   एड. अशोक मेहता 13
2. **संसदीय लोकतंत्र की आत्मा और उसके मूल मूल्य : राज्य विधान सभाओं में विमर्श, प्रतिनिधित्व और नैतिक उत्तरदायित्व**
   डॉ. सतीश कुमार सिंह 22
3. **एक वर्ष का संकल्प, परिवर्तन का विस्तार : दिल्ली विधान सभा में आधुनिकता, पारदर्शिता और जन-केंद्रित शासन का नया अध्याय**
   कांचन आज़ाद 27
4. **सशक्त संसदीय लोकतंत्र : समन्वय, नवाचार और नागरिक सहभागिता की दिशा में भारत की यात्रा**
   प्रवेश साहिब सिंह 32
5. **शासन, प्रशासन एवं लोकनीति**
   मनोज कुमार शौकीन 34
6. **The Architecture of Accountability : Making the Case for the National Legislative Index**
   Lavanya Rathi 36
7. **From Information to Insight : AI and MLALAD Spending in Delhi**
   Deepika Sethia 39
8. **दिल्ली विधान सभा : सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता और आधुनिक लोकतंत्र की नई मिसाल**
   दिवांशी 43

सदन-पटल

9. नीतियों से प्रगति तक-8वीं दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 2026, सुशासन और वित्तीय अनुशासन का प्रतिबिंब 47

10. विधायी सक्रियता का प्रतीक-8वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय 50

विधान-दर्पण

अतिथिदेवो भव

अध्यक्ष-गतिविधि

11. 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में दिया गया सम्बोधन 80

12. रॉलेट सत्याग्रह की वर्षगाँठ पर टाउन हॉल (चाँदनी चौक, दिल्ली) के समक्ष दिया गया सम्बोधन 86

13. 'न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर' चैनल के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया साक्षात्कार 90

विधान-परिदृश्य

अतीत-झरोखा

14. रॉलेट एक्ट : ब्रिटिश विश्वासघात और भारत का जागरण
मुदित गोस्वामी 102

विधान-विभूति

15. केन्द्रीय विधान सभा में लाला लाजपत राय
मुदित मित्तल 111

दिल्ली विधान सभा : सदस्य-परिचय

अध्यक्ष की कलम से

लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परम्पराओं और जनभागीदारी का अभिनव संवाद

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति उसकी विधायी संस्थाओं की सक्रियता, पारदर्शिता तथा जनसरोकारों से जुड़े रहने में निहित होती है। दिल्ली विधान सभा इसी लोकतांत्रिक चेतना की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि दिल्ली विधान सभा द्वारा त्रैमासिक पत्रिका 'विधान-चेतना' का शुभारम्भ किया गया है। यह केवल एक पत्रिका नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श, संसदीय ज्ञान, शोध, नवाचार और जन-जागरण का एक सृजनात्मक मंच है।

'विधान-चेतना' का यह प्रवेशांक ऐसे समय प्रकाशित हो रहा है जब लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जन-अपेक्षाएँ निरंतर बढ़ रही हैं। आज आवश्यकता केवल विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं है, अपितु लोकतंत्र को अधिक सहभागी, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की भी है। मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका विद्यार्थियों, शोधार्थियों, विधि एवं संसदीय विषयों के अध्येताओं, जनप्रतिनिधियों तथा जागरूक नागरिकों के लिए उपयोगी सन्दर्भ-सामग्री सिद्ध होगी।

दिल्ली विधान सभा एक विधायी संस्था होने के साथ-साथ भारत के संसदीय इतिहास की अमूल्य विरासत भी है। सन् 1912 में 'इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट' के रूप में स्थापित यह वही ऐतिहासिक भवन है, जहाँ सन् 1913 से 1920 तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल (शाही विधान परिषद्) की 167 तथा 1921 से 1926 तक सेण्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली (केन्द्रीय विधान सभा) की 340 बैठकें संचालित हुईं। इस प्रकार इस भवन ने देश की अनेक महत्त्वपूर्ण संसदीय घटनाओं को साक्षी रूप में देखा है। इस गौरवशाली विरासत का संरक्षण और संवर्धन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। दिल्ली विधान सभा द्वारा इस भवन की ऐतिहासिक गरिमा, स्थापत्य-विशेषताओं तथा संसदीय धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आनेवाली पीढ़ियाँ भी इस लोकतांत्रिक विरासत से प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

मुझे विशेष संतोष है कि दिल्ली विधान सभा संसदीय इतिहास से जुड़े शोध को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य कर रही है। गत वर्ष 24 और 25 अगस्त को दिल्ली विधान सभा सदन में वीर विट्ठलभाई पटेल जी के केन्द्रीय विधान सभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित होने का शताब्दी-समारोह पूरी भव्यता से आयोजित किया गया है। इसी श्रृंखला में संसद एवं संसदीय परम्पराओं के शतवर्षीय इतिहास को समर्पित कॉफ़ी-टेबल बुक 'शताब्दी-यात्रा' का हिंदी एवम् अंग्रेज़ी भाषाओं में प्रकाशन भी दिल्ली विधान सभा की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। देशभर के विद्वानों, पत्रकारों, संसदीय विशेषज्ञों और पाठकों द्वारा इस ग्रंथ को सराहा गया है। यह कृति भारतीय लोकतंत्र की विकास-यात्रा, संसदीय परम्पराओं और राष्ट्रीय जीवन के महत्त्वपूर्ण पड़ावों का एक जीवन्त दस्तावेज़ है।

दिल्ली विधान सभा सचिवालय द्वारा सन् 1924 से 1930 तक की केन्द्रीय विधान सभा की

कार्यवाहियों का 89 जिल्दों में पुनर्प्रकाशन किया गया है। इसी प्रकार सचिवालय द्वारा शाही विधान परिषद् तथा केन्द्रीय विधान सभा के लगभग 50 राष्ट्रवादी सदस्यों के भाषणों के प्रामाणिक संकलन और प्रकाशन की महती परियोजना प्रारम्भ की गई है। ये सभी कार्य ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के पुनर्संरक्षण के साथ-साथ भारत की संसदीय परम्पराओं को नयी पीढ़ी तक पहुँचाने के हमारे प्रयास का हिस्सा हैं। लोकतंत्र तभी सुदृढ़ होता है, जब उसकी संस्थाएँ अपने इतिहास से संवाद बनाए रखती हैं।

आज का युग तकनीक और नवाचार का युग है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी समय के साथ आधुनिक बनना आवश्यक है। मुझे गर्व है कि दिल्ली विधान सभा ने अत्यंत कम समय में पूर्णतः पेपरलेस विधान सभा बनने की दिशा में प्रभावी उपलब्धि प्राप्त की है। 'नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा)' के सफल कार्यान्वयन ने विधायी कार्य-प्रणाली को अधिक पारदर्शी, दक्ष और पर्यावरण-अनुकूल बनाया है। डिज़िटल माध्यमों के प्रयोग से न केवल समय और संसाधनों की बचत हो रही है, बल्कि कार्यवाही की सुगमता एवम् उपलब्धता भी बढ़ी है।

प्रकृति-संरक्षण और सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी इसी सोच का हिस्सा है। दिल्ली विधान सभा परिसर में सोलर ऊर्जा के उपयोग द्वारा विद्युत-संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हरित ऊर्जा का यह प्रयोग पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का प्रतीक है और भविष्य की टिकाऊ शासन-व्यवस्था की ओर एक प्रेरक पहल भी। इसके साथ ही, विधायी कार्यप्रणालियों को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस) के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। शोध, दस्तावेज़-प्रबंधन, सन्दर्भ-सामग्री के त्वरित विश्लेषण तथा ज्ञान-साझाकरण जैसे क्षेत्रों में एआई की उपयोगिता लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक सक्षम बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। हमारा प्रयास है कि तकनीक का उपयोग मानवीय मूल्यों, संवैधानिक आदर्शों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप हो।

लोकतंत्र की शक्ति केवल सदनों की कार्यवाही में नहीं, बल्कि नागरिकों की जागरूक भागीदारी में निहित होती है। इसी उद्देश्य से हम दिल्ली विधान सभा में नियमित रूप से युवा-संवाद, शैक्षिक भ्रमण, संसदीय कार्यशालाएँ, शोधपरक गतिविधियाँ तथा जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। दिल्ली के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को शैक्षिक भ्रमण हेतु दिल्ली विधान सभा में आमन्त्रित किया जा रहा है।

'विधान-चेतना' इसी लोकतांत्रिक जागरण की एक सशक्त कड़ी है। यह पत्रिका केवल दिल्ली विधान सभा की उपलब्धियों का दस्तावेज़ न होकर विचारों, मूल्यों, शोध और जनसंवाद का एक जीवंत मंच बने—यही मेरी कामना है। मुझे विश्वास है कि यह प्रयास लोकतांत्रिक परम्पराओं को नयी ऊर्जा प्रदान करेगा तथा समाज में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

'विधान-चेतना' के प्रवेशांक के प्रकाशन से जुड़े सभी सम्पादकीय सहयोगियों, विधान सभा के अधिकारियों, शोधकर्ताओं तथा रचनाकारों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। आशा है कि 'विधान-चेतना' आनेवाले समय में लोकतांत्रिक विमर्श की एक प्रतिष्ठित और प्रेरणादायी पत्रिका के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगी।

(विजेन्द्र गुप्ता)

सचिव की कलम से

लोकतंत्र, संवाद और जन-जागरण की चेतना

लोकतंत्र की मज़बूती के लिए ज्ञान-प्रसार अपरिहार्य है। जब राष्ट्र अपनी आज़ादी के अमृतकाल को पार कर विकसित भारत के संकल्प की ओर अग्रसर है, तब लोकतांत्रिक संस्थाओं को निरंतर सशक्त एवं जनप्रिय बनाना हमारी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। इसी दिशा में दिल्ली विधान सभा सचिवालय के विधायी अध्ययन ब्यूरो द्वारा त्रैमासिक पत्रिका 'विधान-चेतना' का शुभारम्भ किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239एए के अंतर्गत स्थापित दिल्ली विधान सभा जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह सदन न केवल क़ानून-निर्माण का मंच है, बल्कि शासन की ज़वाबदेही, पारदर्शिता तथा सुशासन के सिद्धान्तों को मूर्तरूप देने का भी प्रमुख माध्यम है। माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता के मार्गदर्शन में विधान सभा द्वारा संसदीय विरासत के संरक्षण, अभिलेखीय सामग्री के संवर्धन तथा लोकतांत्रिक अध्ययन को प्रोत्साहित करने की दिशा में अनेक उल्लेखनीय पहलें की जा रही हैं। यह प्रयास लोकतंत्र के प्रति हमारी संस्थागत प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है। 'विधान-चेतना' के माध्यम से हमारा प्रयास है कि दिल्ली विधान सभा की गतिविधियाँ, महत्त्वपूर्ण बहसें, अधिनियम, प्रस्ताव तथा समितियों के कार्य केवल सदन की चारदीवारी तक सीमित न रहें, अपितु प्रत्येक दिल्लीवासी तक पहुँचें।

आज के युग में सूचना का अधिकार तथा नागरिक-जागरुकता लोकतंत्र की मज़बूती के मूल स्तम्भ हैं। 'विधान-चेतना' के माध्यम से हम दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही को सरल, स्पष्ट तथा प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही इसमें विधायिका से जुड़े विषयों पर आधारित उच्च कोटि के लेखों को भी स्थान देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'विधान-चेतना' दिल्ली विधान सभा एवं जनता के बीच एक सेतु का कार्य करेगी। यह हमारे संकल्प को और मज़बूती प्रदान करेगी कि हमारा शासन पूर्णतः जनोन्मुखी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी हो। इस अवसर पर मैं सभी माननीय सदस्यों, संसदीय विशेषज्ञों, पत्रकारों तथा बुद्धिजीवियों से अपील करता हूँ कि वे इस पत्रिका को अपने सुझावों, लेखों तथा रचनात्मक योगदान से समृद्ध करें। आपका सहयोग ही इसे एक प्रभावी एवं प्रतिष्ठित प्रकाशन बनाने में सहायक होगा।

'विधान-चेतना' का यह प्रवेशांक दिल्ली विधान सभा के लोकतांत्रिक सफ़र में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। आशा है कि यह पत्रिका निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होगी और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को और प्रखर बनाएगी।

(रंजीत सिंह)

sla.delhi@gov.in

प्रबुद्ध लोकतंत्र की अभिव्यक्ति

तीस मई, 1826 को पं. युगलकिशोर शुक्ल के सम्पादकत्व में कलकत्ते से प्रकाशित देश के प्रथम हिंदी समाचार-पत्र 'उदन्त-मार्त्तण्ड' की द्विशताब्दी के अवसर पर दिल्ली विधान सभा से त्रैमासिक 'विधान-चेतना' का श्रीगणेश, उसी परम्परा का विस्तार है।

दिल्ली विधान सभा के यशस्वी अध्यक्ष माननीय विजेन्द्र गुप्ता द्वारा पुराने सचिवालय को सजाने-सँवारने और उसमें नयी ऊर्जा भरने का सतत प्रयास चल रहा है। इसी कड़ी में उनकी प्रेरणा से 'विधान-चेतना' का शुभारम्भ हुआ है जिसमें दिल्ली विधान सभा की कार्यवाहियों, विधायी निर्णयों और विभिन्न कार्यक्रमों का सचित्र विवरण मिलेगा। पाठक अपने प्रतिनिधियों के कामकाज़ को करीब से समझ सकेंगे। पत्रिका में गहन शोधपरक लेख, संसदीय इतिहास की रोचक घटनाएँ, राष्ट्रीय महत्त्व की संसदीय विभूतियों के योगदान सहित देश-दुनिया की विधायी संस्थाओं के नवाचार भी प्रकाशित होंगे।

आज सूचना की तीव्रता के इस युग में तथ्य, भाषा और दृष्टि—तीनों की विश्वसनीयता पहले से अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है। यही कारण है कि 'विधान-चेतना' उच्च सम्पादकीय मापदण्डों, शोध-गाम्भीर्य और प्रामाणिकता को अपना मूलाधार मानकर आगे बढ़ेगी। हमारा संकल्प है कि यह पत्रिका अन्य विधायी प्रकाशनों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करे; देशभर के विश्वविद्यालयों, शोध-संस्थानों और विधायी केंद्रों तक पहुँचे और संसदीय अध्ययन की एक विश्वसनीय सन्दर्भ-स्रोत बने।

इस अवसर पर मैं देशभर के रचनाकारों, लेखकों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, शिक्षाविदों और जनप्रतिनिधियों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वे 'विधान-चेतना' को अपने मौलिक एवं शोधपरक लेखों से समृद्ध करें। हम ऐसे लेखों का स्वागत करेंगे जो लोकतंत्र, संविधान, विधायिका, जन-नीति, इतिहास, सामाजिक सरोकारों और राष्ट्र-निर्माण के विविध पक्षों पर गम्भीर एवं सार्थक दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। इसके साथ ही, मैं अपने सम्मानित पाठकों से भी आग्रह करता हूँ कि वे 'विधान-चेतना' के सम्बन्ध में अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएँ और विचार हमें प्रेषित करें। आपकी प्रतिक्रियाएँ ही हमें 'विधान-चेतना' को निरन्तर बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेंगी।

जिस प्रकार 'उदन्त-मार्त्तण्ड' ने हिंदी-पत्रकारिता को विचार और अभिव्यक्ति का प्रकाश दिया था, उसी प्रकार 'विधान-चेतना' प्रबुद्ध नागरिकों को यह अनुभव कराएगी कि विधान सभाएँ बहस और क़ानून-निर्माण का मंच होने के साथ-साथ समाज की सामूहिक आकांक्षाओं और उत्तरदायित्वों का प्रतिबिम्ब होती हैं। 'विधान-चेतना' अपने प्रवेशांक से ही आपके मन-मस्तिष्क में अपना एक विशिष्ट स्थान निर्मित करेगी, संसदीय परम्पराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक चेतना को नयी ऊर्जा प्रदान करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

गुंजन अग्रवाल

(गुंजन अग्रवाल)

editor.vidhanchetana@gmail.com

भारत के संसद व विधान मण्डलों के विशेषाधिकार (Privileges) एवम् उन्मुक्तियाँ (Imunities)

एड. अशोक मेहता*

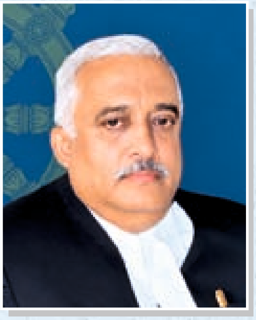

हम भारत के लोग सम्पूर्ण, प्रभुत्वसम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने के 79 वर्ष बाद, आज भी, इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ़ कॉमंस के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ, जो कि 26 जनवरी 1950 को थीं, का अनुपालन कर रहे हैं।

इंग्लिस्तान का संविधान अलिखित है। इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट स्वयं में सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न है। इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ़ कॉमंस के विशेषाधिकार पारिभाषित नहीं हैं।

हम भारत के लोग एवं संविधान सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न है। भारत का संविधान Sovereign है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194 विधान मण्डलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार के विषय में कथन करता है।

प्रत्येक राज्य का विधानमण्डल अपने सदस्य को वाक्-स्वातन्त्र्य प्रदान करता है। किसी सदस्य के द्वारा विधान मण्डल में कही गई किसी बात या दिये गये मत के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। संविधान के लागू होने के समय अनुच्छेद-194(3) के अनुसार :

अन्य बातों के लिए राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन की और ऐसे विधान मण्डल के किसी सदन के सदस्य के विशेषाधिकार एवम् उन्मुक्तियाँ विधान मण्डल द्वारा समय-समय विधि द्वारा परिनिश्चित करी जायेंगी।

जब तक विधान मण्डल द्वारा विशेषाधिकार एवम् उन्मुक्तियाँ पारिभाषित नहीं की जाती, तब तक वे ही होंगी, जो 26 जनवरी 1950 को 'इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ़ कॉमंस की तथा उसके सदस्यों एवं समितियों की थीं।'

वर्ष 1978-79 में 44वें संविधान-संशोधन द्वारा धारा 26 से संशोधन करा व अनुच्छेद-194(3) में कहा कि जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती है तब तक वही होंगी 'जो संविधान

* अपर महाधिवक्ता उत्तरप्रदेश; पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, भारत सरकार।

(44वाँ संशोधन) अधिनियम 1978 की धारा-26 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं।'

निष्कर्ष यह है कि 44वें संशोधन के प्रवृत्त होने से ठीक पहले विधान मण्डलों के वही विशेषाधिकार रहे जो 26 जनवरी 1950 को इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के थे। इसलिए हम आज भी विधान मण्डलों एवं संसद के विशेषाधिकार के विषय में इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के विशेषाधिकारों पर ही निर्भर हैं।

इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के विशेषाधिकारों पर मुख्य प्रबन्ध Erskine May's की ट्रीटीज है, जिसका नाम है *"Erskine May's Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament."* और हम आज भी विधान मण्डलों के विशेषाधिकारों के विषय में Erskine May's Treatise को ही भगवद्गीता मानते हैं।

विधायिका के विशेषाधिकार उन ख़ास अधिकारों का जोड़ है जो हर विधान मण्डल को मिलते हैं... और हर मण्डल के सदस्य को अलग-अलग, जिनके बिना वे अपना काम नहीं कर सकते, और जो दूसरी संस्थाओं या लोगों के पास मौजूद अधिकारों से ज़्यादा हैं। इस तरह प्रिविलेज, हालांकि देश के क़ानून का हिस्सा है, कुछ हद तक आम क़ानून से छूट है। इन 'ख़ास अधिकारों' को दो कैटेगरी में बाँटा जा सकता है—वे जो सदस्य को अलग-अलग मिलते हैं, और वे जो मण्डल को मिलकर मिलते हैं। हर ग्रुप को ख़ास कैटेगरी में बाँटा जा सकता है। उदाहरण के लिए, सदस्य को अलग-अलग मिलनेवाले अधिकार और इम्युनिटी को आम तौर पर इन हेडिंग्स में बाँटा जाता है :

- अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य,
- सिविल कार्रवाई में गिरफ़्तारी से छूट,
- जूरी ड्यूटी से छूट,
- गवाह के रूप में उपस्थिति से छूट

हाउस के अधिकारों और शक्तियों को कुल मिलाकर इस तरह बांटा जा सकता है :—

अनुशासन की शक्ति, अर्थात् विशेषाधिकार-उल्लंघन या अवमानना के दोषी व्यक्तियों को (कारावास द्वारा) दंडित करने का अधिकार और अपमानजनक आचरण के दोषी सदस्यों को निष्कासित करने का अधिकार

- अपने आंतरिक मामलों का विनियमन (विशेषाधिकार व इम्यूनिटी संहिता का भी विनियमन),
- अपने सदस्यों की उपस्थिति और सेवा बनाए रखने का अधिकार,
- जाँच शुरू करने, गवाहों को बुलाने तथा काग़ज़ात मांगने का अधिकार,
- गवाहों को शपथ दिलाने का अधिकार,
- अपमानजनक सामग्रीवाले पेपर प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार।

पी.वी. नरसिंह राव (1998 IV SCC 626) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के आधार पर संसद या विधान सभा का कोई भी सदस्य, जैसा भी मामला हो, क्रिमिनल कोर्ट में रिश्वत के आरोप में मुक़द्दमे से छूट का दावा कर सकता है।

इस प्रकार की छूट जो वोट डालने या बोलने के लिए रिश्वत लेनेवाले विधायक को मिलती है,

का जनहित सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय की सात जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अगर पी.वी. नरसिंह राव के निर्णय पर फिर से विचार नहीं किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ग़लती को जारी रहने देने का गम्भीर ख़तरा है।

सात जजों की संविधान पीठ ने सीता सोरेन के फ़ैसले (2024 V SCC 629) में पी.वी. नरसिंह राव के बहुमत के फ़ैसले से असहमति जताते हुए उसे ख़ारिज़ कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विधायिका के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को ख़त्म करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सीता सोरेन बनाम केन्द्र सरकार का सात जजों की संवैधानिक पीठ का निर्णय 2024, खण्ड-5, सुप्रीम कोर्ट केस, पृ. 629 में संदर्भित है।

भारत में विधायिका के विशेषाधिकार एवम् उन्मुक्तियाँ (Powers, Privileges and Immunities) के इतिहास को सीता सोरेन के निर्णय के प्रकाश में निम्न रूप में समझा जा सकता है।

भारतीय संदर्भ में, सोच-समझकर किया गया लोकतंत्र और साथ ही विधान सभाओं में बोलने की आज़ादी के ज़रूरी ख़ास अधिकार को, औपनिवेशिक शासन से आज़ादी की लड़ाई के बाद इसके इतिहास और विकास के संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। भारत इतिहास में एक उदाहरण देता है जहाँ रिप्रेज़ेंटेटिव संस्थाएँ चरणों में विकसित हुई हैं। भारत में विधान सभाओं के ख़ास अधिकार इन संस्थाओं के इतिहास से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस इतिहास का पता इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ़ कॉमन्स में पार्लियामेंट्री ख़ास अधिकारों के इतिहास के साथ-साथ औपनिवेशिक शासन के तहत इन ख़ास अधिकारों का दावा करने के लिए भारतीय विधान सभाओं के संघर्ष से लगाया जा सकता है। भारत में राजनीतिक और पार्लियामेंट्री शासन लाने के लिए औपनिवेशिक शासन के तहत जो कदम उठाए गए, वे हमेशा भारतीयों की उम्मीदों से कम रहे। इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि ब्रिटिश शासन भारतीयों की आज़ाद होने की इच्छा का विरोध कर रहा था। इसलिए, भारतीय विधान सभाओं को इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ़ कॉमन्स के बराबर ख़ास अधिकार नहीं मिले। कीली बनाम कार्सन* में, प्रिवी काउंसिल ने यह कहा था कि इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ़ कॉमन्स को पुराने रिवाज से विशेषाधिकार मिले थे और कॉलोनियल लेजिस्लेचर के पास पार्लियामेंट का कोई lex et consuetudo या पार्लियामेंट का क़ानून और रिवाज नहीं था क्योंकि उनके अधिकार एक क़ानून से निकले थे। इसका मतलब था कि कॉलोनियल शासन के तहत लेजिस्लेचर को कोई अंदरूनी अधिकार नहीं दिए गए थे।

ईस्ट इण्डिया कंपनी के राज में, सन् 1833 तक क़ानून बनाना एग्जीक्यूटिव के विशेषाधिकार क्षेत्र में था। गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया एक्ट 1833 ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया, जिसके पास ख़ास लेजिस्लेटिव शक्ति थी। हालांकि, लेजिस्लेटर्स के कामों को पूरा करने में लेजिस्लेटिव विशेषाधिकारों की ज़रूरत को दिखाते हुए, पहले लॉ मेम्बर, लॉर्ड मैकाले ने अपने ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स के जरिए शक्ति के तौर पर कुछ विशेष सुविधाएँ दिलाने की कोशिश की। इन ख़ास सुविधाओं में क़ानून के विषय पर पूरी जानकारी देना, गवर्नर-जनरल की कौन्सिल की सभी मीटिंग में मौजूद रहने का अधिकार, बोलने की आज़ादी और वोटिंग की आज़ादी शामिल थी।

* Original Citation: (1841-1842) 4 Moo PC 63
English Reports Citation: 13 E.R. 225

चार्टर एक्ट 1853 ने ग़ैर-लेजिस्लेटिव कामों में भी हाज़िरी और वोटिंग के ख़ास अधिकार बढ़ा दिये। 1833 और 1853 के एक्ट्स के तहत लेजिस्लेटिव कौन्सिल के पास अपने खुद के प्रोसीजर के नियम बनाने का अधिकार था।

इण्डियन कौन्सिल एक्ट 1861 में यह शक्ति छीन ली गई थी। लेकिन, 1861 एक्ट के सेक्शन 10 ने लेजिस्लेटिव कौन्सिल में छह से बारह नॉन-ऑफ़िशियल मेंबर शामिल किए, जो ब्रिटिश या इण्डियन हो सकते थे। इन अतिरिक्त सदस्यों की बोलने और वोट देने की आज़ादी को अंदर-ही-अंदर मान्यता दी गई थी।

गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया एक्ट 1909 ने भारत के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन्स के डेवलपमेंट में एक बड़ा बदलाव किया। इनडायरेक्टली चुने जाने के बावजूद, भारत में लेजिस्लेचर्स के भारतीय मेम्बर्स ने भारत में कॉलोनियल गवर्नेंस की सख़्ती को कमज़ोर कर दिया। ऑफ़िशियल सपोर्ट की ग़ैर-मौजूदगी में, प्रिविलेज-क़ानून के बजाय एक कन्वेंशन के तौर पर बढ़े। एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव कौन्सिल के प्रिविलेज का उल्लंघन करने की आज़ादी महसूस हुई और किसी भी हालत में यह माना कि भारत में कौन्सिल्स को इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ़ कॉमन्स जैसा कोई प्रिविलेज नहीं है।

गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया एक्ट 1919 ने लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से अलग कर दिया। सन् 1919 के एक्ट या हाउस के प्रोसीजर के नियमों में कई ख़ास अधिकार नहीं बताए गए थे। 1919 के एक्ट ने लेजिस्लेचर के हाउस को बोलने की आज़ादी का ख़ास अधिकार दिया। 1919 के एक्ट का सेक्शन 24 (7) इस तरह था :

> (7) कौन्सिल पर असर डालनेवाले नियमों और स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत, गवर्नर्स लेजिस्लेटिव कौन्सिल में बोलने की आज़ादी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी कौन्सिल में अपने भाषण या वोट की वज़ह से या किसी भी कौन्सिल की कार्यवाही की किसी ऑफ़िशियल रिपोर्ट में दी गई किसी भी बात की वज़ह से किसी भी कोर्ट में किसी भी कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

एक्ट के सेक्शन 11(7) में प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौन्सिल के संबंध में एक ऐसा ही प्रावधान किया गया था। 1919 एक्ट ने भारतीय लेजिस्लेचर को बोलने की आज़ादी देने का प्रावधान नहीं किया, बल्कि इसका मकसद हाउस में बोलने की आज़ादी पर रोक लगाना था। इन पाबंदियों ने लेजिस्लेचर की पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दों पर चर्चा करने और क़ानून लाने की क्षमता में काफ़ी रुकावट डाली। हालांकि, एक्ट ने लेजिस्लेचर को अपने प्रिविलेज को डिफ़ाइन करने की शक्ति दी।

सन् 1919 के अधिनियम के प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 28(1) में सार रूप से बरकरार रखा गया। धारा 28(1) इस प्रकार है :–

> (1) इस एक्ट के नियमों और फेडरल लेजिस्लेचर की प्रक्रिया को रेगुलेट करनेवाले नियमों और स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत, लेजिस्लेचर में बोलने की आज़ादी होगी और लेजिस्लेचर का कोई भी सदस्य लेजिस्लेचर या उसकी किसी कमेटी में कही गई किसी बात या दिए गए किसी वोट के लिए किसी भी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं चलाएगा और कोई भी व्यक्ति लेजिस्लेचर के किसी भी चैम्बर के अधिकार से

या उसके तहत किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्रवाई के पब्लिकेशन के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

सन् 1935 के एक्ट के सेक्शन 71(1) में प्रान्तीय लेजिस्लेचर के बारे में ऐसा ही एक प्रावधान किया गया था। हाउस को कार्यवाही चलाने के लिए नियम बनाने का अधिकार था। लेकिन, उन्हें हमेशा गवर्नर-जनरल द्वारा हाउस के लिए बनाए गए नियमों के आगे झुकना पड़ता था। भारत में लेजिस्लेटरों ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की जड़ें जमा ली थीं, जिसमें भारतीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित एडजस्टमेंट के साथ इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ़ कॉमन्स के बराबरी की मांग की गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत में लेजिस्लेटरों को लगता था कि इन विशेषाधिकारों के न होने पर उनके लेजिस्लेटिव कामों पर बुरा असर पड़ेगा। लेजिस्लेटरों की मांगों में ख़ास थी–हाउस की अवमानना के लिए सज़ा देने का अधिकार, हाउस के मामलों में चेयर का सुप्रीमेसी और बोलने की आज़ादी और गिरफ़्तारी से आज़ादी ताकि सदस्य कार्यवाही में हिस्सा ले सकें और अपने काम कर सकें।

किसी भी समय इन ख़ास अधिकारों की मांग क्रिमिनल लॉ से पूरी तरह छूट के तौर पर नहीं की गई थी। कॉलोनियल हिचकिचाहट के बावजूद, भारत में पार्लियामेंट्री ख़ास अधिकारों की मांग हमेशा उस रिश्ते से जुड़ी रही जो भारतीय लेजिस्लेटर के कामों से जुड़ा था।

यह बैकग्राउंड तब था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट संविधान के आर्टिकल 85 और 169 के भविष्य का फ़ैसला कर रही थी, जो बाद में संविधान के आर्टिकल 105 और 194 बन गये। संविधान बनानेवालों का इरादा था कि संविधान एक 'मॉडनाइजिंग' शक्ति बने। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस मॉडर्नाइजिंग असर का पहला लेवल था, जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। इसलिए, संविधान का जन्म आदर्शवाद और आज़ादी की लड़ाई से पैदा हुए मकसद की ताकत के माहौल में हुआ। बनानेवालों का इरादा एक ऐसा संविधान बनाने का था जो एक मॉडर्न भारत का रास्ता दिखाये।

जब संविधान सभा ड्राफ्ट संविधान के आर्टिकल 85 पर चर्चा करने के लिए बैठी, तो श्री एच.वी. कामथ ने संविधान के लागू होने से ठीक पहले इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ़ कॉमन्स का रेफरेंस हटाने और उसकी जगह भारत में डोमिनियन लेजिस्लेचर लाने के लिए एक अमेंडमेंट पेश किया। इस अमेंडमेंट का विरोध करते हुए श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने कहा, ''जहां तक मुझे पता है, हमारे पास कोई प्रिविलेज नहीं हैं और अगर वह हमारे सभी प्रिविलेज को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं, तो वह अपना अमेंडमेंट पास करवा सकते हैं।'' इसलिए संविधान सभा के सदस्य अच्छी तरह जानते थे कि कॉलोनियल रूल के तहत उनके प्रिविलेज हाउस ऑफ़ कॉमन्स की तरह 'पुराने और बिना किसी शक के' नहीं थे, बल्कि लेजिस्लेचर द्वारा लगातार क़ानून बनाने और ज़ोर देने से मिला एक क़ानूनी ग्रांट था।

ख़ास बात यह है कि के हाउस ऑफ़ कॉमन्स के उलट, भारत में 'पुराने और बिना किसी शक के' अधिकार नहीं हैं, जो पार्लियामेंट और राजा के बीच लड़ाई के बाद मिले थे। इसके उलट, भारत में ख़ास अधिकार हमेशा क़ानून से तय होते थे।

संविधान लागू होने के बाद क़ानूनी खास अधिकार संवैधानिक ख़ास अधिकार में बदल गये। हालांकि, संविधान बनानेवालों ने पार्लियामेंट में बोलने की आज़ादी का साफ़ तौर पर ध्यान रखा, लेकिन उन्होंने दूसरे ख़ास अधिकारों को पार्लियामेंट द्वारा क़ानून के ज़रिए तय करने के लिए छोड़ दिया।

आर्टिकल 105 का क्लॉज (3) कहता है कि आर्टिकल 105 के क्लॉज (1) और (2) के तहत न आने वाले ख़ास अधिकारों के बारे में, पार्लियामेंट के हर सदन, और हर सदन के सदस्यों और कमेटियों की शक्तियाँ, ख़ास अधिकार और इम्यूनिटी वैसी ही होंगी, जैसी पार्लियामेंट समय-समय पर क़ानून बनाकर तय करेगी।

जब तक पार्लियामेंट इन ख़ास अधिकारों को तय नहीं करती, तब तक ये वही ख़ास अधिकार होंगे जो हाउस और उसके सदस्यों और कमेटियों को संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) एक्ट, 1978 के सेक्शन 15 के लागू होने से ठीक पहले मिलते थे। सेक्शन 15 इस तरह है :–

> **15. अनुच्छेद 105 का संशोधन :–** संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (3) में, 'इस संविधान के प्रारंभ पर यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ़ कॉमन्स तथा उसके सदस्यों और समितियों के वे होंगे' शब्दों के स्थान पर, 'संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के लागू होने से ठीक पहले उस सदन और उसके सदस्यों और समितियों के वे होंगे' शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

संविधान के 44वें संशोधन के सेक्शन 15 के लागू होने से ठीक पहले हाउस और उसके सदस्यों और कमेटियों को जो ख़ास अधिकार मिले हुए थे, वही अधिकार इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ़ कॉमन्स को भारत के संविधान के शुरू होने पर मिले हुए थे। आर्टिकल 194 के क्लॉज (3) के साथ भी यही स्थिति थी, जिसे संविधान के 44वें संशोधन के सेक्शन 26 द्वारा बदला गया था। हाउस ऑफ़ कॉमन्स का ज़िक्र संविधान सभा ने दो वज़हों से स्वीकार किया था। पहला, संविधान के शुरू होने से पहले भारतीय लेजिस्लेटर को कोई ख़ास अधिकार नहीं मिला था और इसलिए डोमिनियन पार्लियामेंट का ज़िक्र करने से हाउस के पास लगभग कोई ख़ास अधिकार नहीं बचता। दूसरा, उस समय ख़ास अधिकारों की पूरी लिस्ट बनाना मुमकिन नहीं था और न ही संविधान के शेड्यूल के तौर पर इतनी लंबी लिस्ट बनाना बेहतर था।

क्लॉज (3) पार्लियामेंट को समय-समय पर अपने प्रिविलेज पर क़ानून बनाने की इज़ाज़त देता है।

यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ़ कॉमन्स नये प्रिविलेज नहीं बनाता है। इसके प्रिविलेज वे हैं जिनका हाउस ने इस्तेमाल किया है और जो पुराने और बिना किसी शक के हो गए हैं।

जब संसद या विधान सभाएं विशेषाधिकारों पर कोई क़ानून बनाती हैं, तो ऐसा क़ानून संविधान के भाग III की जांच के अधीन होगा। संविधान के भाग III और अनुच्छेद 105(3) के बीच परस्पर क्रिया इस न्यायालय के एमएसएम शर्मा बनाम श्रीकृष्ण सिन्हा (AIR 1959 SC 395) के निर्णय में उठी, जहाँ मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास के माध्यम से बोलते हुए संविधान पीठ ने माना कि अनुच्छेद 105 के खण्ड (3) के तहत संसद भवन के विशेषाधिकार वे हैं जो संविधान के प्रारम्भ में यूके में हाउस ऑफ़ कॉमन्स के थे, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर प्रबल होंगे।

हालांकि, अगर संसद अपने विशेषाधिकार को संहिताबद्ध करनेवाला क़ानून बनाती है तो वह

संविधान के अनुच्छेद 13 के आधार पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है।

न्यायमूर्ति सुब्बा राव (जैसा कि उस समय के विद्वान् मुख्य न्यायाधीश थे) ने ज़्यादातर लोगों से असहमति जताई और कहा कि इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ़ कॉमन्स के पास जो ख़ास अधिकार हैं, उनका मतलब सिर्फ़ एक अस्थायी नियम है, जब तक कि पार्लियामेंट या विधान सभाएँ अपने-अपने ख़ास अधिकारों को कोडिफाई करनेवाला क़ानून नहीं बनातीं। इसलिए, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने अपनी असहमति में कहा कि विधान सभा उन नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, जिन्होंने थ्योरी के हिसाब से अपने अधिकार बनाए रखे हैं और विधान सभा को उसका सिर्फ़ एक हिस्सा दिया है।

स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ़ 1964 (AIR 1965 SC 745) में इस कोर्ट की सात न्यायाधीशों की बेंच ने प्रेसिडेंशियल रेफ़रेंस पर स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज पर अपनी राय दी थी। यह रेफरेंस उत्तरप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष के हाई कोर्ट के दो न्यायाधीशों को अरेस्ट करने और पेश करने के ऑर्डर के बाद आया था। दोनों न्यायाधीशों ने एक ऐसे व्यक्ति को फटकार लगाने के प्रस्ताव में दखल दिया था जिसने विधान सभा के एक सदस्य के बारे में बदनामीवाला एक पैम्फलेट प्रकाशित किया था।

मेजॉरिटी की तरफ़ से बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गजेन्द्रगडकर, एम.एस.एम. शर्मा (सुप्रा) के फ़ैसले से सहमत थे, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 105(3) और आर्टिकल 194(3) संविधान के आर्टिकल 19(1) पर लागू होंगे। हालांकि, कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 105(3) और 194(3) के बीच टकराव में लागू होगा।

न्यायालय ने कहा कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर अपने प्रिविलेज का अकेला जज नहीं है और कोर्ट के पास कॉमन्स के प्रिविलेज से सलाह करके यह पता लगाने का अधिकार है कि लेजिस्लेचर द्वारा दावा किया गया कोई ख़ास प्रिविलेज असल में मौजूद है या नहीं।

कोर्ट ने कहा कि प्रिविलेज का तय करना, और क्या वे संविधान के पैरामीटर के अनुरूप हैं, यह एक ऐसा सवाल है जिसका ज़वाब कोर्ट को देना होगा। इस कोर्ट ने कहा कि :

'1964 के विशेष संदर्भ संख्या 1 में दी गई राय की पुष्टि इस न्यायालय के एक और सात न्यायाधीशों की पीठ ने कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977 IV SCC 608) में की, जिसमें कहा गया कि जब भी यह प्रश्न उठता है कि क्या सदन को अपने विशेषाधिकारों के तहत किसी मामले पर अधिकार है, तो ऐसे दावे का न्यायनिर्णयन विशेष रूप से न्यायालयों में निहित है। 1964 के विशेष संदर्भ संख्या 1 और कर्नाटक राज्य पर भरोसा करते हुए इस न्यायालय के संविधान पीठ ने राजा रामपाल (2007III SCC 184) में माना कि न्यायालय के पास यह जांच करने का अधिकार और अधिकार है कि क्या सदन द्वारा (या विस्तार द्वारा किसी सदस्य द्वारा) दावा किया गया विशेषाधिकार वास्तव में संविधान के तहत प्राप्त होता है।

इसके अलावा, अमरिंदर सिंह (2010VI SCC 113) में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने माना कि न्यायालयों को सदन द्वारा विशेषाधिकारों के प्रयोग की जांच करने का अधिकार है।

नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संसद या विधान मंडल के सदनों के विशेषाधिकारों के

बीच परस्पर सम्बन्ध का मामला इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष एन. रवि बनाम अध्यक्ष, विधान सभा चेन्नई में लंबित है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, विशेषकर इण्डियन लेजिस्लेचर में बोलने की आज़ादी के बारे में निर्णय दिया। लेकिन लेजिस्लेचर हमेशा से इस बात पर ज़ोर देते रहे हैं कि उनके ज़रूरी लेजिस्लेटिव काम करने के लिए उनकी बोलने की आज़ादी की रक्षा की जाए और उसे पवित्र रखा जाए। जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में बोलने की आज़ादी की साफ़ गारंटी दी है, उन्होंने दूसरे प्रिविलेज को बिना कोड किए छोड़ दिया। संहिता बने या न बने, इस पर कुछ नहीं कहा।

> *As early as in year 1973, the Supreme Court of India has also expressed its support for the codification of parliamentary privileges. In the Keshavananda Bharati case (1973 IV SCC 225-Constitution Bench of 13 Judges), the Court held that the privileges of Parliament are not fundamental rights, and that they can be modified or abolished by Parliament. The Court also held that the codification of parliamentary privileges would be desirable.*
>
> *Despite the support of the Supreme Court, the codification of parliamentary privileges has not yet been achieved.*

वर्ष2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने भी अपने सुझावों में कहा था :–

> 'पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के फ्री और इंडिपेंडेंट कामकाज़ के लिए लेजिस्लेटर के ख़ास अधिकार तय होने चाहिए। हर बार जब यह सवाल उठता है कि हाउस में अपने काम के सम्बन्ध में किसी मेंबर को किस तरह की लीगल प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी मिली हुई है, तो हाउस ऑफ़ कॉमन्स में 1950 की स्थिति पर जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।' (पैरा. 5.15.3)

आर्टिकल 105(2) में बदलाव करके यह साफ़ किया जा सकता है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के तहत पार्लियामेंट मेम्बर्स को जो इम्यूनिटी मिलती है, उसमें हाउस में अपनी ड्यूटी के सिलसिले में या किसी और तरह से किए गए उनके करप्ट काम शामिल नहीं हैं। करप्ट कामों में किसी ख़ास तरीके से सदन में बोलने और वोट देने के लिए पैसे या कोई और कीमती चीज़ लेना शामिल होगा। ऐसे कामों के लिए, उन पर देश के आम क़ानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि कोई भी कोर्ट स्पीकर या चेयरमैन की पहले से मंजूरी के बिना, जैसा भी मामला हो, हाउस में किसी मेंबर के काम से हुए किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। आर्टिकल 194(2) में भी इसी तरह राज्य लेजिस्लेचर के मेंबर्स के सम्बन्ध में बदलाव किया जा सकता है। (पैरा. 5.15.6)

गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी आख्या कोडिफिकेशन ऑफ़ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पर स्टडी की।* उसके अध्ययन के निष्कर्ष निम्न थे :–

1. सर्वे में 92 प्रतिशत को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की जानकारी थी।

* *Indian Journal of Integrated Research in Law*, Vol. IV, No. I, ISSN : 2583-0538

2. 12 प्रतिशत लोगों को विधायिका के विशेषाधिकारों को ऐसे ही चलने देना चाहते हैं। इसका मतलब है कि 82 प्रतिशत इसको बदलना चाहते हैं। इसके लिए विशेषाधिकारों के कोडिफिकेशन क्लेरिटी के साथ होना चाहिए। शेष 6 प्रतिशत विशेषाधिकारों को समाप्त करना चाहते है।

3. आधे लोगों का मानना है कि विधायिका के विशेषाधिकार के साथ-साथ आम नागरिकों के प्रति खास कर्तव्य भी है।

4. विधायिका के विशेषाधिकार एवम् इम्यूनिटी को लागू कौन करेंगा, इस पर भिन्न-भिन्न मत है। लेकिन सबसे अधिक पसन्दीदा ऑथोरिटी उच्चतम न्यायालय ही है।

भारत में संसद एवं विधान मण्डलों के विशेषाधिकारों (Privileges) एवम् उन्मुक्तियों (Imunities) के लिपिबद्ध न होने के कारण कोई निश्चित संहिता नहीं है। विशेषाधिकार Vague है, Undefined है, उनमें यूनिफार्मिटी नहीं है। संसद एवं विधान मण्डल उनको जब चाहे तब, जैसे चाहे वैसे, अपने मतलब के अनुसार पारिभाषित कर सकता है। ऐसे में यह अति आवश्यक है कि भारत की संसद साथ-ही-साथ सभी विधान मण्डल अपने विशेषाधिकारों (Privileges) एवम् उन्मुक्तियों (Imunities) को यथाशीघ्र लिपिबद्ध करें, विनिमय करें और उनकी अपनी-अपनी संहिता हो।

भारत को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के कोडिफिकेशंस को अपनाना होगा, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाएँ मज़बूत होंगी। जनता के अधिकारों की रक्षा होगी। भारत में लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेज तथा इम्यूनिटीज की संहिता का बनना एवं लिपिबद्ध होना एक मज़बूत और ज़वाबदेह संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला बनेगा।

आशा ही नहीं विश्वास है कि Legislative Privilege and Immunities का Codification हो या न हो, इस विषय पर राष्ट्रीय विमर्श अवश्य होगा।

संसदीय लोकतंत्र की आत्मा और उसके मूल मूल्य : राज्य-विधान सभाओं में विमर्श, प्रतिनिधित्व और नैतिक उत्तरदायित्व

डॉ. सतीश कुमार सिंह*

भारत की राज्य विधान सभाओं के शांत गलियारों में एक अज़ीब-सी निस्तब्धता महसूस होती है। सामान्य कार्यवाही के दौरान कई सीटें खाली रहती हैं, और जो चर्चाएँ लोकतांत्रिक जीवन की धड़कन मानी जाती हैं, वे अक्सर शोर, व्यवधान या बार-बार के स्थगन में दब जाती हैं। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिए, वहाँ केवल औपचारिकता या राजनीतिक टकराव ही शेष रह गया है। यह स्थिति केवल प्रक्रियागत कमज़ोरी का संकेत नहीं है; यह एक गहरे और अधिक चिन्ताजनक संकट की ओर इशारा करती है।

ऐसे क्षणों में एक बुनियादी प्रश्न अनायास ही उभरता है कि क्या हमारी विधान सभाएँ अब भी उस लोकतांत्रिक आदर्श के अनुरूप कार्य कर रही हैं, जिसकी कल्पना हमारे संविधान-निर्माताओं ने की थी? क्या वे अब भी वह स्थान हैं जहाँ विभिन्न दृष्टिकोण सम्मानपूर्वक टकराते हैं और सामूहिक बुद्धि के माध्यम से बेहतर निर्णय निकलते हैं? या फिर वे धीरे-धीरे ऐसे मंचों में परिवर्तित हो रही हैं जहाँ संवाद की जगह प्रदर्शन और विचार की जगह तात्कालिक राजनीति ने ले ली है?

भारतीय संविधान ने केवल शासन की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की; उसने एक व्यापक नैतिक और दार्शनिक दिशा भी निर्धारित की। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व-जैसे मूल्य केवल प्रस्तावना में अंकित शब्द नहीं थे। वे इस बात के मार्गदर्शक सिद्धांत थे कि राज्य की संस्थाएँ किस प्रकार कार्य करेंगी और नागरिकों के साथ उनका संबंध कैसा होगा। विशेष रूप से विधान सभाएँ इस दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण थीं, क्योंकि वही वह स्थान थीं जहाँ इन मूल्यों को व्यवहार में रूपांतरित होना था।

विधान सभाओं को केवल क़ानून बनानेवाली संस्थाएँ नहीं माना गया था, बल्कि उन्हें विचार-विमर्श के ऐसे जीवंत मंच के रूप में देखा गया था, जहाँ भिन्न-भिन्न मतों के बीच संवाद के माध्यम से नीतियाँ आकार लेती हैं। यहाँ असहमति को बाधा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी प्रक्रिया के माध्यम से लोकतंत्र अपनी वैधता और नैतिक शक्ति प्राप्त

* प्रोफ़ेसर, दर्शनशास्त्र-विभाग, डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी।

करता है।

किन्तु आज का अनुभव कुछ अलग कहानी कहता है। धीरे-धीरे यह अनुभूति प्रबल हो रही है कि यह चिन्तनशीलता, यह संवाद की संस्कृति, और यह नैतिक गम्भीरता क्षीण होती जा रही है। विधान सभाएँ कभी-कभी अपने मूलोद्देश्य से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जहाँ विचार की गहराई के स्थान पर समकालीन राजनीतिक रणनीति हावी हो जाती है।

यही स्थिति इस लेख के मूल प्रश्न को जन्म देती है। यह लेख केवल आलोचना का प्रयास नहीं है, बल्कि एक प्रकार का आत्ममंथन है, एक कोशिश यह समझने की कि संसदीय लोकतंत्र के वे मूल मूल्य, जिन पर हमारी व्यवस्था आधारित है, आज किस स्थिति में हैं और उन्हें पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है।

संसदीय लोकतंत्र की दार्शनिक आधारभूमि

संसदीय लोकतंत्र का मूल विश्वास यह है कि मनुष्य तर्क और संवाद के माध्यम से सामूहिक निर्णय ले सकता है। पाश्चात्य चिन्तन में जॉन लॉक ने शासन की वैधता को जनता की सहमति से जोड़ा, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने संसद को 'विचार-विमर्श द्वारा शासन' का केंद्र माना।[1] मिल का मानना था कि सत्य और बेहतर निर्णय केवल विभिन्न विचारों के टकराव से ही उभरते हैं। इस दृष्टि से लोकतंत्र केवल मतों की गिनती नहीं करता, बल्कि तर्कों का मूल्यांकन भी करता है।

भारतीय परम्परा में भी संवाद और सामूहिक निर्णय की समृद्ध परम्परा रही है। बौद्ध संघों और प्राचीन गणतंत्रीय व्यवस्थाओं में विचार-विमर्श की संस्कृति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर ने लोकतंत्र को दो अलग-अलग, परंतु पूरक दृष्टियों से समझाया। गांधी के लिए लोकतंत्र नैतिक आत्मसंयम और स्वराज का रूप था, जबकि आंबेडकर के लिए यह संवैधानिक ढाँचे के भीतर सुरक्षित रहनेवाली व्यवस्था थी, जिसे 'संवैधानिक नैतिकता' के आधार पर संचालित होना चाहिए।[2] इस प्रकार भारत में संसदीय प्रणाली का चयन केवल अनुकरण नहीं, बल्कि एक गहरी बौद्धिक और नैतिक समझ का परिणाम था।

विमर्श : जब लोकतंत्र सोचना कम कर देता है

विमर्श को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, परंतु यह केवल एक आदर्श वाक्य नहीं होना चाहिए। विमर्श का अर्थ है–तर्कपूर्ण संवाद, जिसमें सुनने और समझने की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी बोलने की। यह एक धीमी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के तर्कों के सामने परखता है।

डॉ. आंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके भीतर संवाद की गुणवत्ता कैसी है।[3] यदि संवाद कमज़ोर पड़ता है, तो लोकतंत्र की आंतरिक शक्ति भी कम हो जाती है।

आज की स्थिति पर दृष्टि डालें, तो यह स्पष्ट होता है कि विधान सभाओं में विमर्श का स्थान धीरे-धीरे सिकुड़ रहा है। जब महत्त्वपूर्ण विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के पारित हो जाते हैं, जब व्यवधान सामान्य हो जाते हैं, और जब उपस्थिति केवल राजनीतिक रूप से संवेदनशील अवसरों तक सीमित रह जाती है, तब लोकतंत्र अपनी विचारशीलता खोने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता; यह धीरे-धीरे, लगभग अदृश्य रूप से घटित होता है। और इसी कारण यह अधिक गम्भीर है।

प्रतिनिधित्व : संख्या से आगे की ज़िम्मेदारी

प्रतिनिधित्व को अक्सर केवल चुनावी परिणामों के सन्दर्भ में समझा जाता है, परंतु उसका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। एक प्रतिनिधि केवल अपने क्षेत्र का दूत नहीं होता; वह उन लोगों की आवाज़ भी होता है जो स्वयं बोल नहीं सकते। इस दृष्टि से प्रतिनिधित्व एक नैतिक दायित्व है।

डॉ. आंबेडकर ने यह चेतावनी दी थी कि यदि सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ बनी रहती हैं, तो राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा।[4] आज भी यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है कि क्या सभी वर्गों की समस्याएँ विधायी प्रक्रिया में समान रूप से स्थान पा रही हैं? इसके साथ ही, धनबल और प्रभाव का बढ़ता हुआ महत्त्व यह संकेत देता है कि प्रतिनिधित्व कभी-कभी वास्तविक ज़रूरतों के बजाय शक्ति-संतुलन को प्रतिबिंबित करने लगता है।

इस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि प्रतिनिधि स्वयं को केवल राजनीतिक भूमिका तक सीमित न रखें, बल्कि व्यापक सामाजिक न्याय के प्रति भी उत्तरदायित्व समझें।

संस्थागत चुनौतियाँ : विमर्श से प्रदर्शन की ओर

वर्तमान समय में समस्या केवल विचारों की नहीं, बल्कि संस्थागत प्रक्रियाओं की भी है। कई राज्य विधान सभाओं में बैठकों की संख्या कम होती जा रही है, समितियों का प्रभाव सीमित है और महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर गहन चर्चा का अभाव दिखाई देता है।[5] इसके साथ ही बार-बार के व्यवधान और स्थगन ने विधायी कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है। धीरे-धीरे एक प्रवृत्ति उभरती दिखाई देती है—विमर्श की जगह प्रदर्शन ले रहा है।

विधान सभाएँ कभी-कभी ऐसे मंच बन जाती हैं जहाँ तर्क प्रस्तुत करने के बजाय राजनीतिक संदेश देना अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है। यह परिवर्तन भले ही सूक्ष्म हो, परंतु इसके परिणाम दूरगामी हैं।

नैतिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक नैतिकता

लोकतंत्र केवल नियमों और प्रक्रियाओं से संचालित नहीं होता; वह मूलतः एक नैतिक व्यवस्था भी है। यदि संस्थाएँ शरीर हैं, तो नैतिकता उनकी आत्मा है। बिना नैतिक आधार के कोई भी लोकतांत्रिक ढाँचा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता।

महात्मा गांधी ने राजनीति को नैतिकता से अलग करने के ख़तरे को बहुत स्पष्ट रूप से समझा था। उनके लिए सार्वजनिक जीवन केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं था, बल्कि वह सेवा, आत्मसंयम और उत्तरदायित्व का क्षेत्र था। गांधीजी का 'ट्रस्टीशिप' का विचार इस बात पर बल देता है कि जो भी सार्वजनिक पद पर है, वह वास्तव में जनता के हितों का संरक्षक है, स्वामी नहीं।[6]

डॉ. आंबेडकर ने इस नैतिक विमर्श को 'संवैधानिक नैतिकता' के रूप में एक सुसंगत रूप दिया। उनकेअनुसार, केवल संविधान होना पर्याप्त नहीं है; आवश्यक यह है कि नागरिक और विशेष रूप से जनप्रतिनिधि उसके मूल्यों के प्रति आंतरिक निष्ठा रखें। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है संस्थाओं के प्रति सम्मान, नियमों के प्रति अनुशासन, और निर्णय लेते समय व्यापक न्याय को ध्यान में रखना।

यहाँ 'लोकप्रिय नैतिकता' और 'संवैधानिक नैतिकता' के बीच अंतर समझना भी महत्त्वपूर्ण है। लोकप्रिय नैतिकता अक्सर तात्कालिक भावनाओं, बहुमत की इच्छा या राजनीतिक लाभ से प्रेरित होती

है। इसके विपरीत, संवैधानिक नैतिकता दीर्घकालिक न्याय, संतुलन और संस्थागत स्थिरता को प्राथमिकता देती है।

आज जब हम विधान सभाओं में बढ़ते व्यवधान, अनियमित उपस्थिति और सतही बहसों को देखते हैं, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या यह नैतिक आधार अभी भी उतना ही मज़बूत है जितना होना चाहिए? यदि जनप्रतिनिधि स्वयं ही संस्थागत मर्यादाओं के प्रति गम्भीर नहीं रहेंगे, तो लोकतंत्र केवल एक औपचारिक संरचना बनकर रह जाएगा।

इसलिए नैतिक उत्तरदायित्व को एक वैकल्पिक गुण नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जीवन की अनिवार्य शर्त के रूप में पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है।

व्यावहारिक झलक

यदि हम वर्तमान विधान सभाओं के कार्य-व्यवहार को ध्यान से देखें, तो कुछ प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली विधान सभा जैसे संस्थानों में यह देखा गया है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील अवसरों–जैसे बजट-सत्र, विश्वास मत या किसी बड़े विधेयक के दौरान विधायकों की उपस्थिति और सक्रियता बढ़ जाती है। इसके विपरीत, सामान्य दिनों की कार्यवाही अपेक्षाकृत कम ध्यान आकर्षित करती है।

यह असंतुलन केवल उपस्थिति का प्रश्न नहीं है; यह विधायी प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। जब नियमित कार्यवाही, जैसे–प्रश्नकाल, अल्पकालिक चर्चाएँ या समिति कार्य कम महत्त्व प्राप्त करते हैं, तो लोकतंत्र की वह निरंतर प्रक्रिया कमज़ोर पड़ जाती है, जो वास्तव में शासन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है।

इसके अतिरिक्त, कई बार यह भी देखा जाता है कि बहसें गहराई से अधिक राजनीतिक संदेश देने पर केंद्रित हो जाती हैं। इस प्रकार, विधान सभाएँ कभी-कभी विचार-विमर्श के मंच के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन के स्थल के रूप में दिखाई देने लगती हैं।

यह स्थिति पूरी तरह निराशाजनक नहीं है, परंतु यह संकेत अवश्य देती है कि सुधार की दिशा में गम्भीर प्रयासों की आवश्यकता है। यदि लोकतंत्र को मज़बूत बनाना है, तो उसकी दैनिक कार्यप्रणाली को भी उतना ही महत्त्व देना होगा जितना उसके बड़े राजनीतिक क्षणों को दिया जाता है।

निष्कर्ष

संसदीय लोकतंत्र को केवल एक शासन-प्रणाली के रूप में देखना उसकी सीमित समझ है। वास्तव में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज अपने मतभेदों के बावजूद संवाद और तर्क के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करता है।

जब यह संवाद कमज़ोर पड़ता है, तो लोकतंत्र समाप्त नहीं होता, परंतु उसका स्वरूप बदलने लगता है। वह अधिक औपचारिक, अधिक यांत्रिक और कम संवेदनशील हो जाता है। आज राज्य विधान सभाओं में जो प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं, जैसे–खाली सीटें, बाधित बहसें और सीमित भागीदारी, वे इसी परिवर्तन के संकेत हैं।

यह केवल संस्थागत समस्या नहीं है; यह एक दार्शनिक संकट भी है। यह उस विश्वास को

चुनौती देता है कि मनुष्य तर्क और संवाद के माध्यम से सामूहिक निर्णय ले सकता है।

यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो संसदीय लोकतंत्र औपचारिक रूप से तो बना रहेगा, परंतु उसकी आत्मा धीरे-धीरे क्षीण होती जाएगी। इसलिए आवश्यकता केवल सुधारात्मक उपायों की नहीं, बल्कि उस मूल भावना को पुनर्जीवित करने की है, जिसमें लोकतंत्र एक साझा चिन्तन और ज़िम्मेदारी की प्रक्रिया था।

अंततः, लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसके संस्थान कितनी गम्भीरता, ईमानदारी और विचारशीलता के साथ कार्य करते हैं। यदि हम इन मूल्यों को पुनर्स्थापित कर सकें, तो हमारी विधान सभाएँ केवल क़ानून बनाने की जगह नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना का सशक्त केंद्र बन सकती हैं।

सन्दर्भ :

1. John Stuart Mill, *Considerations on Representative Government* (1861).
2. B.R. Ambedkar, Constituent Assembly Speech, 4 November 1948.
3. *Constituent Assembly Debates*, Vol. VII.
4. B.R. Ambedkar, *Annihilation of Caste* (1936).
5. PRS Legislative Research Report.
6. M.K. Gandhi, *Hind Swaraj* (1909).

एक वर्ष का संकल्प, परिवर्तन का विस्तार : दिल्ली विधान सभा में आधुनिकता, पारदर्शिता और जन-केंद्रित शासन का नया अध्याय

कांचन आज़ाद*

लोकतंत्र केवल चुनावों और विधायी प्रक्रियाओं तक सीमित व्यवस्था नहीं है; यह निरंतर संवाद, उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता और जनविश्वास की वह जीवंत प्रक्रिया है, जो समय के साथ स्वयं को बदलती और विकसित करती रहती है। किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की वास्तविक शक्ति उसकी कार्यशैली, पारदर्शिता, दूरदर्शिता और जनता से उसके सम्बन्धों में निहित होती है। इसी दृष्टि से यदि बीते एक वर्ष में दिल्ली विधान सभा की कार्यप्रणाली और उसके द्वारा किए गए सुधारों का मूल्यांकन किया जाए, तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह अवधि केवल प्रशासनिक उपलब्धियों की नहीं, बल्कि संस्थागत पुनर्जागरण की अवधि रही है।

माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली विधान सभा ने आधुनिकता, तकनीकी नवाचार, पारदर्शिता, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और जन-केंद्रित शासन के क्षेत्र में ऐसे अनेक कदम उठाए हैं, जिन्होंने न केवल विधान सभा की कार्यप्रणाली को नयी दिशा दी है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अनुकरणीय मॉडल भी प्रस्तुत किया है।

दिनांक 24 फरवरी 2025 को दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने के पश्चात् श्री विजेन्द्र गुप्ता ने जिस दूरदर्शी सोच के साथ विधान सभा को आगे बढ़ाया, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र की संस्थाएँ केवल परम्पराओं की संरक्षक नहीं होतीं, बल्कि समय की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता भी रखती हैं। यही कारण है कि बीते एक वर्ष को 'परिवर्तन का वर्ष' कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति न होगी।

यह परिवर्तन केवल भवनों, व्यवस्थाओं या प्रक्रियाओं में नहीं दिखाई देता, बल्कि सोच और कार्यसंस्कृति में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यह एक ऐसी यात्रा रही, जिसमें परम्परा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करते हुए लोकतंत्र को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावशाली

* संयुक्त सचिव तथा प्रेस-सचिव, दिल्ली विधान सभा; प्रबन्ध सम्पादक, 'विधान-चेतना'

बनाने का प्रयास किया गया। स्वयं अध्यक्ष द्वारा इसे 'आत्म-चिंतन और नये संकल्प का क्षण' कहा जाना इस बात का संकेत है कि यह यात्रा केवल उपलब्धियों के उत्सव तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य की व्यापक तैयारी का भी हिस्सा है।

डिजिटल क्रांति की ओर निर्णायक कदम

वर्तमान युग तकनीक और सूचना का युग है। शासन-व्यवस्था में डिजिटल तकनीक का समावेश अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है। दिल्ली विधान सभा ने इस आवश्यकता को समझते हुए डिजिटल परिवर्तन की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया।

नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) का सफल क्रियान्वयन इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक रहा। इसके माध्यम से दिल्ली विधान सभा ने पूर्णतः पेपरलेस व्यवस्था अपनाते हुए डिजिटल विधायिका के रूप में नयी पहचान स्थापित की। 04 अगस्त 2025 को आयोजित पहला पूर्ण डिजिटल सत्र भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज़ हुआ।

अब प्रश्नोत्तर, कार्यसूची, विधेयक, रिपोर्ट और अन्य विधायी दस्तावेज़ सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत हुई है, बल्कि कार्यों की गति और पारदर्शिता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सदस्यों को सूचनाएं तुरंत उपलब्ध हो रही हैं तथा दस्तावेज़ों तक पहुंच अधिक सरल और व्यवस्थित हो गई है।

यह पहल केवल तकनीकी बदलाव नहीं है; यह शासन की सोच में परिवर्तन का प्रतीक है। डिजिटल माध्यमों के प्रयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक उत्तरदायी, प्रभावी और जनोन्मुख बनाया है। आज नागरिक भी विधान सभा की गतिविधियों को अधिक निकटता से समझ पा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र में जनभागीदारी और विश्वास–दोनों मज़बूत हुए हैं।

डिजिटल क्रांति का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे पर्यावरण-संरक्षण को भी बल मिला है। कागज़ के उपयोग में भारी कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों की बचत हुई है। इस प्रकार तकनीकी प्रगति और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी का संतुलन भी स्थापित हुआ है।

हरित विधान सभा : पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का उदाहरण

आज जब पूरी दुनिया जलवायु-परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट की चुनौती से जूझ रही है, तब सार्वजनिक संस्थाओं की ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। दिल्ली विधान सभा ने इस दिशा में भी एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है।

पाँच सौ किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के साथ दिल्ली विधान सभा देश की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधायिका बन गई है। यह उपलब्धि केवल तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण और सतत विकास की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

इस परियोजना से न केवल कार्बन-उत्सर्जन में कमी आई है, बल्कि सार्वजनिक धन की भी उल्लेखनीय बचत हो रही है। लगभग ₹1.75 करोड़ की वार्षिक बचत यह सिद्ध करती है कि पर्यावरण-संरक्षण और आर्थिक दक्षता साथ-साथ चल सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, विधान सभा परिसर में हरित क्षेत्र को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत

करने का लक्ष्य भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वृक्षारोपण, हरित परिदृश्य और पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्थाओं के माध्यम से विधान सभा परिसर को अधिक स्वस्थ और संतुलित वातावरण में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है।

भविष्य में 300 किलोवाट अतिरिक्त सौर क्षमता जोड़ने की योजना यह दर्शाती है कि यह पहल केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। दिल्ली विधान सभा ने यह संदेश दिया है कि विकास और पर्यावरण-संरक्षण परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं।

पारदर्शिता और ज़वाबदेही की नयी संस्कृति

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता उसकी पारदर्शिता और ज़वाबदेही पर निर्भर करती है। जनता का विश्वास तभी मज़बूत होता है, जब शासन-व्यवस्था उत्तरदायी और खुली हो।

दिल्ली विधान सभा ने इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारते हुए 'एपीएमएस' पोर्टल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से सरकारी विभागों की ऑडिट टिप्पणियों और 'कार्रवाई रिपोर्ट' की रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित की गई। इससे प्रशासनिक कार्यों की निगरानी अधिक प्रभावी हुई है और ज़वाबदेही की संस्कृति को मज़बूती मिली है।

यह व्यवस्था केवल फाइलों के प्रबंधन तक सीमित नहीं है; यह शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की नयी कार्यसंस्कृति स्थापित करने का प्रयास है। अब विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति अधिक व्यवस्थित ढंग से देखी जा सकती है, जिससे निर्णय-प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी बनी है।

इसी क्रम में, विधायकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु 'नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स' का प्रस्ताव भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है, और उनके कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन लोकतांत्रिक गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

'सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार' की शुरुआत भी इसी सोच का हिस्सा है। यह पहल स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है तथा जनप्रतिनिधियों को अधिक सक्रिय और उत्तरदायी बनने के लिए प्रेरित करती है।

विरासत का संरक्षण और सांस्कृतिक चेतना

आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए अपनी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखना किसी भी संस्था के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। दिल्ली विधान सभा ने इस संतुलन को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ बनाए रखा है।

अभिलेखों के संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। महत्त्वपूर्ण भाषणों और दस्तावेज़ों का डिजि़टलीकरण तथा पुस्तकालय के आधुनिकीकरण की पहल लोकतांत्रिक इतिहास को सुरक्षित रखने का सशक्त प्रयास है।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन-जैसे प्रतिष्ठित और राष्ट्रीय महत्त्व के आयोजन का सफल आयोजन यह दर्शाता है कि दिल्ली विधान सभा बड़े स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन, समन्वयन और व्यवस्थापन में पूर्णतः सक्षम एवं दक्ष है। देशभर के विधान मण्डलों के माननीय अध्यक्षों, सभापतियों एवं प्रतिनिधियों की उपस्थितिवाले इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन का गरिमामय आयोजन दिल्ली

विधान सभा की प्रशासनिक क्षमता, संगठनात्मक दक्षता और संस्थागत परिपक्वता का परिचायक है। यह उपलब्धि न केवल दिल्ली विधान सभा की बढ़ती प्रतिष्ठा को रेखांकित करती है, बल्कि उसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक विमर्श के एक प्रभावशाली केंद्र के रूप में भी स्थापित करती है।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में दिल्ली विधान सभा द्वारा आयोजित विशेष प्रदर्शनी एवं निर्मित वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) ने न केवल भारत की संसदीय विरासत को सम्मानपूर्वक स्मरण किया, बल्कि लोकतांत्रिक इतिहास को नयी पीढ़ी तक प्रभावशाली ढंग से पहुँचाने का महत्त्वपूर्ण कार्य भी किया। प्रसिद्ध अभिनेता श्री अनुपम खेर द्वारा पार्श्वस्वर प्रदान किए जाने से इस वृत्तचित्र की गम्भीरता, प्रभाव और भावनात्मक जुड़ाव और अधिक सशक्त हुआ।

युवाओं को लोकतंत्र से जोड़ने की पहल

लोकतंत्र तभी मज़बूत होता है, जब नई पीढ़ी उससे जुड़ती है और उसकी प्रक्रियाओं को समझती है। दिल्ली विधान सभा ने युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने के लिए कई महत्त्वपूर्ण पहलें की हैं।

पुस्तकालय में स्थापित 'अपने प्रधानमंत्री को जानें' पुस्तक-दीर्घा तथा 'विकसित भारत युवा संसद' जैसे कार्यक्रम युवाओं के लिए प्रेरणा और जागरुकता का माध्यम बने हैं। इन कार्यक्रमों ने विद्यार्थियों और युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, संसदीय परम्पराओं और नेतृत्व की भूमिका को समझने का अवसर प्रदान किया है।

'युवा संसद' जैसी पहलें केवल प्रतियोगिता नहीं होतीं; वे संवाद, तर्क, नेतृत्व और संवैधानिक मूल्यों की समझ विकसित करने का माध्यम होती हैं। इससे युवाओं में लोकतांत्रिक चेतना मज़बूत होती है और भविष्य के नेतृत्व की नींव तैयार होती है।

जन-कल्याण और संस्थागत सुधार

दिल्ली विधान सभा ने सदैव जन-कल्याण को अपनी कार्य-प्रणाली का मूल आधार माना है। इसी भावना के अनुरूप, विधान सभा ने अपने माननीय सदस्यों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को विशेष प्राथमिकता प्रदान की है। फरवरी 2026 में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह इस संवेदनशील सोच का प्रतीक था कि स्वस्थ जनप्रतिनिधि ही समाज की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं।

शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ जनप्रतिनिधि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय, संवेदनशील और प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। यह पहल इस बात को भी रेखांकित करती है कि विधान सभा अपने सदस्यों के मानवीय पक्ष के प्रति भी सजग है।

इसके साथ ही, विधान सभा परिसर के पुनर्गठन और संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु विभिन्न कार्यालयों के पुनर्स्थापन की योजना प्रशासनिक दक्षता को नयी मज़बूती प्रदान करेगी। यह केवल भौतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि संस्थागत सुधार का महत्त्वपूर्ण कदम है।

इससे विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, कार्यों के निष्पादन में गति आएगी तथा कर्मचारियों और आगंतुकों—दोनों को अधिक सुविधाजनक वातावरण प्राप्त होगा।

ऐतिहासिक भ्रांतियों का तथ्यपरक समाधान

लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल वर्तमान कार्यों से नहीं, बल्कि इतिहास के प्रति उनकी ज़िम्मेदारी से भी निर्धारित होती है। इस वर्ष विधान सभा परिसर से जुड़ी एक ऐतिहासिक भ्रांति को तथ्यात्मक आधार पर दूर किया गया।

पुरातत्त्व विभाग के निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि परिसर में कभी कोई फ़ाँसीघर नहीं था। इसके पश्चात् जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उस स्थान को 'टिफिन रूम' के रूप में विकसित किया गया।

यह निर्णय इस बात का उदाहरण है कि संवेदनशीलता और तथ्यपरक दृष्टिकोण साथ-साथ चल सकते हैं। इतिहास को तथ्यों के आधार पर समझना और समाज में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना लोकतांत्रिक परिपक्वता का परिचायक है।

भविष्य की दिशा : नवाचार, ज्ञान और समावेशिता

बीते एक वर्ष की उपलब्धियाँ केवल वर्तमान तक सीमित नहीं हैं; वे भविष्य की सम्भावनाओं का भी संकेत देती हैं। आनेवाले समय के लिए विधान सभा ने कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ निर्धारित की हैं।

सौर ऊर्जा क्षमता का और विस्तार, पुस्तकालय का तकनीकी आधुनिकीकरण तथा युवाओं के लिए राजनीतिक नेतृत्व में डिप्लोमा कार्यक्रम-जैसी योजनाएँ विधान सभा को ज्ञान, नवाचार और नेतृत्व के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

इन पहलों का उद्देश्य केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि ऐसी लोकतांत्रिक संस्कृति का निर्माण करना है, जो अधिक समावेशी, जागरूक और भविष्य उन्मुख हो।

निष्कर्ष : परिवर्तन से विश्वास तक

बीते एक वर्ष की यात्रा यह स्पष्ट करती है कि दिल्ली विधान सभा केवल एक विधायी संस्था नहीं, बल्कि परिवर्तनशील लोकतंत्र का सशक्त प्रतीक बनकर उभरी है।

माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में विधान सभा ने आधुनिकता और परम्परा, तकनीक और संवेदनशीलता, पारदर्शिता और ज़वाबदेही के बीच एक संतुलित और प्रेरणादायी मॉडल प्रस्तुत किया है।

जैसा कि माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा—''हमारा मिशन यह सुनिश्चित करना है कि लोकतंत्र का यह मन्दिर न केवल अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित रखे, बल्कि आनेवाली पीढ़ियों के लिए पारदर्शिता और जनसेवा का मार्ग प्रशस्त करे।''

निःसंदेह, यह एक वर्ष केवल उपलब्धियों का विवरण नहीं, बल्कि एक नये विश्वास, नयी ऊर्जा और सशक्त लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदमों की प्रेरक यात्रा है। दिल्ली विधान सभा ने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व दूरदर्शी हो, नीयत स्पष्ट हो और लक्ष्य जनहित हो, तब संस्थाएँ केवल कार्य नहीं करतीं—वे इतिहास रचती हैं।

सशक्त संसदीय लोकतंत्र–समन्वय, नवाचार और नागरिक-सहभागिता की दिशा में भारत की यात्रा

प्रवेश साहिब सिंह*

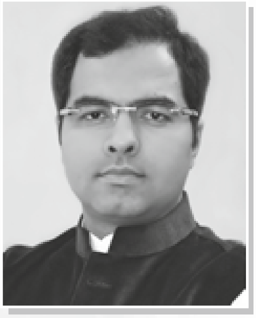

भारत का संसदीय लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं, बल्कि राष्ट्रजीवन का प्राणतत्त्व है। यह व्यवस्था हमारे संविधान की आत्मा से संचालित होती है, जिसमें जनाकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब, उत्तरदायित्व का भाव और विकास का संकल्प निहित है। समय के साथ इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए स्वयं को सुदृढ़ किया है और आज यह विश्व के समक्ष एक सशक्त उदाहरण के रूप में स्थापित है।

1. संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा, मूल्य एवं प्रक्रियाएँ

संसदीय लोकतंत्र का मूलाधार यह है कि शासन की शक्ति जनता से उत्पन्न होती है और जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से नागरिक अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को विधायिका तक पहुँचाते हैं। संसद एवं विधान सभाओं में प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधेयकों पर विमर्श तथा समितियों की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती हैं।

2. लोकतंत्र के विभिन्न स्तम्भों के बीच समन्वय

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका–ये तीनों स्तम्भ लोकतंत्र की आधारशिला हैं। इनका संतुलन और समन्वय ही राष्ट्र की स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित करता है। विधायिका नीतियाँ बनाती है, कार्यपालिका उन्हें क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सभी कार्य संविधान की मर्यादा में हों। जब इन तीनों के बीच सहयोग की भावना होती है, तब शासन-व्यवस्था अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनती है।

3. संवैधानिक विषय एवं समसामयिक विधिक मुद्दे

भारतीय संविधान ने नागरिकों को अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी बोध कराया है। वर्तमान समय में डिज़िटल युग के आगमन के साथ डेटा सुरक्षा, निजता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा न्यायिक सुधार जैसे विषय विशेष महत्त्व प्राप्त कर चुके हैं। इन विषयों पर संतुलित

* कैबिनेट मंत्री (लोक निर्माण विभाग, विधायी मामले, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल, गुरुद्वारा चुनाव), दिल्ली सरकार

दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास और अधिकारों के बीच समन्वय बना रहे।

4. शासन, प्रशासन एवं लोक नीति

एक उत्तरदायी शासन वही है जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाये। पारदर्शिता, ज़वाबदेही और दक्षता—ये प्रशासन के प्रमुख आधार हैं। बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए अनेक दूरदर्शी पहलें की गई हैं, जिनमें डिजि़टल माध्यमों के विस्तार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा सेवा-वितरण में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। इन प्रयासों से शासन-व्यवस्था में गति आई है और नागरिकों का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

5. संसदीय इतिहास के प्रेरक प्रसंग एवं व्यक्तित्व

भारत का संसदीय इतिहास अनेक गौरवपूर्ण क्षणों से परिपूर्ण है। संविधान-निर्माण से लेकर आर्थिक सुधारों तक, संसद ने समय-समय पर राष्ट्रहित में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों के पीछे अनेक दूरदर्शी व्यक्तित्वों का योगदान रहा है, जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्र को दिशा प्रदान की।

6. विधायी नवाचार एवं श्रेष्ठ प्रयोग

समय की आवश्यकता के अनुरूप विधायिका ने अनेक नवाचारों को अपनाया है। ई-विधान प्रणाली, डिजि़टल दस्तावेज़ीकरण तथा संसदीय समितियों की सशक्त भूमिका ने विधायी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया है। हाल के वर्षों में तकनीक के माध्यम से कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और दक्ष बनाने के प्रयासों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया है।

7. नागरिक सहभागिता और लोकतंत्र

लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। मतदान के अतिरिक्त जनसंवाद, जनसुनवाई और सामाजिक जागरुकता के माध्यम से नागरिक नीति-निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। जब नागरिक जागरूक होते हैं, तब लोकतंत्र सशक्त होता है और शासन अधिक उत्तरदायी बनता है।

8. तुलनात्मक संसदीय अध्ययन

विश्व के विभिन्न देशों की संसदीय प्रणालियों का अध्ययन हमें अपने लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा प्रदान करता है। विभिन्न मॉडलों के अनुभवों से सीख लेकर हम अपनी व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार कर सकते हैं और उन्हें अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

9. विधायी कार्यों में प्रौद्योगिकी का उपयोग

प्रौद्योगिकी ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में एक नयी क्रांति का सूत्रपात किया है। डिजि़टल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन संवाद और डेटा-आधारित नीति-निर्माण ने शासन को अधिक पारदर्शी एवं सुलभ बनाया है। वर्तमान समय में डिजि़टल इण्डिया-जैसे अभियानों ने विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है, जिससे निर्णय-प्रक्रिया अधिक त्वरित और प्रभावी बनी है।

शासन, प्रशासन एवं लोक-नीति

मनोज कुमार शौकीन*

शासन, प्रशासन और लोक-नीति किसी भी राष्ट्र की कार्यप्रणाली के तीन महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनके समन्वय से ही एक संगठित, सुव्यवस्थित और प्रगतिशील समाज का निर्माण सम्भव होता है। **शासन (गवर्नेंस)** का अर्थ केवल सरकार चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निर्णय लेने, संसाधनों के प्रबंधन, नागरिकों की भागीदारी तथा संस्थाओं के समुचित संचालन को शामिल किया जाता है। एक प्रभावी शासन वही माना जाता है जिसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, क़ानून का शासन और प्रभावशीलता-जैसे तत्त्व मौजूद हों। जब शासन इन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है, तब उसे सुशासन कहा जाता है, जो नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) शासन का क्रियान्वयन पक्ष होता है. जो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, नीतियों और योजनाओं को व्यवहार में लागू करता है। प्रशासनिक तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाएँ जनता तक सही तरीके से पहुँचें और उनका लाभ समाज के सभी वर्ग को मिले। प्रशासन के प्रमुख कार्यों में क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति करना, विकास-योजनाओं को लागू करना तथा संसाधनों का उचित प्रबंधन शामिल होता है। प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए संगठनात्मक अनुशासन, स्पष्ट नियम, प्रशिक्षित अधिकारी तथा तकनीकी दक्षता आवश्यक होती है। भारत में प्रशासनिक ढाँचा केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभाजित है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) जैसी संस्थाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. जैसे भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, निर्णय लेने में देरी तथा संसाधनों की कमी, जिन्हें सुधार के माध्यम से दूर करना आवश्यक है।

लोक-नीति (पब्लिक पॉलिसी) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार करती है। यह नीति-निर्माण की एक संगठित प्रक्रिया होती है जिसमें समस्या की पहचान, एजेंडा-निर्धारण, नीति-निर्माण, क्रियान्वयन और अंततः मूल्यांकन-जैसे चरण शामिल होते हैं। लोक-नीति का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना, समानता स्थापित करना और आर्थिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना होता है।

* विधायक, नांगलोई जाट, दिल्ली

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में बनाई गई नीतियाँ लीक-नीति के प्रमुख उदाहरण हैं। एक प्रभावी लोक-नीति वही होती है जो व्यावहारिक हो, समयानुकूल हो और समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करे।

शासन, प्रशासन और लोक-नीति के बीच गहरा और परस्पर सम्बन्ध होता है। शासन दिशा प्रदान करता है, लोक-नीति उस दिशा को योजनाओं और कार्यक्रमों के रूप में विकसित करती है और प्रशासन उन योजनाओं को लागू करता है। यदि इन तीनों के बीच समन्वय और संतुलन बना रहे, तो विकास की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है, अन्यथा योजनाएँ काग़ज़ों तक ही सीमित रह जाती हैं। इसलिए इन तीनों का सामञ्जस्य किसी भी देश की प्रगति के लिए अनिवार्य है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन तीनों की भूमिका और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ शासन जनता द्वारा चुना जाता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी, स्वतंत्र चुनाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे तत्त्व शासन को मज़बूत बनाते हैं। लोक-नीति का निर्माण भी जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के आधार पर किया जाता है, जबकि प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि इन नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

भारत में शासन और प्रशासन की संरचना संविधान द्वारा निर्धारित की गई है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन प्रमुख अंग होते हैं। भारत एक संघीय देश है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज और नगर निकायों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भी शासन और प्रशासन को सशक्त बनाया गया है, जिससे जन-भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

वर्तमान समय में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारों की आवश्यकता है। ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं को डिज़िटल बनाकर पारदर्शिता और गति बढ़ाई जा सकती है। सूचना का अधिकार-जैसे क़ानूनों से प्रशासन को ज़वाबदेह बनाया जा सकता है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, प्रशासनिक सुधार और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से शासन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

आज के समय में शासन और प्रशासन को कई नयी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे—बढ़ती जनसंख्या, बेरोज़गारी, पर्यावरण-संकट, शहरीकरण और तकनीकी असमानता। इन चुनौतियों का समाधान प्रभावी लोक-नीतियों और कुशल प्रशासन के माध्यम से ही सम्भव है। तकनीक ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे—डिज़िटल सेवाएँ, ऑनलाइन पोर्टल, आधार-प्रणाली और स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ, जिनसे पारदर्शिता और कार्यकुशलता में और सुधार हुआ है।

अंततः नागरिकों की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। एक जागरुक नागरिक न केवल अपने अधिकारों का उपयोग करता है, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करता है, जैसे क़ानून का पालन, कर-भुगतान, मतदान और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शासन, प्रशासन और लोक-नीति के प्रभावी समन्वय से ही एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण सम्भव है। यदि शासन पारदर्शी हो, प्रशासन कुशल हो और लोक-नीति जनहित में हो, तो देश निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। इसलिए सुशासन को अपनाना और इन तीनों स्तम्भों को मज़बूत करना किसी राष्ट्र की प्राथमिकता होनी चाहिए।

The Architecture of Accountability : Making the Case for the National Legislative Index

Lavanya Rathi*

Democratic governance rests on a foundational premise : that elected institutions will discharge their constitutional responsibilities with diligence, transparency, and rigour. In India's federal structure, this premise places an especially significant responsibility on state legislatures. They are the institutions closest to the citizens. They govern the domains that touch daily life most directly—education, health, agriculture, land, infrastructure, and public order. They scrutinise budgets that impact the lives of millions of citizens. They are, in the truest constitutional sense, the operational heart of Indian democracy.

It is therefore a matter of considerable institutional importance that India has, until now, lacked a systematic, comparative, and publicly available framework for evaluating how well its state legislatures perform these functions. No institution improves in a sustained and structured way without honest assessment of its current condition. This principle, well-established in the administration of every other public service, applies with equal force to legislative bodies. Education systems that track learning outcomes reform their pedagogies. Health systems that measure delivery reform their infrastructure. Governance frameworks that benchmark performance reform their processes. Legislatures are not exempt from this logic—and the National Legislative Index proceeds from precisely this understanding.

The introduction of the NLI is timely for reasons that are well-documented. As the scope of state governance has expanded— encompassing digital regulation, climate resilience, urban infrastructure, and social security alongside its traditional domains—the demands placed

*Policy and Strategy Lead, Office of Hon’ble Speaker, Delhi Legislative Assembly.

on legislative institutions have grown correspondingly. State assemblies are today called upon to deliberate on matters of far greater technical complexity than at any previous point in their history. The question the NLI addresses is not whether our legislatures have fallen short, but whether they have the institutional tools—the committees, the research infrastructure, the digital systems, the structured session frameworks—to rise to the demands of a rapidly transforming India. Building those tools systematically, and measuring their adoption rigorously, is precisely what the Index proposes to do.

The Index will publish an annual score of 0 to 100 for every state assembly and legislative council in India, constructed from four domains that together define what a high-functioning legislature looks like. Legislative productivity establishes the baseline, whether an assembly is convening with sufficient frequency and duration to fulfil its constitutional mandate, tracking sitting days, session length, hours devoted to Question Hour, and time allocated to floor debate. Transparency and digitisation reflects the obligations of a legislature in an informed, connected democracy, live-streaming of proceedings, public availability of bills prior to passage, accessible committee reports, and searchable digital archives. India's National e-Vidhan Application has established the technical foundation for a fully paperless legislature; the NLI provides the accountability framework that translates that infrastructure into institutional practice. Finally, institutional capacity encompasses the research, knowledge, and human resource systems that enable legislators to perform their functions with competence.

Among the most significant contributions the NLI can make is to transform India's federal structure into a genuinely functioning system of institutional learning. Each of India's 28 states and 8 Union Territories administers its legislature under broadly similar constitutional arrangements, yet the variation in practice across these assemblies is considerable. Some have developed sophisticated pre-legislative consultation mechanisms. Others have built research and reference services that represent genuine institutional assets. Several have adopted digital tools that have meaningfully improved both the transparency and efficiency of their proceedings. These innovations are real and valuable—but in the absence of a common comparative framework, they remain isolated achievements rather than shared institutional property. The NLI creates the conditions for systematic peer learning. When an assembly can examine precisely where it stands relative to peers, on committee referral rates, on sitting days, on the adoption of digital tools, it possesses both a diagnosis and a direction. When Speakers' offices across the country are working from the same evidence base, the

exchange of knowledge that India's cooperative federal vision demands becomes possible in a structured and sustained way. This is the mechanism through which best practices travel, not through exhortation, but through evidence.

The NLI arrives at a moment of considerable national ambition. India's aspiration toward Viksit Bharat by 2047, a fully developed, globally competitive nation, carries with it an implicit requirement that every institution of governance function at a commensurately high standard. Legislatures are not peripheral to this aspiration. They are foundational to it. The quality of India's laws shapes the conditions under which its economy operates. The rigour with which state budgets are scrutinised determines the efficiency with which public investment reaches its intended beneficiaries. The transparency of legislative proceedings builds the civic trust upon which long-term democratic stability depends. A legislature that functions well is not merely a point of institutional pride, it is a material contributor to the national development agenda. The NLI aligns directly with the vision of One Nation, One Legislative Platform, the initiative to create a unified digital interface through which the proceedings, bills, and committee reports of every assembly are accessible to any citizen. This is cooperative federalism expressed in its most practical form: a national commons for democratic accountability in which every assembly contributes and every citizen benefits.

The effective realisation of the NLI will depend significantly on the institutional leadership that Speakers and Deputy Speakers are positioned to provide. The most consequential improvements in Indian legislative practice have historically been driven by this kind of institutional leadership, by Speakers who understood the chair not only as an instrument of procedural authority but as a platform for building the long-term capacity of their assemblies. The NLI creates the conditions under which that leadership can produce compounding, documented, and replicable results across the country.

Measurement is not an end in itself. It is the prerequisite for informed, sustained, and accountable improvement. The National Legislative Index is proposed as an annually published, state-wise benchmarking framework assessing all State Legislative Assemblies and Councils across India on legislative productivity, committee effectiveness, transparency, digitisation, and institutional capacity. It aligns with the vision of One Nation, One Legislative Platform and the national goal of Viksit Bharat 2047. For India's legislatures, it is both an opportunity and an obligation. And it arrives precisely when it is needed most.

From Information to Insight : AI and MLALAD Spending in Delhi

Deepika Sethia*

The central challenge in governance today is not the absence of information, but its effective use in decision-making. Public systems generate detailed records at every stage of action. Approvals, expenditures, execution timelines, and completion data are systematically documented. Yet decisions are often taken without fully drawing on this accumulated knowledge. This creates a gap between what is known and what is applied. AI becomes relevant in this space because it enables information to be used with greater clarity at the point where decisions are taken.

In Delhi, this limitation is particularly visible in the functioning of MLALAD spending. Each constituency is allocated ₹5 crore annually within a broader state budget exceeding ₹1,03,700 crore.** While modest in proportion, this allocation operates at the level where governance is most directly experienced. These funds support a continuous stream of local decisions, including road repairs, drainage improvements, water supply augmentation, and civic amenity development. Such interventions form the foundation of everyday governance and shape how citizens experience the state. It is at this level that the broader vision of national development is realised, through the quality and effectiveness of decisions that influence daily life.

The system through which these works are undertaken is structured and responsive. A need is identified, examined for feasibility, recommended, and executed by the concerned agency. Municipal bodies,

* Media Researcher, Delhi Legislative Assembly.

** https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/highlights_of_gnctd_budget_2026-27_english.pdf

the Public Works Department, the Delhi Jal Board, and other institutions carry out these works within their respective mandates. Each maintains detailed records of its activity. The information exists and is maintained with administrative precision.

The limitation emerges in how this information is used. Development in the city is carried out by multiple agencies operating within the same geographic area. Their activities frequently intersect, yet their records remain institutionally contained. When a new proposal is considered, there is no integrated view that brings together prior and ongoing work across departments in that locality. As a result, decisions are taken with clarity about present need, but without full visibility of recent interventions.

This creates a structural gap in decision-making. Similar works may be undertaken within short intervals, infrastructure may be altered soon after completion, and maintenance efforts may recur where underlying conditions remain unaddressed. These outcomes do not reflect inefficiency in execution. They reflect a system in which decisions are not consistently connected. Public expenditure remains active, yet its impact is not always cumulative.

AI and MLALAD in Delhi: From Fragmented Records to Integrated Decision Making

AI offers a practical means of addressing this limitation by organising existing information into a usable and integrated form. Its role is not to replace administrative judgment or alter institutional authority. It is to ensure that relevant information is available when decisions are taken.

When records from MLALAD and executing departments are aligned across core parameters such as location, nature of work, executing agency, cost, and timeline, they provide a unified view of development activity. This enables a proposal to be examined not only as a response to an immediate requirement, but in relation to earlier interventions and ongoing projects within the same locality. The decision itself remains unchanged. What improves is the quality of information informing that decision.

For administrative authorities, this allows for more precise scrutiny. Proposals can be evaluated for duplication, sequencing, and long-term relevance. For departments, it creates visibility across institutional boundaries, enabling better coordination without introducing additional administrative structures. Over time, this approach builds a continuous account of development, where patterns become visible, and gaps can be addressed more effectively.

It is at this point that a structured, data-integrated interface

becomes particularly relevant. One may consider a system that brings together these records and presents them at the point of decision-making. For ease of reference, this can be understood as a "**Nagar NIDHI Intelligence Framework**". It does not create a new scheme or alter governance structures. It functions as an enabling layer that organises information for more effective use within existing processes.

In operational terms, such a system would function as a common digital interface that integrates records from MLALAD and executing departments into a single platform. Works undertaken across agencies would be mapped against location, nature of intervention, executing body, cost, and timeline. As projects are sanctioned and completed, the system would continuously update, creating a live, evolving record of development activity across constituencies.

At the decision-makingstage, the system would act as a reference layer. When a proposal is considered, it would allow decision-makers to view prior works in the same locality, identify nearby ongoing or sanctioned projects, and assess whether the proposed intervention complements or duplicates existing activity. The authority to decide would remain unchanged, but the decision would be taken with a clearer understanding of context. Over time, this would enable better sequencing of works, reduce repetition, and ensure that public expenditure contributes to more sustained and coherent development outcomes.

Way Forward: MLALAD, Good Governance, and the Vision of Viksit Bharat

The MLALAD Fund is not merely a financial allocation for local works. It is a critical instrument of grassroots governance. It reflects how effectively elected representatives translate citizen needs into public action. In this sense, it directly embodies the core principles of good governance, including transparency, accountability, efficiency, responsiveness, and optimal utilisation of public resources. When MLALAD funds are used with clarity and precision, they strengthen public trust and improve the quality of service delivery.

This establishes a direct link with the vision of Viksit Bharat @2047. A developed India is not defined only by large-scale infrastructure or macroeconomic growth. It is equally dependent on the quality of governance at the local level. The efficient use of public funds, reduction of wasteful expenditure, and delivery of sustained outcomes are central to this vision. MLALAD, operating at the constituency level, becomes a direct channel through which these principles are realised in practice.

AI plays a pivotal role in this transformation. By integrating and organising data, it guarantees that decisions are well-informed, coordi-

nated, and aligned with long-term development objectives. It enhances transparency by making information readily accessible, reinforces accountability by linking decisions to existing records, and improves efficiency by reducing duplication and optimising task sequencing. Importantly, it accomplishes this without altering institutional roles or decision-making authority.

In this regard, AI fortifies governance not as a substitute for human judgment but as a supportive enhancement. It empowers elected representatives and administrators to act with greater awareness, ensuring that each intervention contributes to a broader and more coherent developmental trajectory.

The pathway toward Viksit Bharat lies in strengthening the connections between technology and governance. When local decision-making is informed by integrated information, public expenditure becomes more purposeful, outcomes are more durable, and governance becomes more responsive to citizens' needs. A Viksit Delhi, functioning with clarity and coordination at the grassroots level, emerges as an essential component of this national aspiration.

In this context, AI operates as a bridge between information and action, ensuring that governance is not only active but also aligned with the long-term goals of a developed and responsive India.

दिल्ली विधान सभा : सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता और आधुनिक लोकतंत्र की नई मिसाल

दिवांशी*

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में दिल्ली विधान सभा का भवन केवल ईंट-पत्थरों से बनी एक निर्जीव इमारत नहीं है, बल्कि यह देश के गौरवशाली इतिहास, संघर्ष और विकास का जीवंत साक्षी है। सन 1912 में निर्मित यह भवन इण्डो-सर्सैनिक शैली वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है, जिसे 'देश की पहली संसद'** होने का गौरव प्राप्त है। आज, एक शताब्दी से भी अधिक समय बीत जाने के बाद, माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह भवन 'विरासत और विकास' के एक नये युग में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली विधान सभा ने अपनी छतों पर 500 किलोवॉट क्षमता का अत्याधुनिक 'रूफटॉपसोलर पावर प्लांट' स्थापित कर एक ऐसा ऐतिहासिक कीर्तिमान रचा है, जिसने इसे भारत की पहली ऐसी विधान सभा बना दिया है जो अपनी ऊर्जा-आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से नवकरणीय स्त्रोतों पर निर्भर है। अब माननीय अध्यक्ष द्वारा इस क्षमता को बढ़ाकर 800 किलोवॉट करने का साहसिक निर्णय ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास की दिशा में एक और क्रांतिकारी कदम है, जो न केवल दिल्ली बल्कि पूरे विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए आधुनिक शासन का एक उत्कृष्ट और अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है।

इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना का विधिवत् उद्घाटन 03 अगस्त 2025 को केंद्रीय क़ानून एवं न्याय राज्य मंत्री माननीय श्री अर्जुनराम मेघवाल जी के कर-कमलों द्वारा संपन्न हुआ, जो दिल्ली के संसदीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह जुड़ गया है। यह उपलब्धि केवल एक तकनीकी या

* मीडिया-शोधकर्त्री, दिल्ली विधान सभा।

** वर्तमान दिल्ली विधान सभा भवन का निर्माण सन् 1912 में 'इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट' के रूप में हुआ, जिसका उपयोग सन् 1913 से 1920 तक 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौन्सिल' तथा 1921 से 1926 तक 'सेण्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली' के रूप में हुआ। सन् 1913 से पूर्व 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौन्सिल' की बैठकें कलकत्ते के गवर्नमेण्ट हाउस' (वायसराय-निवास, अब 'लोक-भवन') में आयोजित की जाती थीं, अतः दिल्ली विधान सभा भवन को देश का प्रथम संसद भवन कहा जाता है।

–सम्पादक।

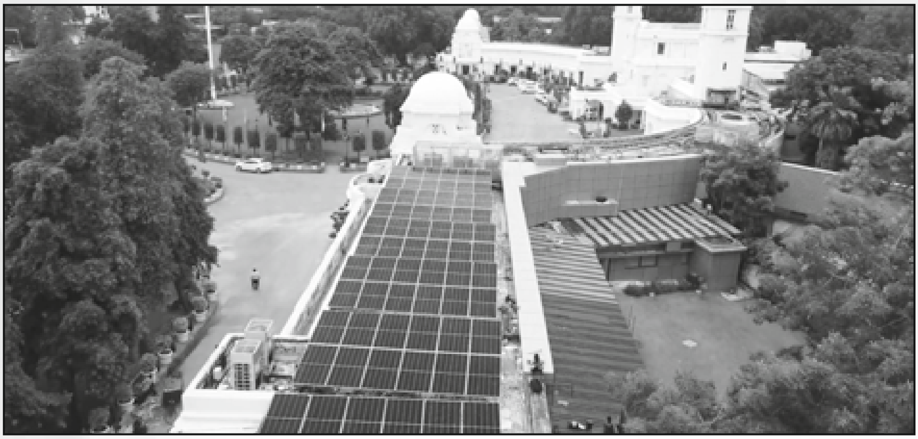

बुनियादी ढांचे की परियोजनामात्र नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त संदेश है कि जब लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्थान स्वयं को प्रकृति के संरक्षण हेतु समर्पित करता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव समाज, प्रशासन और राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के मानस पटल तक पहुँचता है। वर्तमान में विधान सभा की पूरी कार्यवाही, आधिकारिक सत्र और समस्त प्रशासनिक कार्य पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होता है जो पर्यावरण-संरक्षण के प्रति इस संस्थान की अडिग निष्ठा और शून्य कार्बन-उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ते कदमों का प्रमाण है।

तकनीकी दृष्टि से यह सौर ऊर्जा संयंत्र न केवल आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि यह आर्थिक कुशलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। प्राप्त आँकड़ों और विश्लेषण के अनुसार, इस 500 किलोवॉट के संयंत्र से विधान सभा सचिवालय को प्रति माह लगभग 15 लाख रुपये की प्रत्यक्ष बचत होने का अनुमान है, जो वार्षिक आधार पर लगभग 1.75 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बिजली बिल के बोझ को कम करेगा। इसके साथ ही, नेटमीटरिंग की उन्नत सुविधा के माध्यम से सत्र न होने के दिनों में उत्पादित अतिरिक्त बिजली को मुख्य ग्रिड को वापस भेजा जा सकता है, जिससे न केवल लागत की भरपाई तेजी से होगी बल्कि विधान सभा बिजली की उत्पादक भी बनेगी। माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी ने इस आर्थिक लाभ के पीछे की अपनी लोक-कल्याणकारी सोच को साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि पारम्परिक बिजली पर खर्च होनेवाली इस भारी धनराशि को अब दिल्ली की जनता की सुख-सुविधाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नयी विकासात्मक परियोजनाओं में पुनर्निवेश किया जाएगा। यह मॉडल वैश्विक स्तर पर सरकारी संस्थानों को यह सीख देता है कि ऊर्जा-प्रबंधन में सुधार करके किस प्रकार सार्वजनिक धन का उपयोग जनहित के कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

दिल्ली विधान सभा का यह कदम केवल राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की अन्य विधान सभाओं और राज्यों के लिए एक 'ब्लू प्रिंट' या प्रेरणा-पुञ्ज के रूप में उभरा है। वर्तमान में पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु-परिवर्तन के गम्भीर संकट से जूझ रहा है। अनियंत्रित कार्बन-उत्सर्जन के कारण बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर और बेमौसम बरसात-जैसी आपदाएँ मानवता के अस्तित्व के लिए ख़तरा बन गई हैं। ऐसे में, दिल्ली विधान सभा द्वारा सौर ऊर्जा को अपनाना सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग पर निर्णायक प्रहार है। जब एक प्रमुख विधायी संस्थान अपनी ऊर्जा-ज़रूरतों के लिए जीवाश्म

ईंधन (कोयला/गैस) के बजाय सूर्य की किरणों का चुनाव करता है, तो यह सालाना टन के हिसाब से कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है, जो पर्यावरण के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ दिल्ली विधान सभा ने सूचना-प्रौद्योगिकी के युग में 'नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन' (नेवा) के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से डिजि़टल शासन की एक नयी परिभाषा लिखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 'डिजि़टल इण्डिया 2.0' के विज़न के अंतर्गत मात्र 100 दिनों के रिकॉर्ड समय में ई-विधान के चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा किया गया। अब दिल्ली विधान सभा के सत्र पूरी तरह 'पेपरलेस' (काग़ज़रहित) संचालित हो रहे हैं, जो पर्यावरण-सुरक्षा की दृष्टि से एक महान् उपलब्धि है। सदन के भीतर प्रत्येक माननीय सदस्य के पास अब अपनी डेस्क पर स्मार्ट डेलीगेट यूनिट्स, माइक्रोफ़ोन, वोटिंग पैनल और आईपैड जैसी अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से वे विधायी दस्तावेज़ों, विधेयकों और प्रश्नों के उत्तरों तक रियल-टाइम डिजि़टल पहुँच प्राप्त करते हैं। काग़ज़ों के इस न्यूनतम और शून्य उपयोग से न केवल हज़ारों पेड़ों को कटने से बचाया जा रहा है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता, डेटा-सुरक्षा और कार्य की गति में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह व्यवस्था 'वन नेशन, वन एप्लिकेशन' के उस सपने को हक़ीकत में बदलती है, जहाँ तकनीक और लोकतंत्र साथ मिलकर आम जनता की सेवा करते हैं।

दिल्ली विधान सभा की यह दोहरी उपलब्धि—पूर्णतः सौरऊर्जा-संचालित होना और पूर्णतः पेपरलेस होना—माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत 2047' के व्यापक विज़न और 'पीएम सूर्य घर : मुफ़्त बिजली योजना' के राष्ट्रीय संकल्पों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार देश के प्रत्येक घर को 'सूर्य घर' बनाने और नागरिकों को मुफ़्त बिजली के साथ-साथ बिजली का उत्पादक बनाने का आह्वान किया है, दिल्ली विधान सभा का यह कदम उसी दिशा में एक मार्गदर्शक पहल है। जब देश की राजधानी का यह ऐतिहासिक विधायी संस्थान सूर्य की अनन्त शक्ति को अपनाता है, तो यह आम नागरिकों के मन में सौर ऊर्जा के प्रति विश्वास और गौरव का भाव जगाता है। यह पहल भारत के उस वैश्विक नेतृत्व को भी वैश्विक पटल पर मज़बूती प्रदान करती है, जहाँ हमारा देश 'इंटरनेशनल सोलर अलायंस' के माध्यम से दुनिया को जीवाश्म ईंधन से मुक्त होकर हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है। 500 किलोवॉट से बढ़ाकर 800 किलोवॉट तक का विस्तार इसी दूरगामी सोच का परिचायक है कि हम न केवल आज की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि आनेवाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त और सुरक्षित भविष्य की मज़बूत नींव रख रहे हैं।

यह ऐतिहासिक परिवर्तन विशेष रूप से दिल्ली जैसे महानगर के लिए एक संजीवनी के समान है, जो लम्बे समय से बढ़ते प्रदूषण और ऊर्जा की बढ़ती माँगों जैसी जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है। यदि दिल्ली के सभी सार्वजनिक संस्थान इसी प्रकार अपनी छतों पर सोलरपैनल लगाएँ और सौर ऊर्जा को अपना मुख्य ऊर्जा स्रोत बनाएँ, तो राजधानी बिजली-संकट से मुक्त होने के साथ-साथ कार्बन-उत्सर्जन में भारी कमी ला सकती है। विधान सभा के भीतर आयोजित सफल ट्रायल रन और उसके बाद सौर ऊर्जा पर चले पूर्ण सत्र ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बिठाना न केवल सम्भव है, बल्कि यह अनिवार्य भी है। यह युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है कि कैसे तकनीक का उपयोग समाज और प्रकृति के कल्याण के लिए किया जा सकता है।

इस तरह की क्रांतिकारी परियोजनाओं की सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार इन्हें भारी सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करे। सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में आनेवाली शुरुआती लागत अक्सर आम नागरिकों और छोटे संस्थानों के लिए एक बाधा बनती है। यदि सरकार उदारतापूर्वक सब्सिडी प्रदान करे और प्रक्रियाओं को सरल बनाए, तो न केवल सरकारी संस्थान बल्कि निजी क्षेत्र भी इसे अपनाने में तेजी दिखाएँगे। इस दिशा में व्यापक जन-जागरुकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है, ताकि लोग सौर ऊर्जा को केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य ज़िम्मेदारी के रूप में देखें। जब शिक्षण संस्थान, अस्पताल और कार्यालय इसी गति और संकल्प के साथ सौर पैनल अपनाएँगे, तो समाज में एक व्यापक सकारात्मक संदेश जाएगा।

लोकतंत्र के इस मंदिर से शुरू हुई यह हरित क्रांति जब बड़े संस्थानों से होती हुई समाज के निचले स्तर तक पहुँचेगी, तो इसका प्रभाव अभूतपूर्व होगा। जब आम नागरिक देखेंगे कि उनकी विधान सभा और बड़े सरकारी कार्यालय सौर ऊर्जा से कुशलतापूर्वक चल रहे हैं, तो उनमें आत्मविश्वास का संचार होगा। यह गौरव और भरोसे का भाव उन्हें अपने स्वयं के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित करेगा। यह 'संस्थान से घर' (इंस्टीट्यूट टु होम) का मॉडल ही अंततः प्रधानमंत्री जी के 'सूर्य घर' के सपने को हर घर की हक़ीक़त बनाएगा, जिससे न केवल लोगों का बिजली बिल शून्य होगा, बल्कि राष्ट्र भी ऊर्जा के क्षेत्र में वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा।

दिल्ली विधान सभा ने अपने कार्यों और नवाचारों से यह सिद्ध कर दिया है कि अटूट संकल्प और कुशल नेतृत्व के बल पर किसी भी ऐतिहासिक धरोहर को आधुनिकता और पर्यावरण चेतना के जीवन्त केंद्र में बदला जा सकता है। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी के नेतृत्व में यह संस्थान आज केवल क़ानून बनानेवाली संस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और तकनीकी उत्कृष्टता का एक वैश्विक प्रतीक बन गया है। यहाँ की सदन की कार्यवाही का सौर ऊर्जा पर चलना और बिना काग़ज़ के डिज़िटल माध्यम से संपन्न होना, भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और आधुनिकता का प्रमाण है। दिल्ली विधान सभा ने परिवर्तन की जो मशाल जलाई है, उसकी उज्ज्वल रोशनी अब दिल्ली की गलियों से निकलकर पूरे देश के हर राज्य और विश्व के हर सदन तक पहुँचनी चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण कर सकें जो ऊर्जावान् भी हो और प्रकृति के प्रति संवेदनशील भी। सौर ऊर्जा की यह नयी मिसाल आनेवाले समय में एक स्वच्छ और समृद्ध भविष्य का आधार बनेगी, जहाँ हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएँ मानवता को एक बेहतर और हरित कल की दिशा दिखाएँगी।

8वीं विधान सभा के शीतकालीन सत्र में लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय*

सत्र का अवलोकन

दिल्ली विधान सभा के 8वें कार्यकाल का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र दिनांक 05 से 09 जनवरी 2026 के बीच पाँच बैठक दिनों में आयोजित किया गया। सत्र का शुभारम्भ 05 जनवरी को हुआ और 09 जनवरी 2026 को माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में सदन ने कुल 12 घंटे 39 मिनट कार्य किया। सत्र का मुख्य उद्देश्य प्रश्नकाल का संचालन, वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रस्तुति, चार विधेयकों का परिचय एवं पारित करना तथा अन्य विधायी और समिति सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन था।

उपराज्यपाल का अभिभाषण एवं धन्यवाद-प्रस्ताव

दिनांक 05 जनवरी 2026 को माननीय उपराज्यपाल ने सदन को सम्बोधित किया। इसके उपरांत 06 जनवरी को माननीय मंत्री श्री रविंद्र इन्द्राज सिंह ने धन्यवाद-प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव पर कुल 13 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, जिनमें माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट और मंत्री श्री आशीष सूद शामिल थे। चर्चा का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया और 09 जनवरी को यह प्रस्ताव ध्वनि-मत से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

शोक-सन्दर्भ

सत्र के दौरान सदन ने पूर्व विधायक श्री राजेश गहलोत, पूर्व सांसद एवं पूर्व नेता-प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व विधायक श्री विनय शर्मा तथा 10 नवम्बर 2025 को लाल किला, दिल्ली के निकट कार विस्फोट में मृत 15 व्यक्तियों को श्रद्धाञ्जलि अर्पित की। सदन ने उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर सम्मान व्यक्त किया।

अनुशासनात्मक कार्रवाई

दिनांक 05 जनवरी 2026 को माननीय मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर अव्यवस्थित आचरण के कारण सर्वश्री संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जरनैल सिंह को 05, 06 और 07 जनवरी के लिए निलंबित किया गया। इसके बाद 09 जनवरी को पुनः व्यवधान उत्पन्न होने पर मुख्य सचेतक श्री अभय वर्मा द्वारा प्रस्ताव लाकर इन चारों सदस्यों को शेष सत्र के लिए भी निलंबित कर दिया गया।

* शीतकालीन सत्र : 05 जनवरी 2026 से 09 जनवरी 2026 तक।

प्रश्नकाल

सत्र के दौरान कुल 351 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। इनमें से 60 तारांकित और 263 अतारांकित प्रश्नों को स्वीकार कर सदन के पटल पर रखा गया। 20 प्रश्न अस्वीकृत किए गए तथा 8 प्रश्नों को आपस में संयोजित किया गया।

विशेष उल्लेख (नियम 280)

सत्र के दौरान कुल 124 विशेष उल्लेख सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें से 43 मामलों को नियम 280 के अंतर्गत सदन में औपचारिक रूप से उठाया गया।

मंत्री-वक्तव्य (नियम 270)

सत्र के दौरान चार महत्त्वपूर्ण मंत्री वक्तव्य दिए गए। श्री कपिल मिश्रा ने 06 जनवरी को श्री गुरु तेगबहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर वक्तव्य दिया, जिस पर सात सदस्यों ने चर्चा की। श्री प्रवेश साहिब सिंह ने 09 जनवरी को पेयजल-आपूर्ति पर वक्तव्य दिया। श्री आशीष सूद ने 'वन्दे मातरम्' की 150वीं वर्षगाँठ पर वक्तव्य दिया, जिसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से पूर्ण राष्ट्रगीत बजाने का निर्णय लिया। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के पर्यावरण और प्रदूषण-नियंत्रण उपायों पर वक्तव्य दिया, जिसमें 12 सदस्यों ने भाग लिया।

विशेषाधिकार समिति

सत्र की कार्यवाही का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा विशेषाधिकार मामलों पर केंद्रित रहा। 06 जनवरी को श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत ने समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 09 जनवरी को पारित किया गया। सदन ने सर्वश्री अरविन्द केजरीवाल, रामनिवास गोयल और मनीष सिसोदिया तथा श्रीमती राखी बिड़ला को समिति की बैठकों में अनुपस्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही, नेता-प्रतिपक्ष सुश्री आतिशी की टिप्पणियों को भी समिति को संदर्भित किया गया और उनकी वीडियो-रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक जांच हेतु भेजने के निर्देश दिए गये।

अनुपूरक अनुदान मांगें

माननीय मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें सदन में प्रस्तुत कीं। इन मांगों पर विचार कर उन्हें ध्वनिमत से पारित किया गया।

पटल पर रखे गए पत्र

दिनांक 06 जनवरी को ऊर्जा मंत्री श्री आशीष सूद द्वारा कई महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ सदन के पटल पर रखे गए। इनमें दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (2023-24), विभिन्न अधिसूचनाएँ, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्ट शामिल थीं।

विधेयकों का प्रस्तुतीकरण एवं पारित होना

सत्र के दौरान चार महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए गए और पारित किए गए, जिनमें कोर्ट फ़ीस (दिल्ली संशोधन) विधेयक, दिल्ली जनविश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक, दिल्ली दुकान एवं स्थापना

(संशोधन) विधेयक तथा दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2026 शामिल हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

कोर्ट फ़ीस (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2026 : यह अधिनियम कोर्ट फ़ीस अधिनियम, 1870 में संशोधन करता है और यह प्रावधान करता है कि यदि किसी वाद या अपील में पक्षकार आपसी समझौते से विवाद का समाधान कर लेते हैं, तो वादी को जमा की गई कोर्ट फ़ीस की पूर्ण वापसी का अधिकार होगा। इसके साथ ही पूर्व में जोड़ी गई धारा 16ए को समाप्त कर दिया गया है।

दिल्ली जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक, 2026 : यह विधेयक विभिन्न छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उन्हें नागरिक दंड में परिवर्तित करने का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत आठ दिल्ली क़ानूनों में संशोधन किया गया है, जिससे व्यापार करने में सुगमता बढ़ेगी और न्यायालयों पर भार कम होगा। गम्भीर अपराधों को इस दायरे से बाहर रखा गया है तथा दंडराशि में समय-समय पर वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है।

दिल्ली दुकान एवं स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2026 : यह अधिनियम कार्यस्थलों के संचालन से सम्बन्धित प्रावधानों में महत्त्वपूर्ण बदलाव करता है। इसके तहत 20 या अधिक कर्मचारियोंवाले प्रतिष्ठानों पर यह क़ानून लागू होगा, कार्य के घंटे बढ़ाकर 10 किए गए हैं तथा महिलाओं को आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ओवरटाइम और विश्रामावधि से सम्बन्धित प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है।

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2026 : यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक विनियोग से संबंधित है, जिसके तहत ₹9,816 करोड़ की राशि व्यय के लिए स्वीकृत की गई है। यह राशि परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास, पेंशन, ऊर्जा और पर्यावरण-जैसे प्रमुख क्षेत्रों में खर्च की जाएगी और दिल्ली की समेकित निधि से निकाली जाएगी।

इस प्रकार, दिल्ली विधान सभा का यह शीतकालीन सत्र विधायी और वित्तीय दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा, जिसमें पारित विधेयकों और लिए गए निर्णयों के माध्यम से प्रशासनिक सुधार, सुशासन और जनकल्याण को आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गये।

8वीं दिल्ली विधान सभा का बजट-सत्र 2026 : सुशासन और वित्तीय अनुशासन का प्रतिबिम्ब

आठवीं दिल्ली विधान सभा का बजट सत्र दिनांक 23, 24, 25 और 27 मार्च 2026 को कुल चार बैठक दिवसों में आयोजित हुआ। सदन में कुल 70 सदस्य हैं। यह सत्र मुख्य रूप से वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट, वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक मांगों तथा अन्य विधायी कार्यों को प्रस्तुत और पारित करने के लिए बुलाया गया था।

मुख्य कार्यवाही

1. **दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण (2025-26) की प्रस्तुति**

   सत्र की शुरुआत माननीया वित्त मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत करने से हुई, जिसने आगामी बजट प्रस्तावों के लिए आर्थिक पृष्ठभूमि प्रदान की।

2. **लोक लेखा समिति की रिपोर्टों की प्रस्तुति**

   लोक लेखा समिति की पहली, दूसरी और तीसरी रिपोर्ट क्रमशः श्री अजय कुमार महावर (अध्यक्ष), श्री अरविंदर सिंह लवली और श्री सतीश उपाध्याय द्वारा सदन में प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त विशेषाधिकार समिति की द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत की गई।

3. **वित्तीय समितियों का निर्वाचन**

   सदन ने तीन प्रमुख वित्तीय निगरानी समितियों—लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति के लिए प्रत्येक में 9 सदस्यों का निर्वाचन किया, जिनका कार्यकाल 01 अप्रैल 2026 से प्रारम्भ होना है।

4. **बजट पर चर्चा**

   वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट पर सामान्य चर्चा सदन में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, श्री प्रवेश साहिब सिंह, श्री अरविंदर सिंह लवली सहित अनेक सदस्यों ने भाग लिया।

5. **प्रस्तुत एवं पारित विधेयक**

   सत्र के दौरान तीन विधेयक प्रस्तुत किए गए :

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2026

विधेयक-संख्या 06, 2026। प्रस्तुत : 24 मार्च 2026। प्रस्तावक : श्रीमती रेखा गुप्ता, वित्त मंत्री

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2026 को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए व्यय-

पूर्ति हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से धन-निकासी को अधिकृत करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के माध्यम से कुल 6,514 करोड़ 58 लाख 14 हज़ार रुपये की राशि विभिन्न सरकारी सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित करने का प्रस्ताव है। इसमें से लगभग 5,720 करोड़ रुपये दिल्ली विधान सभा द्वारा अनुमोदित अनुदानों के अंतर्गत आते हैं, जबकि 793 करोड़ रुपये संचित निधि पर आरोपित व्यय हैं। प्रमुख आवंटनों में परिवहन (28,578 करोड़ पूंजीगत), लोक निर्माण (24,134 करोड़ पूंजीगत), राजस्व (1,544 करोड़), नागरिक आपूर्ति (1,496 करोड़) तथा सार्वजनिक ऋण सेवा (7,850 करोड़) शामिल हैं। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है और इसमें किसी भी अधीनस्थ प्राधिकरण को अतिरिक्त विधायी शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं।

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026

विधेयक-संख्या 07, 2026। प्रस्तुत : 27 मार्च 2026। प्रस्तावक : श्रीमती रेखा गुप्ता, वित्त मंत्री

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026 वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए मुख्य विनियोग विधेयक है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को संचित निधि से कुल 1,03,751 करोड़ 49 लाख रुपये की राशि सरकारी सेवाओं पर व्यय हेतु आहरित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस कुल राशि में से 95,889 करोड़ रुपये विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में हैं, जबकि 7,861 करोड़ रुपये संचित निधि पर आरोपित व्यय हैं। इस विधेयक में विभिन्न विभागों और सेवाओं को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख आवंटन शिक्षा (1,78,637 करोड़ राजस्व एवं पूंजीगत), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (1,12,122 करोड़), शहरी विकास (80,855 करोड़ पूंजीगत), परिवहन (38,001 करोड़ पूंजीगत), लोक निर्माण (38,054 करोड़ पूंजीगत) तथा सार्वजनिक ऋण (69,880 करोड़ रुपये) के लिए हैं। यह विधेयक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली के पूर्ण वार्षिक बजट विनियोग का प्रतिनिधित्व करता है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 29 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

सोसाइटी-पंजीकरण (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2026

विधेयक-संख्या 05, 2026। प्रस्तावक : श्रीमती रेखा गुप्ता, राजस्व विभाग मंत्री

यह एक महत्त्वपूर्ण विधायी सुधार विधेयक है, जिसका उद्देश्य सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में संशोधन करना है, जैसा कि यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में लागू है। वर्तमान क़ानून, जो 160 वर्षों से अधिक समय से प्रभावी है, में एक महत्त्वपूर्ण कमी है कि इसमें एक बार पंजीकृत सोसाइटी के पंजीकरण को निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह विधेयक इस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। इसके तहत अधिनियम में एक नयी धारा 12डी जोड़ने का प्रस्ताव है, जो पंजीयक को लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी का पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार प्रदान करती है। यह कार्रवाई उन स्थितियों में की जा सकती है जब सोसाइटी का पंजीकरण या नाम अधिनियम या अन्य प्रचलित क़ानूनों के विरुद्ध हो, या उसकी गतिविधियाँ उसके घोषित उद्देश्यों के विपरीत अथवा सार्वजनिक नीति के ख़िलाफ़ हों, या पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाणपत्र धोखाधड़ी या मिथ्या प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया हो।

विधेयक में आवश्यक सुरक्षा-प्रावधान भी शामिल हैं, जिनके अनुसार किसी भी सोसाइटी का पंजीकरण निरस्त करने से पहले उसे अपना नाम या उद्देश्य संशोधित करने अथवा प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अपील की व्यवस्था भी की गई है, जिसके अंतर्गत कोई भी प्रभावित सोसाइटी एक माह के भीतर मण्डलायुक्त के समक्ष अपील कर सकती है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं होगा। इस विधेयक का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है और यह किसी भी अधीनस्थ प्राधिकरण को विधायी शक्तियाँ प्रदान नहीं करता है।

विधान सभा सदन में हुआ अटल जी और महामना के चित्रों का अनावरण

दिल्ली विधान सभा सदन में 03 जनवरी 2026 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा भारत रत्न महामना पंडित मदनमोहन मालवीय के चित्रों का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार श्री गुंजन अग्रवाल द्वारा सम्पादित कॉफ़ी टेबल बुक 'भारतमाता : चित्रकला, स्थापत्य एवं साहित्य में अभिव्यक्त भारतीय राष्ट्रवाद' का विमोचन तथा 'संसदीय पथ के आलोक स्तम्भ' शीर्षक वृत्तचित्र का प्रदर्शन भी किया गया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों नेताओं का जीवन 'राष्ट्र प्रथम', नैतिक राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों की ऐसी परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सार्वजनिक जीवन को आज भी दिशा प्रदान करती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, विधान सभा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के अध्यक्ष पद्मभूषण रामबहादुर राय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

विधान सभा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधान सभा सदन में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मालवीयजी के चित्रों की स्थापना केवल एक औपचारिक श्रद्धाञ्जलि नहीं, बल्कि राष्ट्रजीवन को दिशा देनेवाले उन आदर्शों का पुनर्स्मरण है, जिन्होंने भारत की लोकतांत्रिक परम्परा को गहराई और स्थायीत्व प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने इसे राष्ट्र-निर्माण की निरंतर प्रक्रिया से जोड़ते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तित्वों की विरासत को व्यवहार में उतारना ही सच्ची श्रद्धाञ्जलि है।

'बलिदान दिवस' पर राजा नाहर सिंह को श्रद्धाञ्जलि, विधान सभा में उनके साहस का स्मरण

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 09 जनवरी 2026 को 'बलिदान दिवस' के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी राजा नाहर सिंह को पुष्पाञ्जलि अर्पित करते हुए उनके साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजा नाहर

सिंह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दृढ़ता से संघर्ष किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया, जो आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भी उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मात्र 32 वर्ष की आयु में राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजी सत्ता के सामने झुकने से इनकार करते हुए वीरतापूर्वक संघर्ष किया और 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में उन्हें फांसी दी गई। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने कहा कि बलिदान दिवस केवल स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि उन मूल्यों के प्रति पुनः प्रतिबद्धता का क्षण है, जिन्हें ऐसे वीरों ने अपने जीवन से स्थापित किया।

विश्व पुस्तक मेले में 'शताब्दी यात्रा : वीर विट्ठलभाई' पर दिल्ली विधान सभा की ओर से संगोष्ठी का आयोजन

भारत मंडपम् में आयोजित विश्व पुस्तक में 17 जनवरी 2026 को दिल्ली विधान सभा द्वारा प्रकाशित कॉफ़ी टेबल बुक 'शताब्दी यात्रा : वीर विट्ठलभाई' पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि इतिहास केवल अतीत का विवरण नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना और राष्ट्रीय चरित्र की आधारशिला है। उन्होंने विट्ठलभाई पटेल की विरासत को पुनर्जीवित करने को लोकतांत्रिक दायित्व बताते हुए कहा कि उनके विधायी योगदान और नैतिक नेतृत्व ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और संसदीय परम्पराओं को नयी दिशा दी। कार्यक्रम में दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता सहित अनेक विद्वानों, इतिहासकारों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अपने सम्बोधन में श्री विजेन्द्र गुप्ता ने सन् 1912 से 1933 की अवधि को स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक चरण बताते हुए कहा कि विट्ठलभाई पटेल ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र की संस्थागत नींव रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधान सभा भवन केवल औपनिवेशिक धरोहर नहीं, बल्कि जीवंत लोकतांत्रिक स्थल है, जिसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। संगोष्ठी में वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया तथा एक क्यूआर कोड भी लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से इस महत्त्वपूर्ण प्रकाशन को व्यापक जनसमूह तक पहुँचाने का प्रयास किया गया।

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधान सभा परिसर में आयोजित हुआ विशेष समारोह, आम जनता के लिए खोली गई विधान सभा

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधान सभा परिसर में आयोजित समारोह में नागरिकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस जनता की शक्ति, संविधान की मजबूती और भारतीय लोकतंत्र की अटूट भावना का उत्सव है। इस अवसर पर विधान सभा के ऐतिहासिक परिसर को आम नागरिकों के लिए खोला गया, जहां परिवारों, विद्यार्थियों और विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिल्ली पुलिस बैंड की देशभक्ति धुनों, साहित्य कला अकादमी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और तिरंगे रंगों से सजी विधान सभा की भव्य रोशनी ने पूरे वातावरण को देशभक्ति और गर्व की भावना से भर दिया।

अपने सम्बोधन में श्री गुप्ता ने कहा कि गणतंत्र दिवस लोकतांत्रिक आदर्शों की विजय का प्रतीक है। उन्होंने संविधान-निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से विशेषकर युवाओं में संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जागरुकता बढ़ती है। उन्होंने विधान सभा की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम और लोकतांत्रिक विकास के महत्त्वपूर्ण क्षणों का साक्षी रहा है, और राष्ट्रीय अवसरों पर इसे नागरिकों के लिए खोलना उन्हें संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों से और अधिक निकटता से जोड़ता है।

'शहीद दिवस' पर दिल्ली विधान सभा में गांधीजी के आदर्शों का पुनर्स्मरण

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 30 जनवरी 2026 को शहीद दिवस के अवसर पर विधान सभा परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पाञ्जलि अर्पित की और भारत के

स्वतंत्रता संग्राम तथा गणतंत्र की नैतिक आधारशिला में उनके अमूल्य योगदान को स्मरण किया। इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट, विधायकगण तथा विधान सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि गांधीजी का जीवन और उनका बलिदान आज भी राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों और सामूहिक चेतना को दिशा देता है। उन्होंने कहा कि अविश्वास के वर्तमान समय में सत्य और अहिंसा का मार्ग ही सबसे प्रासंगिक और स्थायी मार्गदर्शक है।

गांधीजी के बलिदान को भारत की स्वतंत्रता को सत्य, नैतिकता और निःस्वार्थ सेवा के उच्चतम आदर्शों से अभिसिंचित करनेवाला बताते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि ये मूल्य आज भी सुशासन और राष्ट्रीय जीवन के मूलाधार हैं। विधान सभा भवन की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संवाद, समावेशिता और असहमति के प्रति सम्मान जैसे गांधीवादी मूल्य भारत की संवैधानिक और विधायी परम्पराओं में गहराई से निहित हैं। उन्होंने इन आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और निःस्वार्थ कर्तव्यभाव के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

विधायकों के वार्षिक स्वास्थ्य-परीक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारम्भ

दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष, श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 02 फरवरी 2026 को संत परमानन्द अस्पताल में विधायकों के वार्षिक स्वास्थ्य-परीक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 02 फरवरी से 14 फरवरी 2026 तक चला , जिसके अंतर्गत प्रतिदिन चयनित विधायकों ने अपना स्वास्थ्य-परीक्षण कराया। इस पहल का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना था, ताकि वे बेहतर ढंग से जनसेवा कर सकें।

विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वस्थ, मानसिक रूप से सक्षम और सकारात्मक जनप्रतिनिधि ही प्रभावी शासन और सशक्त संस्थानों की नींव रखते हैं। उन्होंने चालीस वर्ष की आयु के बाद नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्त्व पर विशेष ज़ोर दिया और इसे एक अभिनव पहल बताया, जिसकी सराहना अन्य राज्यों द्वारा भी की जा रही है। इस कार्यक्रम से न केवल विधायकों में अपने स्वास्थ के प्रति जागरुकता बढ़ी, बल्कि देश की अन्य विधान सभाओं के लिए भी यह एक प्रेरणादायक मॉडल बना है।

सदन-समितियों की प्रभावशीलता सुदृढ़ करने हेतु परामर्श जारी

दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 15 फरवरी 2026 को आठवीं विधान सभा की विभिन्न सदन-समितियों के सदस्यों को परामर्श जारी करते हुए उनकी भूमिका को विधायी निगरानी की आधारशिला बताया। उन्होंने सदस्यों से नियमित उपस्थिति, गम्भीरता और सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि समितियाँ शासन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़े विषयों पर प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि समितियों में सार्थक भागीदारी से संस्थागत प्रक्रिया मज़बूत होती है और सुविचारित अनुशंसाएँ सुनिश्चित होती हैं।

इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, समिति-बैठकों में सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है, ताकि तथ्यात्मक जानकारी और प्रभावी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निर्णय-प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सके। यह पहल विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समिति-प्रणाली को अधिक प्रभावी और ज़वाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

'सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार' हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन

दिल्ली विधान सभा ने 12 मार्च 2026 को विधायी उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए 'सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार' के लिए उच्चस्तरीय चयन समिति का गठन किया। माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में गठित इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, ताकि चयन-प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन विधायकों को सम्मानित करना है जो सदन में उत्कृष्ट भागीदारी, जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने तथा संसदीय मर्यादाओं का पालन करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं।

इस पहल के अंतर्गत विधायकों का मूल्यांकन उनकी उपस्थिति, चर्चाओं में योगदान, सार्वजनिक मुद्दों की प्रासंगिकता और संसदीय आचरण के आधार पर किया जाएगा। अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि यह पुरस्कार केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का माध्यम है। 'मॉडल विधान सभा' के लक्ष्य की दिशा में यह कदम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, जिससे विधायी कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा और दिल्ली की जनता की आवाज़ को और अधिक प्रभावी ढंग से सदन में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

ऑडिबल ट्रैफिक सिग्नल लगाने का प्रस्ताव : समावेशी शहरी ढाँचे की दिशा विधान सभा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता की पहल

दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 17 मार्च 2026 को माननीय उपराज्यपाल

को पत्र लिखकर राजधानी में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु ट्रैफिक सिग्नलों पर 'ऑडिबल सिग्नल' (ध्वनि-आधारित संकेत) स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि वर्तमान यातायात-व्यवस्था दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे उनकी आवाजाही कठिन और ज़ोखिमपूर्ण हो जाती है। एम्स के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र के आँकड़ों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग दृष्टि-सम्बन्धी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसके मद्देनज़र सुरक्षित और सुगम पैदल पार-पथ की आवश्यकता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

अध्यक्ष ने जापान, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों के उदाहरण देते हुए बताया कि ऑडिबल सिग्नल जैसे उपाय वैश्विक स्तर पर सफल सिद्ध हुए हैं और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और समावेशी विकास की दिशा में एक आवश्यक कदम है। इस प्रस्ताव के माध्यम से दिल्ली को सच्चे अर्थों में 'स्मार्ट सिटी' बनाने और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुलभ शहरी वातावरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

'विधान-साथी' एआई चैटबॉट का शुभारम्भ : आधुनिक और सशक्त विधायी कार्यप्रणाली की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम

दिल्ली विधान सभा ने 19 मार्च 2026 को अपने कार्य-संचालन को अधिक प्रभावी और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में 'विधान-साथी' नामक एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया, जिसे बजट सत्र से लागू किया गया। विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म विधायकों को विधेयकों, अधिनियमों, समिति रिपोर्टों और नीतिगत विषयों का त्वरित एवं डेटा-आधारित विश्लेषण उपलब्ध कराएगा, जिससे वे सीमित समय में अधिक तथ्यात्मक और प्रभावशाली ढंग से सदन में अपनी बात रख सकेंगे। यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी तथा उपयोग में सरल बनाने के लिए प्रत्येक सदस्य को क्यूआर कोड और डिजिटल लिंक प्रदान किया जाएगा।

विधान सभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि 'विधान साथी' सदस्यों के स्वतंत्र विचारों का विकल्प नहीं, बल्कि उनकी कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने का एक सहायक उपकरण है, जिसे भविष्य में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) से भी जोड़ा जाएगा।

सरकारी स्कूलों के लिए लैपटॉप-वितरण पहल : सार्वजनिक संसाधनों के पुनः उपयोग से शिक्षा को बढ़ावा

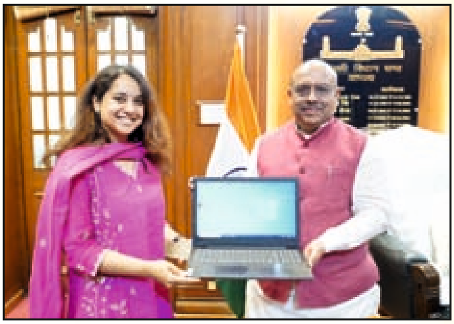

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 20 मार्च 2026 को शिक्षा निदेशालय को 15 लैपटॉप का पहला बैच सौंपते हुए सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सार्वजनिक सम्पत्ति का उद्देश्य राष्ट्र-निर्माण में योगदान देना होना चाहिए। यह पहल उन पुराने लेकिन सुचारू रूप से कार्यरत लैपटॉप के पुनः उपयोग पर आधारित है, जिन्हें अब दिल्ली के

सरकारी स्कूलों में छात्रों के डिज़िटल शिक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी चरणों में कुल 50-60 लैपटॉप वितरित किए जाएँगे, जिसमें विशेष प्राथमिकता उन छात्रों को दी जाएगी जिन्हें डिज़िटल संसाधनों की सबसे अधिक आवश्यकता है।

नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के लागू होने के बाद विधान सभा के कार्यों के डिज़िटलीकरण के चलते नये उपकरणों की खरीद की गई, जिसके परिणामस्वरूप पुराने लैपटॉप अब शिक्षा क्षेत्र में उपयोग के लिए उपलब्ध हुए हैं। इस पहल से सरकारी स्कूलों में डिज़िटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को तकनीक के साथ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। यह कदम संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

शहीद दिवस पर दिल्ली विधानसभा में महान् क्रान्तिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धाञ्जलि

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 23 मार्च 2026 को शहीद दिवस के अवसर पर विधान सभा परिसर में सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु और श्री सुखदेव को पुष्पाञ्जलि अर्पित कर राष्ट्र की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। इस अवसर पर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, मंत्रिपरिषद् के सदस्य, विधायकगण तथा विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि इन महान् क्रांतिकारियों का साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति आज भी देश के युवाओं को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि शहीदों की क्रांतिकारी चेतना और स्वतंत्रता के लिए उनका समर्पण भारत की लोकतांत्रिक चेतना का स्थायी आधार है।

शहीदों के बलिदान को राष्ट्र की स्वतंत्रता यात्रा का अमर अध्याय बताते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने न्याय, स्वाभिमान और देशभक्ति के जिन आदर्शों के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, वे आज भी राष्ट्रीय जीवन के लिए प्रेरणा-स्रोत हैं। विधान सभा परिसर के गरिमामय वातावरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह श्रद्धाञ्जलि केवल सन् 1931 के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रहित, कर्तव्यनिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए कहा कि शहीदों के सपनों का आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बनाना हम सभी का दायित्व है।

राज्यस्तरीय 'विकसित भारत' युवा संसद 2026 का आयोजन : नेतृत्व और लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा

दिल्ली विधान सभा परिसर में गत 30 मार्च 2026 को राज्यस्तरीय 'विकसित भारत' युवा संसद का आयोजन दिल्ली विधान सभा और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्त्वावधान में किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न ज़िलों से चयनित 50 प्रतिभागियों ने भाग लेकर नीति-निर्माण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ का प्रदर्शन किया। माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए कहा कि युवा 'विकसित भारत @2047' के वर्तमान शिल्पकार हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी राष्ट्र के भविष्य को दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने इस पहल को नेतृत्व-कौशल और नागरिक चेतना को विकसित करने का प्रभावी मंच बताया।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपने विचार प्रस्तुत कर लोकतांत्रिक संवाद और सहमति निर्माण की प्रक्रिया को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया। विधान सभा अध्यक्ष ने युवाओं को केवल समस्याओं की पहचान तक सीमित न रहकर उनके समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया तथा तथ्य-आधारित विमर्श के महत्त्व पर बल दिया। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित युवा संसद में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस पहल से युवाओं में ज़िम्मेदार नागरिकता, नेतृत्व-क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान मिलने की अपेक्षा है।

रॉलेट-सत्याग्रह की 107वीं वर्षगाँठ पर दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने की माननीय राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट : माननीया राष्ट्रपति ने शहीदों की स्मृति को जीवित रखने का दिया संदेश

दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 30 मार्च 2026 को रॉलेट-सत्याग्रह की 107वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत की माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने 1919 में चाँदनी चौक में हुए ऐतिहासिक रॉलेट सत्याग्रह की घटना से अवगत कराया तथा 'शताब्दी यात्रा : वीर विट्ठलभाई पटेल' कॉफ़ी-टेबल बुक भेंट की, जिसे राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति भवन पुस्तकालय में शामिल करने का निर्देश दिया। माननीया राष्ट्रपति ने शहीदों के बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि वर्तमान पीढ़ी को उनकी कुर्बानियों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना चाहिए।

भगवान महावीर जयंती पर दिल्ली विधान सभा में अहिंसा, संयम और सेवा के आदर्शों का हुआ पुनर्स्मरण

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री विजेंद्र गुप्ता ने 2 अप्रैल 2026 को भगवान महावीर के 2625वें जन्म कल्याणक वर्ष के अवसर पर विधान सभा परिसर में आयोजित ह्यभगवान महावीर गुणानुवादह्न कार्यक्रम में भगवान महावीर के अहिंसा, संयम, करुणा एवं सेवा के सिद्धांतों को मानवता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आज भी प्रासंगिक बताया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट, संत समाज के प्रतिनिधिगण, विधायकगण तथा विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ह्लसेवा परमो धर्मःह्व का सिद्धांत केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन और सुशासन का मूल आधार है।

भगवान महावीर की शिक्षाओं को लोकतांत्रिक परंपराओं और मानवीय मूल्यों की आधारशिला बताते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि सत्य के अनेक आयामों को स्वीकार करना ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भगवान महावीर को केवल धार्मिक प्रतीक के रूप में न देखकर, उनके विचारों को आधुनिक जीवनशैली और नैतिक आचरण का मार्गदर्शक बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि अशांति और भौतिकवाद के इस दौर में भगवान महावीर का संयम और आत्मानुशासन का मार्ग मानवता के लिए सबसे प्रभावी समाधान है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर दिल्ली विधानसभा में समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों का पुनर्स्मरण

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 14 अप्रैल 2026 को डॉ. भीमरावअम्बेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की और भारतीय संविधान तथा सामाजिक न्याय की स्थापना में उनके ऐतिहासिक योगदान को स्मरण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर समानता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रबल समर्थक थे तथा उनका जीवन आज भी राष्ट्र को समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए संविधान के आदर्शों तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के सम्मान और अधिकारों की रक्षा अत्यंत आवश्यक है।

बाबासाहेब की महान विरासत का उल्लेख करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे और उनकी दूरदर्शी सोच आज भी देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का मार्गदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर के विचार केवल ऐतिहासिक महत्व तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वर्तमान समय में भी सामाजिक समरसता, समान अवसर और न्यायपूर्ण शासन के मूल आधार बने हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना ही बाबासाहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

राज्य विधान सभाओं को सशक्त बनाने हेतु नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स पहल को मिला व्यापक समर्थन

दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, श्री विजेंद्र गुप्ता की पहल पर प्रस्तावित नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स (एनएलआई) को 17 अप्रैल 2026 को सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) का समर्थन प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में इस पहल को दूरदर्शी और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया। श्री गुप्ता ने कहा कि नेशनल लेजिस्लेटिव इण्डेक्स का उद्देश्य देश की विभिन्न विधान सभाओं के कार्य-प्रदर्शन का एकसमान एवं पारदर्शी ढाँचे के माध्यम से मूल्यांकन करना है, जिससे विधायी संस्थाओं की कार्यक्षमता,

ज़वाबदेही और जन-उत्तरदायित्व को और अधिक मज़बूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए पारदर्शिता, आत्म-मूल्यांकन और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना समय की आवश्यकता है।

विधायक डॉ. अनिल गोयल को दिल्ली विधान सभा का 'वार्षिक सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार' प्रदान किए जाने की घोषणा

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 23 अप्रैल 2026 को विधान सभा में आयोजित चयन समिति की बैठक के उपरांत कृष्णानगर के विधायक डॉ. अनिल गोयल को आठवीं विधान सभा के प्रतिष्ठित 'वार्षिक सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार' के लिए चयनित किए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर चयन समिति के सदस्यगण तथा विधान सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री गुप्ता ने कहा कि यह पुरस्कार संसदीय परम्पराओं, विधायी उत्कृष्टता और सुशासन के उच्च मानकों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि 18 वर्षों के अंतराल के बाद इस सम्मान की पुनर्स्थापना लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक उत्तरदायी, प्रभावी और जन-केंद्रित बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। श्री गुप्ता ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मज़बूती के लिए जनप्रतिनिधियों का सक्रिय, अनुशासित और सार्थक योगदान अत्यंत आवश्यक है।

विधायी कार्यों के व्यापक और पारदर्शी मूल्यांकन का उल्लेख करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि पुरस्कार चयन-प्रक्रिया में बहस की गुणवत्ता, सदन में उपस्थिति, समिति-कार्यों में सहभागिता, अनुशासन तथा डिज़िटल और पेपरलेस प्रणाली के उपयोग जैसे मानकों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य ऐसे जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करना है जो विधायी प्रक्रिया के प्रति समर्पण, ज़वाबदेही और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

'जलियाँवाला बाग़ स्मृति दिवस' पर दिल्ली विधान सभा में अमर शहीदों को किया गया याद

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 13 अप्रैल 2026 को जलियाँवाला बाग जनसंहार के 107वें स्मृति दिवस के अवसर पर अमर शहीदों को श्रद्धाञ्जलि अर्पित की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अद्वितीय बलिदान को स्मरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जलियाँवाला बाग़ की त्रासदी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की क्रूरता और भारतीय जनमानस के अदम्य साहस का प्रतीक है। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान दिल्ली विधान सभा भवन, जो उस समय इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौन्सिल के रूप में जाना जाता था, स्वतंत्रता संघर्ष के अनेक ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि 18 मार्च 1919 को इसी सभागार में भारतीय प्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसने देशभर में व्यापक

जनाक्रोश को जन्म दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नयी दिशा प्रदान की।

दिल्ली के चाँदनी चौक घंटाघर जनसंहार का उल्लेख करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि 30 मार्च 1919 को निहत्थे नागरिकों पर अंग्रेज़ी शासन द्वारा की गई गोलीबारी जलियाँवाला बाग़ त्रासदी का पूवार्भास थी। उन्होंने कहा कि मात्र चौदह दिन बाद अमृतसर के जलियाँवाला बाग़ में हुई भयावह घटना ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि इन अमर शहीदों का सर्वोच्च बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक शक्ति बना और पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर आज़ादी के संघर्ष में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली।

दिल्ली विधान सभा में वर्ष 2026-27 हेतु वित्तीय समितियों के अध्यक्षों की हुई घोषणा

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 24 अप्रैल 2026 को वर्ष 2026-27 के लिए विधान सभा की तीन प्रमुख वित्तीय समितियों के अध्यक्षों की घोषणा की। इसके अंतर्गत श्री अजय महावर को लोकलेखा समिति, श्री राजकुमार भाटिया को सरकारी उपक्रम समिति तथा श्री गजेन्द्र सिंह यादव को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय समितियाँ लोकतांत्रिक ज़वाबदेही, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन की आधारशिला होती हैं। उन्होंने कहा कि इन समितियों के माध्यम से जनता के धन के उपयोग और सरकारी कार्यों की गहन समीक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिससे शासन-व्यवस्था अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बनती है। श्री गुप्ता ने कहा कि वित्तीय निगरानी की सशक्त परम्परा लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता तथा सुशासन को और अधिक मज़बूत करती है।

वित्तीय समितियों की भूमिका और महत्त्व का उल्लेख करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि ये समितियाँ प्रशासनिक एवं वित्तीय विषयों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कर ज़वाबदेही सुनिश्चित करती हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त अध्यक्ष अपने दायित्वों का ईमानदारी, निष्पक्षता और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

'युद्ध-सम्मेलन' की 108वीं वर्षगांठ पर दिल्ली विधान सभा में सैनिकों के बलिदान और ऐतिहासिक विरासत का स्मरण

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 30 अप्रैल 2026 को विधान सभा सभागार में 'युद्ध-सम्मेलन' की 108वीं वर्षगाँठ पर आयोजित संगोष्ठी में भारत के सैनिकों के साहस, बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनकी कर्तव्यनिष्ठा को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मिजोरम के माननीय राज्यपाल जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह उपस्थित थे, जिन्होंने सन् 1918 के युद्ध-सम्मेलन की कार्यवाही 'प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द वॉर कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दिल्ली : 27-29 अप्रैल, 1918' का विमोचन किया। कार्यक्रम में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल, माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट, विधायकगण, पूर्व-सैनिकों के प्रतिनिधि, इतिहासकार तथा शिक्षाविद भी उपस्थित थे। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रथम विश्वयुद्ध में भारतीय सैनिकों का योगदान केवल सैन्य इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता यात्रा और राष्ट्रीय चेतना का महत्त्वपूर्ण

विधान सभा भवन की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि इसी भवन में सन् 1918 का ऐतिहासिक युद्ध-सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी, पण्डित मदनमोहन मालवीय, वीर विट्ठलभाई पटेल सहित अनेक राष्ट्रीय नेता तथा देशी शासक उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इस भवन का औपनिवेशिक सत्ता के केंद्र से लोकतांत्रिक संस्थान में परिवर्तन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महान् उपलब्धियों का प्रतीक है। प्रथम विश्वयुद्ध में 13 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों की भागीदारी और 74,000 से अधिक सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि इन वीरों की स्मृतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाये।

जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत युवाओं से संवाद

दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष, श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 11 फरवरी 2026 को 'माई भारत' के अंतर्गत आयोजित 17वें जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग दो सौ जनजातीय युवाओं और 36 युवा अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने युवाओं की भूमिका को 'विकसित भारत' के निर्माण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जब युवा आत्मविश्वास और जागरुकता के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होती है। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले, किन्तु अंतिम चयन से वंचित रह गए युवा अधिकारियों की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए सार्वजनिक सेवा को एक गरिमामयी मार्ग बताया।

इस अवसर पर प्रतिभागियों को दिल्ली विधान सभा का भ्रमण कराया गया, जहाँ उन्हें संस्थान की ऐतिहासिक एवं संवैधानिक विरासत से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान वीर विट्ठलभाई पटेल के योगदान पर आधारित वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया तथा 'शताब्दी-यात्रा : वीर विट्ठलभाई पटेल' कॉफ़ी टेबल बुक पर भी चर्चा हुई। विधान सभा अध्यक्ष ने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने, सामाजिक एकजुटता को बढ़ाने और अपने-अपने क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

दिल्ली विधान सभा में 'होली मिलन' समारोह : सांस्कृतिक सद्भाव और कूटनीतिक एकता का संगम

दिल्ली विधान सभा परिसर में 03 मार्च 2026 को आयोजित भव्य 'होली मिलन' समारोह में 30 से अधिक देशों के राजनयिकों, जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट अतिथियों ने भाग लेकर सांस्कृतिक एकता और अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का संदेश दिया। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष माननीय श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक भावना, सांस्कृतिक समृद्धि और सत्य की विजय का प्रतीक है। उन्होंने दिल्ली को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी बताते हुए कहा कि यह शहर कूटनीति के साथ-साथ संस्कृति और साझा परम्पराओं के माध्यम से भी वैश्विक समुदाय का स्वागत करता है।

समारोह में कथक नृत्य, कठपुतली प्रदर्शन, मल्लखंब और विभिन्न राज्यों के लोकनृत्यों सहित विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने 'विविधता में एकता' की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण विट्ठलभाई पटेल पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रही, जिसने भारत की संसदीय विरासत को रेखांकित किया। अपने संदेश में अध्यक्ष ने नागरिकों से सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल होली मनाने की अपील करते हुए हर्बल रंगों के उपयोग और जल-संरक्षण पर ज़ोर दिया।

कश्मीर युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत छात्रों का दिल्ली विधान सभा में स्वागत : लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ाव को बढ़ावा

दिल्ली विधान सभा ने 25 मार्च 2026 को कश्मीर युवा विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के सात ज़िलों से आए 110 छात्रों का स्वागत किया। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष श्री

विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि युवाओं का लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़ाव अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और उनकी उपस्थिति सदन के सदस्यों को गरिमा, अनुशासन एवं संसदीय मयार्दाओं को बनाए रखने की निरंतर प्रेरणा देती है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा 'माय भारत' के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित कराना है।

कार्यक्रम के दौरान छात्रों को विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन करने का अवसर मिला तथा वीर विट्ठलभाई पटेल पर आधारित वृत्तचित्र का भी प्रदर्शन किया गया, जिससे उन्हें भारत की संसदीय विरासत की जानकारी प्राप्त हुई। इसके उपरांत माननीय अध्यक्ष ने छात्रों के साथ संवाद कर उन्हें विधायी प्रक्रियाओं, संस्थागत महत्त्व और नागरिक ज़िम्मेदारियों से अवगत कराया। इस पहल से युवाओं में जागरूक नागरिकता, लोकतांत्रिक सहभागिता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान मिलने की अपेक्षा है।

दिल्ली विधान सभा में विद्यार्थियों के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक जागरुकता पर संवाद

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 08 अप्रैल 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगीभूत भारती कॉलेज़ के विद्यार्थियों के साथ विधान सभा परिसर में संवाद किया और युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं, संविधान तथा सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका को गहराई से समझने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को विधान सभा का भ्रमण कराया गया तथा सदन के इतिहास, विकास और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में उसकी भूमिका से अवगत कराया गया। विधान सभा

अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरुकता और सक्रिय लोकतांत्रिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा और सार्वजनिक जीवन के बीच समन्वय स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि युवा राष्ट्रोत्थान की प्रक्रिया में सार्थक योगदान दे सकें।

भारत की संसदीय और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का उल्लेख करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि विधान सभाएँ सदैव संवाद, प्रतिनिधित्व और जन-जागरण के महत्त्वपूर्ण केंद्र रही हैं। उन्होंने गोपालकृष्ण गोखले, वीर विट्ठभाई पटेल, लाला लाजपत राय और बिपिनचंद्र पाल-जैसे नेताओं के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि इन महान् व्यक्तित्वों ने लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को वीर विट्ठलभाई पटेल के जीवन पर आधारित वृत्तचित्र दिखाया गया तथा 'शताब्दी-यात्रा : वीर विट्ठलभाई पटेल' शीर्षक कॉफ़ी-टेबल बुक भी भेंट की गई।

अन्तरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमण्डल के दिल्ली विधान सभा दौरे में लोकतांत्रिक परम्पराओं और विधायी मसौदा-निर्माण की महत्ता पर प्रकाश

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 21 अप्रैल 2026 को 'प्राइड' कार्यक्रम के अंतर्गत 18 देशों से आए 43 प्रतिनिधियों के दल को संबोधित करते हुए लोकतांत्रिक शासन में विधायी मसौदा-निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बांग्लादेश, भूटान, ओमान, केन्या, श्रीलंका, फिलीपींस और तंजानिया सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने विधानसभा परिसर का भ्रमण किया तथा इसकी ऐतिहासिक एवं संस्थागत विरासत से अवगत हुए। श्री गुप्ता ने कहा कि किसी कानून की स्पष्टता और सटीकता ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, जवाबदेही सुनिश्चित करने और सुशासन को प्रभावी बनाने का आधार होती है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए विधायी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सतत संस्थागत सुधार अत्यंत आवश्यक हैं।

विधान सभा भवन की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि यह भवन भारतीय लोकतांत्रिक चेतना और संसदीय परंपराओं का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। उन्होंने श्री विठ्ठलभाई पटेल के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन तथा महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेताओं की इस भवन से जुड़ी ऐतिहासिक उपस्थिति को स्मरण किया। श्री गुप्ता ने बताया कि दिल्ली

विधानसभा को आधुनिक, पारदर्शी और पर्यावरण-अनुकूल संस्था के रूप में विकसित करने के लिए कई पहलें की जा चुकी है और कई योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिनमें सौर ऊर्जा संचालित व्यवस्था, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के माध्यम से पेपरलेस कार्यवाही, पुस्तकालय का डिजिटाइजेशन तथा संग्रहालय एवं लाइट एंड साउंड शो परियोजनाएं शामिल हैं।

दिल्ली विधान सभा में 'साप्ताहिक यूथ आउटरीच कार्यक्रम' के माध्यम से लोकतांत्रिक जागरुकता को बढ़ावा

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 25 अप्रैल 2026 को विधान सभा परिसर में 'साप्ताहिक यूथ आउटरीच कार्यक्रम' का शुभारम्भ किया, जिसके अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि कॉलेज़ ऑफ़ एजुकेशन, गीता कॉलोनी, दिल्ली के 75 विद्यार्थियों के दल ने विधान सभा का भ्रमण किया। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि यह पहल युवाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं, विधायी प्रक्रियाओं और सार्वजनिक जीवन की कार्यप्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को विधान सभा भ्रमण का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों, ज़वाबदेही और नागरिक सहभागिता के प्रति जागरुकता विकसित होगी।

दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 'तृतीय अंतरराष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन' के समापन सत्र को किया संबोधित

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने समवेत सभागार, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली में 11 जनवरी 2026 को आयोजित 'तृतीय अंतरराष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन' के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि सभ्यता के अतीत और लोकतांत्रिक भविष्य के बीच एक सजीव सेतु है। उन्होंने कहा कि भारत में भाषाई विविधता कभी विभाजन का कारण नहीं रही, बल्कि संवाद का आधार रही है।

'लेंग्वेज, लिटरेचर, यूथ एण्ड टेक्नोलॉज़ी' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देश-विदेश के विद्वानों, भाषाविदों और चिन्तकों ने भाग लिया, जबकि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपने सम्बोधन में श्री गुप्ता ने भारत की बहुभाषिक परम्परा को उसकी सभ्यतागत शक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि विभिन्न भाषाएँ परस्पर संवाद और सहअस्तित्व के माध्यम से विकसित हुई हैं। उन्होंने लिखित और मौखिक परम्पराओं के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भाषाएँ केवल साहित्यिक अभिलेखों में नहीं, बल्कि लोकजीवन, संस्कृति और स्मृति में भी जीवित रहती हैं। उन्होंने युवाओं और संस्थानों से आह्वान किया कि तकनीक के युग में भाषा की गहराई और संवेदनशीलता को बनाए रखते हुए इसे सृजनात्मकता और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जाये।

दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने भारत मण्डपम् में आयोजित 'विश्व शान्ति रामकथा' में लिया भाग; शान्ति और नैतिक नेतृत्व का दिया संदेश

भारत मण्डपम् में 17 से 25 जनवरी 2026 तक आयोजित नवदिवसीय 'विश्व शांति रामकथा' का शुभारम्भ दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता के संयोजकत्व में हुआ। इस अवसर पर आचार्य लोकेश मुनि जी और पूज्य मोरारी बापू की उपस्थिति में रामकथा को शांति, संवाद और नैतिक नेतृत्व के एक सशक्त मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्री गुप्ता ने कहा कि रामकथा केवल अतीत का वर्णन नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक नैतिक मार्गदर्शक है, जो विश्व को अहिंसा, करुणा

और संयम का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब विश्व हिंसा और अविश्वास के संकट से जूझ रहा है, तब भगवान् श्रीराम के आदर्श समाज और नेतृत्व के लिए दिशा प्रदान करते हैं।

दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने लखनऊ में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को किया सम्बोधित

दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 20 जनवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भाग किया। श्री गुप्ता ने अपने सम्बोधन में लोकतंत्र की आत्मा पर एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया—क्या ज़वाबदेही केवल व्यवस्था का हिस्सा है, या उसका जीवंत अभ्यास भी हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र की वैधता प्रावधानों से नहीं, बल्कि उन्हें निभाने की गम्भीरता से तय होती है। विधान सभाओं को लोकतांत्रिक शासन का सबसे प्रत्यक्ष मंच बताते हुए उन्होंने चेताया कि बैठकों और कार्य समय में गिरावट केवल प्रक्रियात्मक कमी नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधित्व और ज़वाबदेही की शक्ति को कमज़ोर करनेवाली प्रवृत्ति है।

विचार को इतिहास और वर्तमान से जोड़ते हुए श्री गुप्ता ने वीर विट्ठलभाई पटेल के उदाहरण का उल्लेख किया, जिन्होंने विधायिका की स्वतंत्रता और गरिमा को सुदृढ़ किया। उन्होंने कहा कि सदन में दिए गए मंत्रीगत आश्वासन केवल औपचारिक कथन नहीं, बल्कि सार्वजनिक प्रतिबद्धताएँ हैं, जिनकी निगरानी और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। आधुनिक सन्दर्भ में उन्होंने 'नेवा' और 'नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स' जैसी पहलों को पारदर्शिता, दक्षता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देनेवाला बताया। साथ ही, उन्होंने शोध-आधारित सहयोग और डेटा-आधारित विमर्श को विधायी गुणवत्ता सुधारने का मार्ग बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सतत सुधार और अनुशासन से लोकतंत्र की जड़ों को और मज़बूत किया जा सकता है।

'एस.ई.आर.यू.' पहल के तहत विधान सभा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता का लद्दाख के विद्यार्थियों से संवाद

दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 26 फरवरी 2026 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की 'एस.ई.आर.यू.' (क्षेत्रीय अनुभव और समझ में विद्यार्थियों की भागीदारी) पहल के अंतर्गत लद्दाख एवम् अन्य क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमण्डल के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शैक्षिक भ्रमण केवल भौगोलिक दूरी को कम नहीं करते, बल्कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करते हैं। अध्यक्ष ने छात्रों को लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यप्रणाली, संवाद और ज़वाबदेही की प्रक्रिया से अवगत कराते हुए 'विकसित भारत' के निर्माण में युवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।

संवाद के दौरान श्री गुप्ता ने दिल्ली विधान सभा के डिज़िटल और पर्यावरणीय परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के माध्यम से पूर्णतः पेपरलेस प्रणाली, रीयल-टाइम ऑडिट मॉनिटरिंग (एपीएमएस) तथा सौर ऊर्जा-आधारित 'ग्रीन लेजिस्लेचर' जैसी पहलों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ज़िम्मेदारी, नवीनताओं और एकता की भावना के साथ कार्य करें, क्योंकि विकसित भारत का मार्ग युवा नागरिकों के विचारों और संकल्प से ही प्रशस्त होगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता ने इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के छात्रों को किया सम्बोधित

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 02 मार्च 2026 को इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के छात्रों को संबोधित करते हुए लोकतंत्र में नैतिक मूल्यों और जनसेवा की भावना को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता का उद्देश्य समाज के अन्तिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य करना है। 'स्ट्रक्चर्ड फ़ील्ड स्टडी' के तहत आए छात्रों को विधान सभा की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए उन्होंने युवाओं को भविष्य के ज़िम्मेदार नेतृत्वकर्ता बनने के लिए प्रेरित किया तथा विकसित भारत के निर्माण में पारदर्शी और समावेशी शासन की आवश्यकता पर बल दिया।

अपने सम्बोधन में अध्यक्ष ने दिल्ली विधान सभा की आधुनिक पहलों का भी उल्लेख किया, जिसमें नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के माध्यम से पेपरलेस और सौर ऊर्जा आधारित 'ग्रीन

लेजिस्लेचर' बनने की उपलब्धि प्रमुख है। उन्होंने विधान सभा को 'हेरिटेज साइट' के रूप में जनता के लिए खोलने की योजना तथा विधायकों के प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु 'नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स' के प्रस्ताव की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में आयोजित संवादात्मक सत्र ने छात्रों को मूल्य-आधारित राजनीति और राष्ट्र-निर्माण के प्रति प्रेरित किया गया।

'माइण्ड्यूक्टर 14.0' में विधान सभा अध्यक्ष का सम्बोधन : नीति-निर्माण और जनसेवा पर बल

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 09 मार्च 2026 को श्रीराम कॉलेज़ ऑफ़ कॉमर्स में आयोजित 'माइण्ड्यूक्टर 14.0' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए सुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व और नीति-निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। अपने अल्मामेटर में छात्रों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की वास्तविक सफलता केवल बहस में नहीं, बल्कि ऐसी नीतियों में निहित है जो आम नागरिक के जीवन में ठोस और सकारात्मक परिवर्तन लायें। उन्होंने लोकतंत्र में असहमति को स्वाभाविक बताते हुए प्रभावी नीति-क्रियान्वयन को उसकी सबसे बड़ी कसौटी बताया।

अपने सम्बोधन में श्री गुप्ता ने 'विकसित भारत' के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए संस्थागत मज़बूती, पारदर्शिता और नैतिक नेतृत्व के महत्त्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने छात्रों को राष्ट्र-निर्माण के भविष्य के वाहक बताते हुए उनसे बौद्धिक ईमानदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व और जनहित को प्राथमिकता देने

का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी और उनके विचार तथा प्रयास यदि व्यापक राष्ट्रहित से प्रेरित होंगे, तो एक सशक्त, समावेशी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था का निर्माण सम्भव होगा।

स्पेन के राजदूत से विधान सभा अध्यक्ष की शिष्टाचार भेंट

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 13 मार्च 2026 को भारत में स्पेन के राजदूत महामहिम श्री जुआन एंतोनियो मार्च पुजोल से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात राजदूत के आमंत्रण पर सौहार्दपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित हुई, जहाँ दोनों पक्षों के बीच आत्मीय संवाद हुआ। अध्यक्ष ने इस अवसर पर राजदूत द्वारा प्रदान किए गए आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ करने की भावना को रेखांकित किया।

भेंट के दौरान आयोजित स्नेहपूर्ण लंच में स्पेनिश परम्परा से प्रेरित विशेष व्यञ्जनों का आनन्द लिया गया, जिन्हें भारतीय स्वाद के अनुरूप तैयार किया गया था। यह अनौपचारिक संवाद भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आपसी समझ और सहयोग को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर सिद्ध हुआ।

रॉलेट सत्याग्रह की 107वीं वर्षगाँठ पर श्री विजेन्द्र गुप्ता द्वारा चाँदनी चौक में जनसभा को सम्बोधन

दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 30 मार्च 2026 को रौलेट सत्याग्रह की 107वीं वर्षगाँठ के अवसर पर महान् स्वाधीनता सेनानी तथा गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक विरोध और शहीदों के बलिदान को याद करते हुए चाँदनी चौक स्थित टाउन हॉल के समक्ष स्थापित उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया तथा जनसभा को सम्बोधित किया। अपने उद्बोधन में श्री विजेन्द्र गुप्ता ने रेखांकित किया कि इस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाएँ भारत

की लोकतांत्रिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को सशक्त बनाती हैं। यह संवाद न केवल अतीत के बलिदानों को स्मरण करने का अवसर था, बल्कि युवाओं में देशभक्ति, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बना।

विधान सभा अध्यक्ष ने 'माय भारत बजटफेस्ट-2026' में युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी और सशक्त संस्थाओं पर दिया बल

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 12 अप्रैल 2026 को पी.जी. डी.ए.वी. कॉलेज़, दिल्ली में आयोजित 'माय भारत बजटफेस्ट-2026' को सम्बोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत का निर्माण केवल आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि मज़बूत लोकतांत्रिक संस्थाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से सम्भव है। इस अवसर पर श्रीराम कॉलेज़ ऑफ़ कॉमर्स की प्राचार्या प्रो. सिमरित कौर, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित थीं। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय बजट केवल वित्तीय दस्तावेज़ नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं, राष्ट्रीय संकल्प और देश के भविष्य की दिशा का प्रतिबिम्ब है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए युवाओं का नीति-निर्माण और सार्वजनिक विमर्श से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है।

कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 'महिला मॉक संसद' का उल्लेख करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि यह मंच युवा महिलाओं को विधायी प्रक्रिया, संवाद और उत्तरदायित्व की गहरी समझ प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास युवाओं में तार्किक सोच, आत्मविश्वास और विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करते हैं, जो प्रभावी नेतृत्व और सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला हैं। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी सार्वजनिक जीवन और शासन की प्रक्रियाओं के प्रति अधिक जागरूक और सहभागी बन रही है, जो भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है।

'रन फ़ॉर मदर अर्थ' कार्यक्रम में महिला-नेतृत्व, युवा-सहभागिता और पर्यावरण-चेतना का हुआ पुनर्स्मरण

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 19 अप्रैल, 2026 को किंग्सवे कैंप स्थित ब्रह्माकुमारी शान्ति भवन में आयोजित 'रन फ़ॉर मदर अर्थ' कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और महिला-सशक्तीकरण, युवा-सहभागिता तथा पर्यावरण-संरक्षण

को विकसित भारत @2047 की आधारशिला बताया। श्री गुप्ता ने कहा कि नारी-शक्ति भारत की सभ्यतागत चेतना और सामाजिक विकास का मूलाधार है तथा महिलाओं की समान भागीदारी और नेतृत्व के बिना विकसित भारत का लक्ष्य अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण-चेतना, नागरिक-उत्तरदायित्व और सामाजिक सहभागिता से जुड़े ऐसे आयोजन युवाओं को राष्ट्र-निर्माण की दिशा में जागरूक एवं उत्तरदायी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं।

महिला-नेतृत्व और लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री गुप्ता ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने लोकसभा में इस विधेयक के पारित न हो पाने को लोकतांत्रिक प्रगति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि निर्णय लेनेवाली संस्थाओं में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी, समय की आवश्यकता है।

दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष ने मलंगिया-महोत्सव में भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर दिया ज़ोर

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री विजेंद्र गुप्ता ने 24 अप्रैल 2026 को राजघाट-स्थित गांधी समिति दर्शन समिति में आयोजित 'मलंगिया-महोत्सव' में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और भारतीय भाषाओं तथा सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के महत्त्व पर बल दिया। इस अवसर पर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक तथा प्रख्यात अभिनेता श्री चित्तरंजन त्रिपाठी सहित साहित्य, रंगमंच और कला जगत् से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि पाँच दिवसीय यह महोत्सव भारतीय

संस्कृति, साहित्य और रंगमंच की समृद्ध परम्परा का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि डॉ. महेन्द्र मलंगिया द्वारा रचित 35 नाटकों का मंचन तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं की सहभागिता देश की सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मक चेतना को अभिव्यक्त करती है।

महोत्सव की व्यापकता और सांस्कृतिक महत्त्व का उल्लेख करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि 22 भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए लगभग पाँच हजार लेखकों और रंगकर्मियों ने इस आयोजन में भाग लिया, जो इसे एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच बनाता है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन साहित्य, रंगमंच, संवाद और रचनात्मक आदान-प्रदान के माध्यम से भारतीय परम्पराओं के प्रति नयी जागरुकता को प्रोत्साहित करता है।

दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष ने पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज़ में युवाओं से विकसित भारत निर्माण का किया आह्वान

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 25 अप्रैल 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगीभूत पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (प्रातः) के वार्षिक पुरस्कार-वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए युवाओं से मूल्यों, चरित्र और शिक्षा के समन्वय के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तब राष्ट्र की दिशा और भविष्य आज की युवा पीढ़ी के हाथों में होगा। श्री गुप्ता ने कहा कि वास्तविक शिक्षा वही है जो व्यक्ति के भीतर ज़िम्मेदारी, संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करे।

भारतीय संस्कृति, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति के महत्त्व का उल्लेख करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि

आधुनिकता और परम्परा का संतुलित समन्वय ही विकसित भारत की वास्तविक आधारशिला है। उन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती और स्वामी विवेकानन्द के विचारों का स्मरण करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण भी है। भारत की वैज्ञानिक, डिजिटल और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन सफलताओं के पीछे समर्पण, अनुशासन और सत्यनिष्ठा-जैसे मूल्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया सम्बोधन*

इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस उद्बोधन को सुन सकते हैं।

माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित माननीय उपसभापति (राज्यसभा) श्री हरिवंश जी, उत्तरप्रदेश विधान परिषद् के अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह जी और इस कॉन्फ्रेन्स के सूत्रधार उत्तरप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई श्री सतीश महाना जी, जिन्होंने इसको एक बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया है।

मैं यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, आए हुए सभी विधान सभाओं के माननीय अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, विधान परिषद् के माननीय सभापतियों, उप सभापतियों, विधान सभाओं के सभी सचिवों एवम् अन्य अधिकारीगण, आए हुए विधान सभाओं के सदस्यगण व उपस्थित बहनो और भाइयो!

जनता के प्रति विधानमण्डल की ज़वाबदेही जैसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय पर इस गरिमामय मंच से संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ज़वाबदेही केवल संविधान में उल्लिखित कोई शब्द या औपचारिक दायित्व नहीं है, बल्कि यह जनता और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच वह जीवंत सम्बन्ध है, जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक सत्ता को वैधता और नैतिक आधार प्राप्त होता है।

माननीय अध्यक्ष जी! लोकतंत्र में विधानमण्डल–यह लोकतंत्र की सिर्फ़ धड़कनें नहीं हैं

* यह सम्मेलन दिनांक 20.01.2026 को उत्तरप्रदेश विधान सभा, लखनऊ में आयोजित किया गया था।

बल्कि उसका एक मूर्त रूप है। विधानमण्डल के माध्यम से ही लोकतांत्रिक परम्पराओं का पालन होता है। विधानमण्डल से ही जनता अपने को जोड़ती है। जनता के अपने प्रश्न, जिनका ज़वाब, अगर उसको अपेक्षा होती है तो वह विधानमण्डल के पटल पर होता है। माननीय अध्यक्ष जी! संवैधानिक लोकतंत्र में विधानमण्डल वह प्रमुख संस्था है, जिसके माध्यम से जनता सरकार को उत्तरदायी ठहराती है। जहाँ एक ओर न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों की स्वतंत्र रक्षिका है और कार्यपालिका शासन-संचालन की ज़िम्मेदारी निभाती है, वहीं कार्यपालिका अपनी सत्ता विधानमण्डल से ही प्राप्त करती है और अपने प्रत्येक कार्य के लिए सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। ये विधानमण्डल ही हैं जहाँ से कार्यपालिका अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का, अपने दायित्व को निर्वाह करने का, एक ज़वाबदेह शासन के रूप में अगर उसकी ज़वाबदेही कहीं सीधे बनती है तो वह है विधानमण्डल। यही सम्बन्ध विधानमण्डल को लोकतांत्रिक ज़वाबदेही का केंद्र बनाता है। ये विधानमण्डल केंद्र हैं ज़वाबदेही के लिये। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष, तर्क-वितर्क, वाद-विवाद और उसमें से निकलता है अमृत।

माननीय अध्यक्ष जी! यह संगम है सभी विचारों का। चुनाव एक प्रक्रिया है, जिसे चुनकर एक दल आता है। जिसके पास बहुमत होता है, वह सत्ता ग्रहण करता है, कार्यपालिका बनाता है, लेकिन जिसके पास बहुमत नहीं होता, जो विपक्ष है उसकी आख़िरी आवाज़ यह विधानमण्डल है और सिर्फ़ लोकतंत्र में दो दलीय प्रणाली नहीं है। अपने यहाँ विधानमण्डल में चुने जानेवाले सभी सदस्य हैं विभिन्न दलों से। किसी दल की संख्या 4 प्रतिशत है सदन में, किसी की 10 प्रतिशत है किसी की 20 प्रतिशत है। उन सभी विचारधाराओं का संगम भी लोकतंत्र का यह विधानमण्ल है। जब ये सारी विचारधाराएँ यहाँ बैठती हैं, मिलती है, तर्क-वितर्क करती हैं, विचार-विमर्श करती हैं, अपने सुझाव देती हैं, अपना विरोध दर्ज़ कराती हैं तो उसमें से निकलता है एक सूत्र अमृत के रूप में, जिसे लोकतंत्र में अपनाया जाता है। मेरा यह मानना है कि विधायी ज़वाबदेही न तो निष्क्रिय हो सकती है और न ही प्रतीकात्मक। यह प्रश्न इस कॉन्फ्रेंस में भी लगातार उठ रहा है और यह प्रश्न इस कॉन्फ्रेंस के बाहर भी उठता है। कल तो यहाँ पर उपस्थित महामहिम गवर्नर मैडम ने भी इस प्रश्न पर अपना वक्तव्य दर्ज़ कराया था कि लोकतंत्र की प्रभावशीलता इस बात से नहीं मापी जाती की ज़वाबदेही के प्रावधान मौजूद है या नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उनका उपयोग कितनी गम्भीरता और प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है।

जब ये सारी विचार-धाराएँ यहाँ बैठती हैं, मिलती है, तर्क-वितर्क करती हैं, विचार-विमर्श करती हैं, अपने सुझाव देती हैं, अपना विरोध दर्ज़ कराती हैं तो उसमें से निकलता है एक सूत्र अमृत के रूप में, जिसे लोकतंत्र में अपनाया जाता है। मेरा यह मानना है कि विधायी ज़वाबदेही न तो निष्क्रिय हो सकती है और न ही प्रतीकात्मक।

आज विधानमण्डल एक रस्म अदायगी की ओर बढ़ रहे हैं। विधानमण्डलों के प्रति प्रतिबद्धता में कहीं-न-कहीं पारदर्शिता पर प्रश्न-चिह्न लग रहा है। यह एक बड़ा प्रश्न है कि यह लोकतंत्र की रक्षा का एक ऐसा पडाव है, एक ऐसा मोड़ है जिस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। यह कोई एक दल और किसी सत्तारूढ़ या विपक्ष का विषय नहीं है, यह सबकी सांझी ज़िम्मेदारी है। अगर एक तरफ़

सत्तारूढ़ दल है तो उतना ही ज़िम्मेदार विपक्ष भी है। आज विधानमण्डलों में क्या हो रहा है, सदन की बैठक चलती है, विचार-विमर्श कम होते हैं और शोरगुल ज़्यादा होता है। इन शोरगुल के लिए ज़िम्मेदारी सबकी सांझी है। जो बात तर्कों से कहने में अगर कमज़ोर लगती है और वह शोर करके बताई जाती है तो इसका मतलब यह है कि कहीं-न-कहीं लोकतंत्र पिछड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी ! जब विधानमण्डल अनुशासन और दृढ़ता के साथ अपनी भूमिका निभाता है, तब वह स्वयं को जनता के विश्वास का संरक्षक और लोकतांत्रिक शासन की अंतरात्मा के रूप में स्थापित करता है। इस सन्दर्भ में एक गम्भीर चिन्ता का विषय विधानमण्डलों की बैठकों की संख्या और प्रभावी कार्यकाल में निरंतर हो रही कमी है, यह सबसे बड़ा विषय है। जब संविधान ने एक व्यवस्था दी है कि कम-से-कम छह महीने में एक बार सदन बैठना चाहिए तो क्या संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर इस सदन में बैठ रहे हैं, अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारियों का ही पालन करने के लिए सदन बैठ रहे हैं, फिर तो एक तो बजट पास होना है, उसके लिए सदन बैठाने की आवश्यकता है और फिर या कभी कोई सरकार बिल लाती है, कोई सरकार नहीं भी लाती है तो क्या ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि वर्ष में कम-से-कम इतने दिन सदन की बैठक होगी ही, अगर ये प्रावधान अनिवार्यता में बदल जाए तो मुझे लगता है कि हम शायद किसी मुकाम तक पहुँचेंगे।

बैठकों में कमी से कार्यपालिका पर निगरानी कमज़ोर होती है। सदस्यों के लिए जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने के अवसर सीमित हो जाते हैं और धीरे-धीरे विधानमण्डल की केंद्रीय भूमिका और प्रभावशीलता दुर्बल होने लगती है। सदस्यों को जब मौका ही नहीं मिलेगा अपनी बात कहने का, सदन की बैठक ही नहीं होगी, तो फिर सदस्य भी उदासीन हो जाएँगे।

माननीय अध्यक्ष जी ! मेरा यह मानना है कि यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक ज़वाबदेही के लिए गम्भीर चुनौती प्रस्तुत करती है। बैठकों में कमी से कार्यपालिका पर निगरानी कमज़ोर होती है। सदस्यों के लिए जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने के अवसर सीमित हो जाते हैं और धीरे-धीरे विधानमण्डल की केंद्रीय भूमिका और प्रभावशीलता दुर्बल होने लगती है। सदस्यों को जब मौका ही नहीं मिलेगा अपनी बात कहने का, सदन की बैठक ही नहीं होगी, तो फिर सदस्य भी उदासीन हो जाएँगे। वे अपनी बात कहें तो कहाँ कहें, वे अपने क्षेत्र की समस्या उठाएँ तो कहा उठाएँ, वे अपना विषय रखें तो कहाँ रखें, नवाचारों को मौका कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यह सोचने का विषय है। जो लोग चुनकर आते हैं, वे जनता की भावनाओं को पूरा करेंगे इस कमिटमेंट के साथ आते हैं, इस उद्देश्य के साथ आते हैं। लोगों को उनसे अपेक्षा होती है कि एक दिन उनका सदस्य बोलता है तो पूरे गाँव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे बस्ती में चर्चा होती है। आज हमारे विधायक ने हमारी पानी की बात उठाई, बिजली की बात उठाई, सड़क की बात उठाई। वह कोई एक विधायक नहीं है, वह एक व्यक्ति नहीं है, वह उन लाखों लोगों का प्रतिनिधि है जो उससे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वह शासन के सामने, सरकार के सामने, अध्यक्ष के समक्ष, चेयर के सामने अपना दुःख प्रकट कर सके या तो सदन की बैठकें होती नहीं है, होती हैं तो शोर

मचाते हैं। इसमें साँझी ज़िम्मेदारी जैसे मैंने कहा पक्ष और विपक्ष–दोनों की साँझी जिम्मेदारी है। अब अगर मैं कुछ कहूंगा तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम सब अध्यक्ष हैं और हम अध्यक्ष हैं तो कहीं-न-कहीं हम सत्तारूढ़ दल का हिस्सा हैं। इसमें से ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि हम विपक्ष को आरोपित कर रहे हैं, लेकिन अक्सर सामान्यतः अगर सदन नहीं चल रहा है तो उसमें भी कहीं-न-कहीं विपक्ष की ज़िम्मेदारी है। अगर यह मंच चर्चा का मंच बने, वार्तालाप का मंच बने, विषयों पर तर्क-वितर्क हो, एक-एक पॉजिटिविटी के साथ डिबेट हों, तर्कों के साथ बात हो, तो मुझे लगता है कि फिर सभी को अच्छा लगेगा कि सदन की बैठकें ज़्यादा हों।

जैसा अभी माननीय अध्यक्ष जी ने वीर विट्ठलभाई पटेल जी के शताब्दी वर्ष का ज़िक्र किया। उस काल में देखिए 24 अगस्त, 1925 को जब उन्होंने कार्यभार संभाला अध्यक्ष के रूप में और मुझे यह बात कहने में हर्ष हो रहा है कि वीर विट्ठलभाई पटेल जी पहले अध्यक्ष थे और हमारी लोकसभा के यहाँ पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष जी, 22वें अध्यक्ष हैं, तो यह जो परम्परा है, यह परम्परा कहाँ से शुरू हुई? यह परम्परा प्रारम्भ हुई वीर विट्ठलभाई पटेल जी से, जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ता प्रदान की।

माननीय अध्यक्ष जी! एक बार का वाकया है कि 20 जनवरी, 1930 का, जब उस समय की संसद को केंद्रीय विधान सभा बोलते थे, जो अब 'संविधान-सदन' बन गया, वहाँ पर बैठक थी और उस दिन दिल्ली की पुलिस यानी चीफ़ कमिश्नर ने असेम्बली का चार्ज़ अपने हाथ में ले लिया और उसकी एक चिट्ठी आ गई माननीय अध्यक्ष के पास कि यहाँ का चार्ज़ दिल्ली की पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है। आपको मैं भेजूंगा वह चर्चा उस दिन के सदन की। 20 जनवरी, 1930 को जब सदन लगा, पहला दिन था सत्र का और जब सदन बैठा तो बैठते ही अध्यक्ष जी ने एक आदेश पारित किया। ये सारी गैलरीज़ बंद करा दी जाए, जितने पुलिसकर्मी अंदर आए हैं, ये सब बाहर जायें। उस समय के शासक जो होम-मेम्बर थे, उन्होंने अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट की कि मुझे 2 मिनट अपनी बात स्पष्ट करने का मौका दिया जाए। वीर विट्ठलभाई पटेल जी ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ मेम्बर होम को डाँटकर बिठा दिया–''बैठिए और पहले मेरे आदेश का पालन होना चाहिए।'' पहले उनके आदेश का पालन हुआ। पुलिस को बाहर किया गया। जब पुलिस बाहर हो गई ताले लगा दिए गए गैलरीज़ में, उसके बाद मेम्बर होम ने कहा कि ''सर अब मुझे अपनी बात...'', पर विट्ठलभाई ने कहा–''नहीं, बैठिये। आपको कुछ बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा डिसीजन फ़ाइनल है और यह इम्प्लिमेंट हो चुका है।'' ये परम्पराएँ, संविधान में जो यह पावर विधानमण्डलों को दी गई है, यह पावर 'सेपरेशन ऑफ़ पावर्स' का जो एक अध्याय जोड़ा है, वह वीर विट्ठलभाई पटेल जी की देन है। सिर्फ़ 'सेपरेशन ऑफ़ पावर्स' की बात नहीं है। सेपरेट सेक्रेटेरिएट, किसी ज़माने में केन्द्रीय विधान सभा का जोसेक्रेटेरिएट था, ये सेक्रेटरी सरकार के सचिव होते थे लेकिन वीर विट्ठलभाई पटेल जी ने ही कहा कि यह सेक्रेटेरिएट इंडिपेंडेंट होगा और लोकसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो प्रेसीडेंट हैं, उनके कंट्रोल में रहेगा।

इस संस्थागत ढाँचे में विधान सभा के सदस्यों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। विधायक जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं और सदन में जनता की आवाज़ बनकर कार्य करते हैं। संरक्षित बहसों के माध्यम से सदस्य जनहित से जुड़े विषय उठाते हैं और जन सरकार से औपचारिक उत्तर की मांग करते हैं। ऐसी बहसें मंत्रियों को अपने निर्णयों और कार्यों की व्याख्या और ज़वाबदेही प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती हैं। सरकार के पास भी एक मौका होता है कि अगर कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है तो वह उसका ज़वाब दे

और जनता तक अपने कार्यक्रमों को पहुँचाये। जब मंत्री जी का ज़वाब समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुँचता है तो सरकार का भी एक स्वरूप जनता के सामने पहुँचता है।

माननीय अध्यक्ष जी ! पटल पर दिए गए औपचारिक वचन होते हैं, ज़वाबदेही की व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं। सदन में प्रश्नों, बहसों और प्रस्ताव के उत्तर में मंत्री सदन को आश्वासन देते हैं। ये आश्वासन सदन के पटल पर दिए गए औपचारिक वचन हैं और ज़वाबदेही की व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन अनुभव यह दर्शाता है कि इन आश्वासनों का कार्यान्वयन कई बार असमान और अपूर्ण रहता है, उसके लिए विधान सभा की समितियाँ और सचिवालय इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और जो हमारी एशोरेंस कमिटीज़ वगैरह आश्वासनों की निगरानी, अनुपालन की समीक्षा और उसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ज़वाबदेही केवल वक्तव्य तक सीमित न रहकर वास्तविक क्रियान्वयन तक पहुँचे। जब वचन दिया जाता है तो हमारी एशोरेंस कमिटी है, बाकी कमिटीज़ हैं वे उसका कॉग्निजेंस लें और सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण को भी ये लगे कि अगर मैंने सदन में कोई वचन दिया है, जो एशोरेंस दी है तो वह मुझे पूरी करनी है। सदन में दिया हुआ वचन अन्यथा हो जाए, यह भी कहीं-न-कहीं विधानमण्डलों की शक्तियों पर प्रश्न-चिह्न लगाता है।

विशेषाधिकारों की बात करना चाहता हूँ। जो सदन की प्रिविलेज है, जो सदस्यों की प्रिविलेज है, उसको भी हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उपहास हो रहा है। अभी हाल-फ़िलहाल में दिल्ली विधान सभा में कुछ घटना घटित हुई। विधान सभा ने उसका कॉग्निजेंस लिया। विधान सभा ने उसको प्रिविलेज कमेटी को दिया, उस पर विचार-विमर्श हुआ। सदस्यों की भावना के अनुरूप उस पर तर्क-वितर्क हो रहे थे, फ़ैसले हो रहे थे कि अचानक एक दूसरे राज्य की सरकार ने उसमें Intervene किया और उस कार्यवाही को अपने अधीन ले लिया। ये कौन सा न्याय है। एक विधानमण्डल में किसी विषय को लेकर कोई बातचीत हो रही है, फ़ैसले हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, पक्ष और विपक्ष उसमें शामिल है और पक्ष और विपक्ष मिलकर अगर कोई बात कह रहे हैं और उसका अनुपालन अध्यक्ष के माध्यम से हो गया तो फिर दूसरे राज्य की सरकारों को उसमें Intervene करके उसमें हस्तक्षेप करना, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ।

हाल के वर्षों में तथ्य-आधारित और डेटा-आधारित साधनों ने भी विधायी ज़वाबदेही को सुदृढ़ करने में योगदान दिया है। हमारा जो 'नेवा' है, वह लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रभावी होता जा रहा है। मुझे यह बताने में हर्ष हो रहा है कि दो सत्र हुए हैं हमारे अभी तक, जिसमें हमने एक पेपर भी सदन के पटल पर सदस्यों को नहीं दिया और उसको कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि लगभग 80 पेड़ कटने से बचे हैं क्योंकि एक पेड़ से कहा जाता है कि 8330 कागज़ ए4 साइज के बनते हैं। सारा कैलकुलेशन हुआ, उसमें से पाया कि 40 पेड़ इस बार और 40 से ज़्यादा पेड़ पिछली बार, 80 पेड़ों का हम संरक्षण कर चुके हैं।

उसी तरफ़ एक विषय है कि माननीय अध्यक्ष जी के ध्यान में पिछली बैठक में मैंने रखा था, आज मैं फिर उसको दोहरा रहा हूँ, वो है 'नैशनल लेजिस्लेटिव इण्डेक्स'। जितने प्रश्न मैंने यहाँ खड़े किये हैं माननीय अध्यक्ष जी, उन सबका जवाब है 'नैशनल लेजिस्लेटिव इण्डेक्स' यानी राष्ट्रीय विधान सूचकांक। हमें एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ना चाहिये। राष्ट्रीय विधान सूचकांक इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। यह सूचकांक राज्यों के विधानमण्डलों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिये एक संरक्षित और तुलनात्मक ढाँचा प्रदान करता है। बैठकों की संख्या, कार्य-घंटों की अवधि, विधायी

कार्यों की उत्पादकता और प्रश्नों, बहसों और समितियों के प्रभावी उपयोग-जैसे संकेतक सीधे तौर पर विधानमण्डलों की ज़वाबदेही भूमिका दर्शाते हैं जैसे नैशनल लेजिस्लेटिव इण्डेक्स।

माननीय अध्यक्ष जी! इस प्रकार का मानकीकरण पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, आत्ममूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है। यह न केवल सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करता है बल्कि उन क्षेत्रों की पहचान भी करता है जहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह हमको यूनिफ़ॉर्मिटी की तरफ़ बढ़ाता है और नेवा और नैशनल लेजिस्लेटिव इण्डेक्स—यह जब मानक तय करेगा, मापदण्ड तय करेगा, नेवा को लाने का उद्देश्य पूर्ण होगा और एनएलआई से यूनिफ़ॉर्मिटी आयेगी।

माननीय अध्यक्ष जी! इससे बहस का स्तर सुधरेगा और हर असेम्बली में रिसर्च फेलो होने चाहिए जो बहस के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सदस्यों की मदद करे, जो तथ्यों पर आधारित, जो डेटा पर आधारित अपना तथ्यपूर्ण वक्तव्य दे सके, उनके सहयोग के लिए हमें रिसर्च फ़ेलो की ज़रूरत है, जो उनका सहयोग करे। अगर सदस्य का कोई सहयोग करेगा तो निश्चित रूप से बहस का और प्रश्नों का स्तर ऊँचा होगा।

हमें एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ना चाहिये। राष्ट्रीय विधान सूचकांक इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। यह सूचकांक राज्यों के विधान मण्डलों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिये एक संरक्षित और तुलनात्मक ढाँचा प्रदान करता है।

अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यह जो नैशनल लेजिस्लेटिव इण्डेक्स है माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए और यह मानते हुए कि उनके मन में भी यह भाव होगा कि आपकी अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप या एक कमेटी फॉर्म करें, उसमें हममें से ही कुछ अध्यक्षों को अपने साथ जोड़ें और नैशनल लेजिस्लेटिव इण्डेक्स को मूर्त रूप देने के लिए उस पर अगर आप कार्रवाई प्रारम्भ करेंगे, तो जन्म-जन्मांतर तक और शताब्दियों तक दुनिया के समक्ष एक ऐसा उदाहरण पेश होगा जो पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट करेगी और लोकतंत्र के इस मन्दिर की जो पवित्रता, जो उसकी आवाज़ है, जो उसकी ज़रूरत है और जब संवैधानिक व्यवस्था जिससे अभी ये डीरेल होता जा रहा है, उससे वापस यह पटरी पर आएगा और जो उसमें से निष्कर्ष निकलेगा और जब वह लागू होगा तो मेरा यह मानना है कि देश की विधानमण्डल जैसे कोई सरकार कहती है कि मेरा हेल्थ इण्डेक्स में चौथा नम्बर है, दूसरा नम्बर है। एजुकेशन इण्डेक्स में पहले नम्बर पर मेरा प्रदेश है। जिस दिन यह प्रतिस्पर्धा सरकारों में भी, विधानमण्डलों में भी, कि हमारे प्रदेश की जो विधानमण्डल है वह नम्बर एक पर है, नम्बर दो पर है, नम्बर तीन पर है, तो निश्चित रूप से सभी में बेहतर-से-बेहतर करने की कोशिश होगी।

आपने मुझे अपनी भावनाओं व्यक्त करने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ।''

रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए सत्याग्रह-आन्दोलन की 107वीं वर्षगाँठ पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिया गया सम्बोधन*

चाँदनी चौक के पार्षद श्री सुमन गुप्ता जी का मैं हृदय से अभिनन्दन करता हूँ। आज के इस दिन के महत्त्व को समझकर हम सब लोग एकत्र हुए हैं। और आज हम संकल्प लेकर जाएँगे कि हर साल 30 मार्च को हमें यहाँ एकत्र होना है और उन शहीदों को याद करना है जो इसी स्थान पर 30 मार्च 1919 को शहीद हुए थे। 30 मार्च 1919 को यहाँ मशीन गन चली थी। यानी जलियांवाला बाग़ से पहले यहाँ पर जनसंहार हुआ था। इस घटना का विवरण गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। यह आंदोलन सत्याग्रह था रॉलेट एक्ट के विरोध में। मार्च 1919 में जब सदन में रॉलेट बिल पर चर्चा हो रही थी, तब स्वयं गांधीजी दर्शक दीर्घा में बहस सुनने के लिए आए थे और उन्होंने तय किया था कि इसके ख़िलाफ़ असहयोग आंदोलन करने की आवश्यकता है।

वास्तविकता यह है कि आंदोलन शुरू करने की तारीख 30 मार्च तय हुई थी। लेकिन बाद में वह तारीख़ 06 अप्रैल कर दी गई थी। पर दिल्ली में वह संदेश नहीं पहुँचा। अतः 30 मार्च को ही वह आंदोलन दिल्ली में हुआ। यह वह आंदोलन है जिसका जलियांवाला बाग़ से सम्बन्ध है। गांधीजी कहते हैं

* यह सम्बोधन दिनांक 30 मार्च 2026 को टाउन हॉल, चांदनी चौक, दिल्ली में स्वामी श्रद्धानन्द की प्रतिमा के समक्ष दिया गया था।

कि जलियांवाला बाग से पहले दिल्ली में जलियाँवाला बाग़ हुआ। वह अंश मैं पढ़कर सुना रहा हूं। आज का 'दैनिक जागरण' आपने पढ़ा होगा। मुझे मालूम चला है कि आज के 'सांध्य टाइम्स' ने पूरा पेज आज के महत्त्व पर निकाला है। 'दैनिक जागरण' में भी आया है और 'सांध्य टाइम्स' भी, अगर कहीं हो तो मंगा लें। आप देखें कि उसमें क्या प्रकाशित हुआ है।

स्वामी श्रद्धानन्द जी की यह मूर्ति भी 30 मार्च 1970 को लगाई गई थी। जो लोग आर्य समाज से हैं, उनके पास इसके रिकॉर्ड ज़रूर होंगे। और आज ही के दिन स्वामी श्रद्धानन्द जी पर एक डाक टिकट जारी हुआ था–30 मार्च 1970 को। यह जो मूर्ति है इसकी क़ीमत उस समय 59,000 रुपये थी। यह पैसा भारतीय जनसंघ ने स्वामी श्रद्धानन्द ट्रस्ट को दिया था और इस मूर्ति को बनवाया था स्वामी श्रद्धानन्द ट्रस्ट ने और फिर वह मूर्ति दिल्ली नगर निगम को भेंट की थी और आज के ही दिन यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि जी ने इसका इसका लोकार्पण किया था। बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था यहाँ।

गांधीजी ने 'सत्य के प्रयोग' में क्या कहा था, यह जानना चाहिये। दिल्ली में उस दिन 30 मार्च 1919 जैसी हड़ताल हुई वैसी पहले कभी नहीं हुई। सब प्रतिष्ठान बंद रहे थे। पूरी दिल्ली में जहाँ भी व्यावसायिक थे, सबने अपना काम बंद किया था और उपवास रखा था रॉलेट एक्ट के विरोध में। दिल्ली में उस दिन जैसी हड़ताल हुई, वैसी पहले कभी नहीं हुई थी। जान पड़ा हिंदू और मुसलमान एक दिल हो गए। श्रद्धानन्द जी को जामा मस्जिद में आने का निमंत्रण दिया गया। शुक्रवार था उस दिन। और वहाँ उन्हें भाषण करने दिया गया। यह सब अधिकारियों के बर्दाश्त के बाहर था। रेलवे स्टेशन की ओर जाते जुलूस को पुलिस ने रोका और गोलियाँ चलायीं जिसका नेतृत्व स्वामी श्रद्धानन्द कर रहे थे। कितने ही लोग ज़ख़्मी हुए। अनेक जान से मारे गये। पचास से ज़्यादा लोग मारे गए थे। मशीन गन चली थी यहाँ। दिल्ली में दमन का दौर-दौरा हुआ। जो कुछ दिल्ली में हुआ वही लाहौर और अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को भी हुआ।'

यह जो मूर्ति है इसकी क़ीमत उस समय 59,000 रुपये थी। यह पैसा भारतीय जनसंघ ने स्वामी श्रद्धानन्द ट्रस्ट को दिया था और इस मूर्ति को बनवाया था स्वामी श्रद्धानन्द ट्रस्ट ने और फिर वह मूर्ति दिल्ली नगर निगम को भेंट की थी और आज के ही दिन यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि जी ने इसका इसका लोकार्पण किया था।

मेरे पास उस दिन के अख़बार की कटिंग है। वह कटिंग है 'द बॉम्बे क्रॉनिकल' की। इसमें लिखा है 'ब्लैक बिल डेमोंस्ट्रेटर्स फायर्ड ऑन। ट्रेजडी एट दिल्ली। सेवरल किल्ड एण्ड इंजर्ड। मशीन गन इन एक्शन।' मशीन गन चली थी यहाँ पर। और यहीं पर मशीन गनों के आगे स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अपनी छाती लगा दी थी। अगर वह ऐसा न करते तो हज़ारों लोग मरते और उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी छाती को छलनी करना होगा, तब आगे बढ़ पाओगे। इसके कारण जो आर्मी बुलाई गई थी, उसे रोकना पड़ा क्योंकि गांधीजी अपनी किताब में कहते हैं कि 'दिल्ली में जो स्वामी श्रद्धानन्द बोलते हैं, वही क़ानून होता है।'

''फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया। इस घटना का सम्बन्ध दिल्ली की विधान सभा से भी

है जिसके कारण इस बात का महत्त्व और बढ़ जाता है। क्योंकि जो दिल्ली की विधान सभा है, वह देश की पहली संसद है। और उस संसद में जब यह रॉलेट बिल आया, तब उसका भरपूर विरोध वहाँ पर चुने हुए भारतीय प्रतिनिधियों ने किया और चेतावनी दी कि अगर आपने इसको क़ानून बनाया, तो इसके परिणाम अंग्रेज़ी हुकूमत को भुगतने पड़ेंगे और चेतावनी दी कि ऐसा आंदोलन होगा कि अंग्रेज़ी सरकार की चूलें हिल जायेंगी। आज का दिन देश की आज़ादी में एक महत्त्व का दिन है क्योंकि 1857 के बाद अगर दिल्ली में कोई इस क़दर दिन-दहाड़े, दिन के डेढ़ बजे जब इस तरह मशीन गनों से आम लोगों को निहत्थे लोगों को शिकार बनाया गया और उसके बाद पूरे देश में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आग लगी, उसके कारण अंग्रेज़ों का जाना 1919 में ही तय हो गया था। गांधीजी ने रॉलेट एक्ट के विरोध से पहले उसकी बहस सदन में आकर सुनी। वह लिखते हैं कि मैं जीवन में एक ही बार विधान सभा की बैठक में गया हूँ। रॉलेट बिल की चर्चा सुनने गया था। श्रीनिवास शास्त्री कर्नाटक से मेम्बर बनकर आए थे जो स्वाधीनता सेनानी थे। शास्त्रीजी ने अपना जोशीला भाषण किया, सरकार को चेतावनी दी कि परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जिस समय शास्त्रीजी की वाग्धारा बह रही थी, वायसराय उनके सामने टकटकी लगाकर देख रहे थे। मुझे तो जान पड़ा कि इस भाषण का असर उन पर हुआ है। शास्त्रीजी की भावना उमड़ी पड़ी थी। पर फिर बाद में गांधीजी कहते हैं कि 'सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है। जागनेवाला सोने का बहाना करे तो उसके कान में ढोल बजाने पर भी वह क्यों सुनने लगा?'

रॉलेट एक्ट की बहस ने गांधीजी को सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। जब उन्होंने वह बहस सुनी और लगा कि यह अब आंदोलन करना पड़ेगा तो इस आंदोलन की शुरुआत भारत के इसी स्थान से हुई। यह सारा इसका इतिहास है और इस इतिहास पर धूल आ गई है। इतिहासकारों ने यहाँ के इतिहास के साथ न्याय नहीं किया। आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको मैं एक ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण मानता हूँ जो एक नयी शुरुआत इस चौक से कर रहे हैं।

इस दिन के महत्त्व को समझते हुए हम दिल्ली विधान सभा में एक म्यूजियम बना रहे हैं। जो हम कर रहे हैं, वह तो हम करेंगे ही, लेकिन यहां टाउन हॉल में भी यह होना चाहिए (करतल-ध्वनि)। क्योंकि आज जब मैं माननीया राष्ट्रपति जी से मिला और मैंने आज के दिन के महत्त्व को समझते हुए उनसे आज का समय लिया था और मैंने उनको पूरी घटना से अवगत कराया और उसके लिए एक कॉफ़ी-टेबल भी दी। मैं आपको भी दूंगा। आप भी उसको लाइब्रेरी में रखवाइएगा। उसमें यह सारा डॉक्यूमेंटेशन है। राष्ट्रपति जी ने मुझसे कहा कि 'आप मेरी बात सबको बताएँ कि यह जो आजादी का इतिहास है, उसकी लौ कभी डिगनी नहीं चाहिए। हमारे युवाओं को विशेष तौर पर यह उनके जेहन में रहे। इसके लिए आज के दिन को लोगों के समक्ष लेकर आने की आवश्यकता है। और उन्होंने यह कहा कि जो युवा है वह कॅरियर ओरियंटेड है। अच्छी बात है। कॅरियर ओरियंटेड होना चाहिए। भविष्य को लेकर जो सपने हमने बुने हैं, उनको पूरा करने के लिए युवाओं को काम करना चाहिए। लेकिन उसके साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि वह इस लौ को अपने सीने में ज़रूर जलाकर रखें कि यह आज़ादी हमें कोई थाल में परोसकर नहीं मिली है। इसके लिए बड़ी-बड़ी कुर्बानी हुई है और उन शहीदों को हम भुला नहीं सकते जिनके कारण विकसित भारत 2047 की जो मीनार है, उसकी नींव में उन शहीदों का बलिदान है जिन्होंने सपना देखा था कि एक आज़ाद भारत होगा, एक विकसित भारत होगा। उनके योगदान को, उनके शौर्य को, उनके बलिदान को हम नमन करते रहें, उनकी लौ को जलाकर रखें और आगे लोगों तक बढ़ाते रहें। तभी सही मायनों में आज़ादी का अर्थ और उसका महत्त्व आनेवाली पीढ़ियों को ध्यान में रहेगा।'

मैं आप सबका आज के मौके पर बहुत अभिनन्दन करता हूँ कि आप सुमन जी के एक छोटे-से बुलावे पर यहाँ आए हैं और इस इतिहास को आज हम स्मरण कर रहे हैं। इस चौक के इतिहास के विषय में मैं थोड़ा और भी आपको बता दूँ। यहाँ पर स्वामी श्रद्धानन्द जी की मूर्ति लगी है, उसके पीछे यह जो टाउन हॉल है, यह सन् 1861 में बना था। और मेरे पास इसकी 1863 की प्रोसीडिंग्स है। नगर निगम की जो कार्यवाही हुई, उस समय जो म्युनिसिपालिटी बनी थी उस कार्यवाही में जो बजट पास हुआ, वह उसमें दर्ज़ है। पहला बजट 1864 में 1,15,000 रुपये का पारित हुआ।

मेरे पास यहाँ का 1870 का एक चित्र है जब यहाँ पर एक हाथी का स्टैच्यू लगाया गया था। वह स्टैच्यू पत्थर का था जो लाल किले में खुदाई में निकला था और टूटा हुआ था। बाद में उसको जोड़कर यहाँ लगाया गया। फिर सन् 1902 के बाद जब विक्टोरिया का राज ख़त्म हो गया, तब यहाँ से हाथी की मूर्ति हटाकर विक्टोरिया की मूर्ति लगा दी गयी। यहाँ सामने आपका घंटाघर था जो 1870 में बना था। उसके बाद 1970 में स्वामी श्रद्धानन्द जी की प्रतिमा स्थापित की गयी। आज उस घटना के 56 वर्ष हो गये। इस तरह विक्टोरिया की मूर्ति जो एक औपनिवेशिक पहचान थी, उसको हटाया गया और स्वामी श्रद्धानन्द जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई गयी। तो इसका एक बहुत बड़ा महत्त्व है।

जो चाँदनी चौक का घंटाघर है, 1951 में उसका ऊपर का हिस्सा गिर गया था जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए 1955 में उसको फिर पूरी तरह से हटा दिया गया। लेकिन आज भी इसको चाँदनी चौक घंटाघर के नाम से ही लोग जानते हैं। एक बात और है। 23 दिसम्बर 2026 को स्वामी श्रद्धानन्द जी के बलिदान के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उस दिन भी यहाँ पर एक कार्यक्रम करने की आवश्यकता है (करतल-ध्वनि)। स्वामी श्रद्धानन्द जी की हत्या की गई, वह 23 दिसंबर 1926 को हुई थी। स्वामी श्रद्धानन्द का नाम पहले 'बृहस्पतिविज' था, वह पंजाब से थे। जब वह 35 वर्ष के थे, उनकी पत्नी का देहान्त हो गया था। उनके चार बच्चे थे—दो लड़के और दो लड़कियाँ। फिर जब वह पंजाब से यहाँ आए, तो उनका नाम बदलकर हो गया मुंशीराम। पहले बृहस्पतिविज, फिर मुंशीराम। और फिर जब उन्होंने जब आज़ादी के संघर्ष में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, तब वह स्वामी श्रद्धानन्द कहलाने लगे। स्वामी श्रद्धानन्द जी एक समाज सुधारक थे, वह एक क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी थे, वह एक विचारक थे और वह आर्य समाज के स्वामी दयानन्द जी के उपदेशों से प्रेरित थे। स्वामी दयानन्द जी ने उनको प्रेरित किया था और उनसे प्रेरणा लेकर के वह आजादी के संघर्ष में कूदे थे। हरिद्वार में गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के वह संस्थापक थे। उन्होंने दो अख़बार भी निकाले थे—'अर्जुन' और 'तेज'। तो उनका एक लम्बा इतिहास है।

इस घटना से स्वामी श्रद्धानन्द का जो एक नाता है 30 मार्च का, उस पर हम दिल्ली विधान सभा की ओर से पुस्तकें वगैरह भी निकाल रहे हैं और आपके यहाँ जितनी लाइब्रेरी है—हरदयाल लाइब्रेरी, जैन लाइब्रेरी, इत्यादि, सबके लिए मैं वे पुस्तकें भेजूँगा। हमारे पास लेजिस्लेशन के सौ वर्षों का इतिहास संगृहित है।''

''स्पीकर की कुर्सी कभी कंफ़र्टेबल नहीं हो सकती'' : श्री विजेन्द्र गुप्ता

दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष **श्री विजेन्द्र गुप्ता** सार्वजनिक जीवन के एक अनुभवी, संघर्षशील तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग संरक्षक हैं। गत 14 अप्रैल, 2026 को प्रारम्भ हुए 'न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर' चैनल के उद्घाटन के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार **श्री आनन्द नरसिंहन** ने उनसे विविध समसामयिक, राजनीतिक, संवैधानिक तथा विकास-सम्बन्धी विषयों पर विस्तृत बातचीत की। इस साक्षात्कार में श्री गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि अध्यक्षीय आसन अधिकार का नहीं, अपितु मर्यादा, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक परम्पराओं के संरक्षण का आसन है। दिल्ली के विकास, विधान-परम्परा और संस्थागत गरिमा पर श्री विजेन्द्र गुप्ता के विचार इस संवाद को विशेष गम्भीरता और प्रासंगिकता प्रदान करते हैं। प्रस्तुत है इस साक्षात्कार का सम्पादित प्रतिशब्द। –सम्पादक

इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस साक्षात्कार का आनन्द लें।

श्री आनन्द नरसिंहन : ''नमस्ते विजेन्द्र गुप्ता जी। स्पीकर की कुर्सी कंफ़र्टेबल है ?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''स्पीकर की कुर्सी कभी कंफ़र्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीकर की रिस्पांसिबिलिटी बड़ी है और कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी–इन सबको, स्पीकर को नयी ऊँचाइयों तक पहुँचाने के संकल्प के साथ काम करने की आवश्यकता, मैं महसूस करता हूं, हमेशा रहनी चाहिए। यह जज्बा हमेशा रहना चाहिए कि यह देश लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक परम्पराओं से ही यह देश चलना चाहिए।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''अंग्रेज़ी में कहावत है– 'शू ऑन द अदर फुट'। एक दौर था जब

आप विपक्ष में रहकर सत्ता पर आरोप लगाते थे और स्पीकर को कहते थे कि आप फेयर नहीं हैं। आप पार्टिजन हैं। और फिर कई बार आपको असेम्बली से बाहर निकाल दिया जाता था। आज आप वहाँ बैठे हैं और लोग आपको घूमकर कहेंगे आप पार्टिजन हैं। आप फेयर नहीं हैं। आप कभी यह सोचते हैं कि जो मैं पहले कहता था, वही अब मुझे सुनना पड़ रहा है?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''इतना तो ज़रूर है कि मैं विपक्ष में था और विपक्ष बहुत छोटा था और वह एक लम्बा दौर था 10 साल का। लेकिन मैं उस चेयर पर आज बैठकर इतना ज़रूर सोचता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो सिक्के के दूसरे पहलू पर भी आपको नज़र डालनी होगी कि जहां मैं बैठता था, उसकी भी अपनी एक आवश्यकता है। उसकी भी अपनी एक मर्यादा है। उसकी भी अपनी एक ज़िम्मेदारी है। और अब मैं जिस चेयर पर बैठा हूं, तो मैं समझता हूं कि उस चेयर की भी अपनी मर्यादाएँ, ज़िम्मेदारी और उनकी जो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह उसको पूरा करें।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''यह यह आपने पंचोंवाली बात कह दी कि जब पंच कुर्सी से उठ जाता है, तो अलग हो जाता है। जब कुर्सी पर बैठता है तो उसको उस कुर्सी की गरिमा को याद रखना है। पर कभी तो आपको लगा होगा कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया। मैं तुमको भी थोड़ा सबक सिखाऊँगा। कभी ऐसा मन नहीं करता?''

लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में और एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के एक पैटर्न के रूप में एक कस्टोडियन के रूप में वह कुर्सी है। और उस कुर्सी की अपनी एक मर्यादा है। अगर उस मर्यादा को मैं नहीं निभाऊँगा, तो उस कुर्सी के साथ जस्टिस नहीं होगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''देखिए यह तो ह्यूमन नेचर है, विचार मन में आ सकता है, लेकिन वह जो कुर्सी है, वह शायद किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में और एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के एक पैटर्न के रूप में एक कस्टोडियन के रूप में वह कुर्सी है। और उस कुर्सी की अपनी एक मर्यादा है। अगर उस मर्यादा को मैं नहीं निभाऊँगा, तो उस कुर्सी के साथ जस्टिस नहीं होगा। तो इसलिए मेरे लिए मेरी व्यक्तिगत विषय कुछ भी हो, लेकिन जो कुर्सी की मर्यादा है, वह मेरे लिए सर्वोपरि है।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''फ़िल्म 'शोले' आपने ज़रूर देखी होगी। उसमें असरानी साहब जेलर की भूमिका निभाते हैं और वह कहते हैं कि ''हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले।'' तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में सरकारें बदल गयीं, विपक्ष बदल गया, पर दिल्ली नहीं बदली, यह लोग कहते हैं। आप इसको मानेंगे?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। उसका कारण यह है कि यह तो बात तय है कि मैं भी एक सिटीजन हूं और सिटीजन के नाते मैं कहता हूँ कि दिल्ली बहुत तेजी से बदल रही

है और जो एक नया दौर दिल्ली में शुरू हुआ है 'दिल्ली-देहरादून हाईवे', उससे निश्चित रूप से दिल्ली का विस्तार तो हो ही रहा है। अभी जो 'रीज़नल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' है—'दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस' अभी दिल्ली-करनाल फिर दिल्ली-अलवर—ये सब दिल्ली के स्वरूप को बदल रहे हैं। अभी 'यूईआर-टु' आया। मैं जिस असेम्बली से मैं आता हूँ, जो मेरा निवास-स्थान है—रोहिणी, तो 'यूईआर-टु' का जो एक दायरा है, वह दिल्ली को विस्तार देता है। यह बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एक डिटरमिनेशन से दिल्ली के लिए प्रयास कर रहे हैं और अब तो मुझे लगता है कि काम का बहुत ही पॉज़िटिव माहौल है।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''देखिए प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि विकसित भारत के लिए विकसित दिल्ली बहुत आवश्यक है। अभी आपने आज 'दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे' की बात की। आपने कनेक्टिविटी की बात की कि दिल्ली में आना सुगम हो गया, पर दिल्ली में रहना कब सुगम होगा ?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''देखिए दिल्ली देश की राजधानी है। मेरा यह मानना है कि इस पर पूरे देश का समान अधिकार है। यह किसी रीजनल, किसी दूसरे मनोभाव से इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। यह एक लघु भारत है। राजधानी है तो बहुत तेजी से दिल्ली में माइग्रेशन भी होता है। अगर आप देखेंगे कि दिल्ली में रोज़ाना आनेवालों की संख्या को अगर आप जोड़ लें तो वह ढाई से तीन करोड़ हो जाती है। कितने लोग ट्रेंस में हैं, मेट्रो में हैं, सड़कों पर हैं, दुकानों पर काम करते हैं, दफ़्तरों में आते हैं। तो दिल्ली एक यूनिफ़ाइड कॉम्प्लेक्स मेट्रो सिटी है। मेगा मेट्रो सिटी है। और यह अच्छी बात है कि दिल्ली आगे बढ़ रही है। दिल्ली में लोगों का रुझान है। दिल्ली लोगों को आकर्षित करती है। लोगों को रोज़गार, अपने व्यवसाय की नयी ऊँचाइयाँ छूने का अवसर दिल्ली देती है। तभी तो दिल्ली दिल्ली है। ऐसे में कुछ समस्याएँ भी उसके साथ-साथ ट्रैवल करती है। जितनी तेजी से यह सब हो रहा है, उसी गति से उसकी समाधान के लिए भी कार्य की तरफ़ बढ़ने की आवश्यकता है और वे कोशिशें हो रही हैं। मैं यह समझता हूँ कि यह भी एक चैलेंज है। आज दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, जो डेंसिटी ऑफ़ पॉपुलेशन है, वह मुझे लगता है, वर्ल्ड में हाईएस्ट है। अब जब हाईएस्ट डेंसिटी है और दिल्ली का विस्तार हो रहा है, दिल्ली में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, दिल्ली फ़ोकस हो रही है, तो फिर एनसीआर को अगर हम लेकर चलते हैं तो शायद बेहतर होगा। दिल्ली एनसीआर के बारे में विचार करना सही होगा। अकेली दिल्ली के बारे में विचार करने से दिल्ली की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। हमें इसको एनसीआर के दायरे से देखना होगा। और ये जितने हाईवेज़ बन रहे हैं, जितनी कनेक्टिविटी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्स कॉम्पिटेंट होगा, जितनी तेजी से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वह एक अवेलेबिलिटी कहिए, उसकी रिलायबिलिटी जितनी स्ट्रांग होगी, दिल्ली उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रो करेगी।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''ये सारी बातें तो ठीक है। ये कब इंप्लीमेंट होंगी ?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''ये तो हो रही है इंप्लीमेंट। यह तो सभी लोग देख रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ। आप भी ज़रूर महसूस करते होंगे। वह ठीक है अभी आप एंकर हैं तो आपको लगता है कि सवाल तो पूछने ही हैं और पूछने भी चाहिए। सवालों में इतना दम होना चाहिए कि लोगों को उसके ज़वाब सुनने का भी एक मन में एक कौतूहल हो। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बधाई दूँगा क्योंकि यह हम सब

दिल्लीवालों की ज़रूरत है, और ये एक आम दिल्लीवाले के प्रश्न हैं जो आपके मन में उठ रहे हैं और मेरे ज़वाब भी एक दिल्लीवाले की हैसियत से ही आपके पास आ रहे हैं। मुझे लगता है हम सब चाहते हैं कि दिल्ली स्मूथ हो, कूल हो और दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेरी हमेशा एक सोच रहती है कि अब दिल्ली को वर्टिकली ग्रो होने की ज़रूरत है।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''वर्टिकली ग्रो होने की ?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''जी। आप बड़े-बड़े शहर देखिए। एनसीआर, नोएडा देखिए, आप गुरुग्राम देखिए। अब फ़रीदाबाद में भी कुछ हलचल है। और फिर चण्डीगढ़ की तरफ़ अगर आप जाते हैं, तो हाईराइज़ बिल्डिंग्स हैं। इसको (दिल्ली) वर्टिकली एंगल से रीडेवलपमेंट करना होगा। क्योंकि दिल्ली की सीमाएँ डिसाइडेड हैं। उनके बाहर जाना सम्भव नहीं है। हम अब दिल्ली में अब डीडीए के फ्लैट्स देखते हैं। डीडीए आया था 1961 में। और डीडीए का डेवलपमेंट भी तभी से शुरू हुआ। अगर आप देखेंगे तो आज दिल्ली में डीडीए के फ्लैट्स हैं, वे 50 से 60 साल पुराने भी हो गए हैं। अगर 60 साल पुराने हैं तो उनका रीडेवलपमेंट तो ज़रूर होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा। आफ्टर ऑल हर बिल्डिंग की अपनी एक लाइफ़ है। इसी तरह से बाकी डेवलपमेंट भी जो जहाँ-जहाँ जो स्थिति है, उसमें रीडेवलपमेंट होंगे, अब दिल्ली का मुख्य मुद्दा है रीडेवलपमेंट।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''एक तो आपने रीडेवलपमेंट की बात की और वर्टिकल डेवलपमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं, तो इसेस स्पेस भी मिलेगा पार्किंग के लिए, स्पेस मिलेगा पार्क्स के लिए, प्रावधान जो जिस तरह से आप बना सकें फ़ॉर अ ग्रोइंग पापुलेशन। लेकिन, आप यह कह रहे हैं कि दिल्ली अगले 10 साल तक चैन की सांस नहीं ले सकती। क्योंकि जितना रीडेवलपमेंट होगा, उतना कंस्ट्रक्शन होगा और जितना कंस्ट्रक्शन होगा उतना पॉलुशन होगा। देखिए ये तो फिर ये एक चिकन एण्ड एग सिचुएशन जैसा है।''

अगर हम हमें दिल्ली के फ़्यूचर को आनेवाली जेनरेशंस के एंगल से प्लान करना है तो फिर कुछ-न-कुछ तो सोचना ही होगा। क्योंकि कभी हम हालात को सरेंडर तो नहीं करना चाहिए। अगर हम आज कोई स्टेप नहीं लेंगे, तो आनेवाली जनरेशंस हमें कहेंगी कि आपलोगों ने सही समय पर कदम नहीं उठाए थे और जो हमसे पहले लोग थे, उन्होंने सही समय पर नहीं सोचा था।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''यह तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा सारा, क्योंकि, यह बात मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ कि अगर हम हमें दिल्ली के फ़्यूचर को आनेवाली जेनरेशंस के एंगल से प्लान करना है तो फिर कुछ-न-कुछ तो सोचना ही होगा। क्योंकि कभी हम हालात को सरेंडर तो नहीं करना चाहिए। अगर हम आज कोई स्टेप नहीं लेंगे, तो आनेवाली जनरेशंस हमें कहेंगी कि आपलोगों ने सही समय पर कदम नहीं उठाए थे और जो हमसे पहले लोग थे, उन्होंने सही समय पर नहीं सोचा था। फिर तो आज दिल्ली में जो लोग है, वे दिल्ली से

पलायन कर जायेंगे। आप यह देखिए कि अगर हमने इस परिस्थिति में कोई एक प्रांप्ट (तुरंत) जिसको कहते हैं वह प्रांप्ट एक्शन प्लान है वर्टिकल और इस पर तुरंत कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''तो फिर यह आपका आईडिया तो बहुत सही है सर, तो इसकी लेकिन शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? पुराने डीडीए फ्लैट से होनी चाहिए कि लुटियंस से होनी चाहिए?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''नहीं-नहीं, यह जो रीडेवलपमेंट है, यह तो बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है। आप यह मानिए कि यह कोई फोर्सफुली होनेवाला काम नहीं है। हर काम को अगर सफल करना है तो उसके पीछे मोटिवेशन होना चाहिए। अगर वह मोटिवेशन होगा तो लोग खुद आगे बढ़कर आयेंगे। जैसे—मैं आज अगर एक फ्लैट जिसका स्पेस 1000 स्क्वायर फीट है और मैं उसको कहता हूँ कि आपको मैं टू बेडरूम सेट की वज़ह चार बैडरूम सेट दे सकता हूँ। तो आप मना करेंगे?''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''लुटियंस दिल्ली में तो प्रॉब्लम पीछे की जो एक एकड़ की जो गार्डन मिल रही है, वह ईशू है।''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''गार्डन डेढ़ एकड़ का हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ आपका फ्लैट जो है वह दो बैडरूम से बढ़कर तीन बैडरूम का हो जाएगा। नयी कंस्ट्रक्शन होगी। आपका पार्कएक एकड़ से बढ़कर डेढ़ एकड़ हो जाएगा। आपके स्पेस में 100 कारें खड़ी करने की जगह है। वह मैं 200 कर दूंगा। तो आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको गुरुग्राम की सोसाइटी ले जाकर दिखाऊँगा कि आप देखिए, मैं आपको ऐसी सोसाइटी बनाकर दूँगा। यही रीडवलपमेंट है। आज अगर एक कैम्पस, एक सोसाइटी है, उसको सपोज 200 एफ.ए.आर मिला हुआ है। और उसको कहते हैं कि अब आप 400 ले सकते हैं। आप रिकंस्ट्रक्ट करिए, रीडप्ट करिए। आपको 400 एफ.ए.आर मिलेगा। लेकिन जो ग्राउंड कवरेज़ है, उसमें आपको 80% एरिया को खाली रखना होगा। इसमें आप गार्डन बनाइए, आप पार्किंग बनाइये, आप अदर जो सिविल अमुनिटीज है, जो कम्युनिटी फैसिलिटीज़ है, उनको डेवलप कीजिये। और उसमें से 200 से 400 होगा तो 200 से 300 तो हर इंडिविजुअल ले लें और 100 जो बचा है, वह थर्ड पार्टी को दे दें, जो उसके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को घेर ले। उसमें एडिशनल फ्लैट्स आ जाएँगे, क्योंकि हाई राइज़ हो जाएगा। और हाई राइज़ होगा तो नये फ्लैट्स आयेंगे। और उससे उसकी कॉस्ट ऑफ़ कंस्ट्रक्शन भी निकलेगी और नयी कंस्ट्रक्शन भी होगी और स्पेस भी बढ़ जाएगा।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''यह मॉडल तो मुम्बई में चलता है।''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''यह मोटिवेशनल है। यह कोई तुगलकशाही से नहीं हो सकता, यह कोई नादिरशाही से नहीं हो सकता कि चलिए अब सब की बिल्डिंग गिराई जाएगी, ऊँची की जाएगी। वह तो खुद हर आदमी को आगे आना होगा। देखिए, यह एक आंदोलन है। हर एक व्यक्ति इसमें बढ़कर आगे आएगा कि मुझे यह फैसिलिटी लेनी है। जन-आंदोलन जब बनता है, तभी बदलाव आते हैं और सुधार होता है। कभी प्रशासनिक डंडागिरी से कुछ नहीं होता।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''बिल्कुल विजेंद्र जी। मैंने आपसे कुर्सी पर एक प्रश्न शुरू-शुरू में पूछा था। वह इसलिए पूछा क्योंकि आजकल चेयर को इंपीच करने का एक फैशन-सा हो गया

है। इस पर आप क्या कहेंगे?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''नहीं, मैं तो आपके सामने कॉफ़ी-टेबल बुक लाया हूँ। आप इसको ज़रूर देखिएगा, इसके आपको लगेगा कि इस चेयर को किस तरह हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने अपने ओहदे से, अपने विवेक से, इसको एक पॉजीशन दी है।''

श्री आनन्द नरसिंहन (दर्शकों से) : ''यह जो देख रहे हैं आप, यह तस्वीर जो है यह विट्ठलभाई पटेल जी की है। विट्ठलभाई पटेल इन अगस्त 1925, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ़ द हाउस। प्रेसिडेंट उस वक्त यानी कि जो चेयर होते थे उनको स्पीकर नहीं, प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कहा जाता था। और विट्ठलभाई झबेरभाई पटेल, वल्लभभाई झबेरभाई पटेल के बड़े भाई (सरदार पटेल साहब) के बड़े भाई हैं। सो 'ही वाज एड ओवर बाय टू वहट्स ही टी. रंगाचार्य इफ़ आई रिमेंबर'। सो 56 वहट्स एण्ड 58 वहट्स।' सो ये कमेंमरेट करने के लिए और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं बस एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पुराना सदन और नया सदन। आप ज़रा इसके बारे में बताइये।''

श्री विजेन्द्र गुप्ता (दर्शकों से) : ''यह जो ऊपर आप देख रहे हैं यह दिल्ली की असेम्बली है आज की डेट में। यह फर्स्ट पार्लियामेंट है इण्डिया की और सन् 1912 में इस स्ट्रक्चर को बनाया गया था। दिसम्बर 1911 को किंग जॉर्ज़-पंचम भारत आए थे और दिल्ली में एक दिल्ली दरबार-थर्ड हुआ था। उसमें यह अनाउंस किया गया था कि अब देश की राजधानी कलकत्ता नहीं, दिल्ली होगी। उसके बाद यह डिसीजन लिया गया कि यहां पर हमें एक सेक्रेटेरिएट बनाना है। क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था दिल्ली के अंदर। और उनके पास गवर्नेंस के लिए, रूल करने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। तो उन्होंने 8 महीने में दिल्ली की असेंबली को बनाया था और 27 जनवरी 1913 को यहाँ पर हाउस की प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई। तब यह इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौन्सिल थी। उसके बाद 1921 में टू हाउस सिस्टम आया। यह जो फोटो है यह विट्ठलभाई पटेल जी का, ये दोनों हाउसेस में प्रेसिडेंट रहे हैं। यह जो ऊपरवाले हाउस में जब वह इलेक्ट होकर आए 24 अगस्त 1925 को और उसके बाद यह जो पार्लियामेंट नीचे दिखाई जा रही है। यह 18 जनवरी 1927 को यह इनॉगोरेट हुई थी और तब विट्ठलभाई फिर उस चेयर पर जाकर बैठे थे जिसको अब 'संविधान-सदन' कहा जाता है। अब यह पार्लियामेंट सेकंड हो गई है क्योंकि अब एक नयी पार्लियामेंट हमारे सामने है। इस पर तो आप पूरा एक सेशन करेंगे। यह मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''जी मैं समझ गया। लेकिन यह 'फ़ाँसीघर' वाला क्या एंगल है?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''ये बहुत ही अनफ़ॉर्चूनेट है। मतलब बहुत दुःख है मुझे। जो लोग पॉलिटिक्स में भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का, और मैं यह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं एक डेकोरम से बात करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है जब लोग इस देश के इतिहास के साथ छेड़खानी करते हैं, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। उसमें सेंध लगाते हैं और हमारे शहीदों का अपमान करते हैं। ऐसा ही किया है, उन लोगों ने जिन्होंने उस पवित्र जगह को, गांधीजी ने खुद अपनी किताब 'माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ' में लिखा है कि मैं अपने जीवन में सिर्फ़ एक बार किसी चेंबर में

प्रोसीडिंग्स देखने गया हूं विज़िटर्स गैलरी में और वह दिल्ली की असेम्बली है जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौन्सिल थी और उस दिन रॉलेट एक्ट पर बहस चल रही थी। रॉलेट एक्ट वह एक्ट है जिसके अगेंस्ट गांधीजी ने सिविल डिसओबिडियंस की शुरुआत की थी। 13 अप्रैल 1919, जब जलियाँवाला बाग़ हत्याकाण्ड हुआ, वह क़ानून इस असेंबली में पास होता है। उसके बाद दिल्ली के चाँदनी चौक में मशीन गनें चलती हैं 30 मार्च 1919 को और 13 अप्रैल को जलियाँवाला बाग़ होता है। नटशेल में मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो असेंबली है इसमें लाला लाजपत राय मेम्बर रहे हैं। इसमें गोपालकृष्ण गोखले रहे हैं। इसमें मदनमोहन मालवीय जी के 440 स्पीचेस हैं। वह 20 साल मेम्बर रहे हैं। इसमें बिपिनचंद्र पाल मेम्बर रहे हैं। इसमें तमाम फ्रीडम फाइटर्स मेंबर रहे हैं। और उनका योगदान है। और कभी आप मुझे मौका देंगे तो हमने इसकी प्रोसीडिंग्स, जिसका आपने एक पेज पढ़ा है। ऐसे 89 वॉल्यूम्स की प्रोसीडिंग्स बनी है। विट्ठलभाई पटेल जब चेयर पर थे–1924 से 1930 तक–पूरी प्रोसीडिंग्स है उसमें। एक-एक शब्द है। एक-एक कोमा, फुल स्टॉप तक है। तो, यहाँ कभी कोई फ़ाँसीघर हो ही नहीं सकता, है ही नहीं।''

> **...उस लिफ्ट को कहा गया कि यह फ़ाँसी का फंदा है और एकसाथ दो लोगों को फ़ाँसी दी जाती थी। इतना ग़ैर ज़िम्मेदाराना व्यवहार अगर कोई राजनीतिक दल इस देश में कर रहा है तो सम्भलकर रहना पड़ेगा।**

श्री आनन्द नरसिंहन : ''तो फिर यह (फ़ाँसीघर) आया कहाँ से?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''यह हम जानना चाहते हैं उन लोगों से जो सिर्फ़ ग़लतफ़हमी पैदा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जो 'फुड लिफ्ट' है यानी जब सेशन चलता था तो जो मेम्बर्स हैं वह एक शॉर्ट ब्रेक जैसे 'टी' के लिए जिस जगह पर आकर बैठते थे तो वहाँ एक 'फुड लिफ्ट' है जो नीचे से (फूड को 'कुक्ड फूड' कह सकते हैं) उसको ऊपर ले जाती थी और वहाँ पर चेयर्स वगैरह होती थी और वहाँ पर कैंटीन जिसको कहा जा सकता है आज की लैंग्वेज़ में। उस समय उस उसको कैंटीन नहीं कहा जाता था। इनके द्वारा उस लिफ्ट को कहा गया कि यह फ़ाँसी का फंदा है और एकसाथ दो लोगों क्योंकि दो लिफ्ट (फुड लिफ्ट) थी। आज भी है। तो कहा गया कि जो दो फूड लिफ्ट हैं इस पर यानी कि दो लोगों को फ़ाँसी दी जाती थी। इतना ग़ैर ज़िम्मेदाराना व्यवहार अगर कोई राजनीतिक दल इस देश में कर रहा है तो सम्भलकर रहना पड़ेगा। सोचकर चलना पड़ेगा। यह देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र की जो खूबी है, उसमें अगर कुछ लोग इस तरह से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं तो लोकतंत्र में उसके लिए जगह है उन लोगों के लिए।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''वह तो है सर। क्योंकि अभी चल रही है उनकी सरकार, कहीं और चल रही है। यहाँ पर...''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''वह ठीक है, लेकिन अभी तो मैं दिल्ली की असेम्बली का कस्टोडियन हूँ और जो कुछ कह रहा हूँ बहुत रिस्पांसिबिलिटी से कह रहा हूँ, पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को देश कभी माफ़ नहीं करेगा। जो शहादत का, शहीदों का, उनकी उनके सैक्रिफाइस का, एक पॉलिटिकल मोटिवेशन होकर और उनकी आत्मा को तकलीफ़ पहुँचाते हैं।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''पॉलिटिक्स असाइड—आप एक रिस्पांसिबल पोजीशन पर हैं। पर मैं यह प्रश्न आपसे जान पूछना चाहूँगा कि 15 साल अरविन्द केजरीवाल की जो सरकार थी, उन्होंने दिल्ली के साथ सही किया, ग़लत किया। क्योंकि कई लोग यह कहते हैं कि उनको जो मौका दिया, वह जो कर सकते थे उन्होंने किया, बाकी उन्हें करने नहीं दिया गया।''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''देखिए मैं खुद उस हाउस का मेम्बर रहा हूँ। विपक्ष का नेता रहा हूँ। मैं आए दिन वे सारी हरकतें वहाँ देखता था जो वहाँ होती थीं। जिस तरह का माहौल था, अब यह मौका नहीं है वह सारी बात करने का; क्योंकि जो गुजर गया, जो चला गया, वह गुबार था, तो उस गुबार को, उस धुएँ को याद करने का। हाँ, लेकिन वह एक दौर था तकलीफ़ का, जिसमें एक अपॉर्चुनिटी थी दिल्ली के जो सवाल आपके हैं उनके शायद बहुत सारे प्रश्नों का आज ज़वाब होता, लेकिन वे 10 साल दिल्ली के इतिहास के काले अध्याय के रूप में लिखे जायेंगे। क्योंकि उस दौर में दिल्ली और दिल्ली के लोगों को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट में किया जा रहा था।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''कई कई बार उनका यह आर्गुमेंट है कि क्योंकि यह जॉइंट एडमिनिस्टर्ड स्टेट है। सेंटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है इसमें, तो इसलिए वह सक्षम तरीके से और सही रूप से नहीं कर पाए क्योंकि आधे से ज्यादा तो सेंटर ने ही नहीं करने दिया।''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''देखिए यह सब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जगह हैं। विचारधाराएँ अपनी जगह हैं। लेकिन गवर्नेंस का एक ही मॉडल होता है, गवर्नेंस की एक ही भाषा होती है, गवर्नेंस की एक ही ज़िम्मेदारी होती है—लोगों को सर्व करना—'गुड गवर्नेंस'। जब हम 'गुड गवर्नेंस' की बात करते हैं तो फिर उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गोल एक होना चाहिए कि हमको मिलकर इस काम को करना है। लेकिन अगर पहले दिन से ही पॉलिटिक्स माइंड में हो और गिमिक हो और जैसे यही फ़ाँसीघर वाली बात। ऐसे ही 10 साल होता रहा। ऐसे ही झूठ परोसते गए, ऐसे ही लोगों को गुमराह करते गए। ऐसे ही ब्लेम गेम चलती रही। मैं ऑन रिकॉर्ड, मैंने हाउस में भी, हाउस के बाहर भी जब चीज़ें कीं, तभी तो आपने कहा कि आपको तो बाहर ले जाते थे।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''जी।''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''क्योंकि बोलने न देना। अभी तो मैंने टाइमर लगवा दिए हैं। आप हमारे हाउस में आयेंगे तो टाइमर लगे हुए हैं। हर मेम्बर को कितना टाइम दिया जाएगा, चेयर से अनाउंस होता है और उतने मिनट वह बोलता है। पक्ष में बोलता है, विपक्ष में बोलता है। और क्योंकि वह दर्द था कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। जो बात मैं कहना चाहता हूँ मुझे कहने नहीं दी जा रही, क्योंकि वह सरकार के लिए दिक्कत हो सकती है। लोकतंत्र में (सदन में) अगर सरकार यह बात सोचकर, कि इनके बोलने से हमको दिक्कत आएगी, उसको बोलने मत दो। तो वह दौर मैंने देखा है।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''देखिए भाजपा का दिल्ली में करीब 28-29% से लेकर 33% वोट शेयर हमेशा दिल्ली का रहा। अधिकांश आपने विपक्ष में बिताया। यानी दिल्ली के पास जब कॉंग्रेस की सरकार हो, 'आप' की सरकार हो, भाजपा हमेशा विपक्ष में थी। अब जब आपके 5 साल हो जाएँगे, जब चुनाव वापस आएँगे तो विपक्ष में कौन होगा?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''अभी यहाँ से एक काँग्रेस की नेता भी जा रही थीं, तो मैंने उनको कहा कि कुछ दिल्ली में भी नज़र आया करो आप। देखिए अब मैं यही कह सकता हूँ कि लोगों ने विश्वास किया है, उस पर यह सरकार खरी उतरे। लोगों की समस्याओं का हल भी हो और दिल्ली बेहतर हो जाये। रहने के योग्य दिल्ली बनी रहे और बेहतर हो जाये। और जब लोग अच्छा काम करेंगे, तो लोग उनको चुनकर लाएँगे और जहाँ तक विपक्ष की बात है तो अब उनको ही आपस में तय करना चाहिए।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि बिना विपक्ष के तो सरकार का भी मज़ा नहीं है। बिना विपक्ष के सरकार कोई तो चाहिए जो चुबाते रहे, सीधा अलर्ट रखे। है न ?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''विपक्ष ज़रूर रहना चाहिए और विपक्ष से ही सदन की भी सुंदरता है। उसकी (सदन की) भी अपनी एक गरिमा है विपक्ष के होने से। क्योंकि मैंने वह दौर भी देखा है जब 70 में से 67 लोग एक दल के थे। और हम सिर्फ़ तीन थे। कई बार सदन में ऐसी स्थिति थी। ऐसा लगता था मॉब लिंचिंग हो रही है। मतलब जावेद बैठे हैं तो कवर करते थे तो बाकी लोगों भी तो लगता था कि अचानक ये क्या हुआ कि चारों तरफ़ से, पीछे-आगे सबने घेर लिया है और धक्का दे रहे हैं। गाली-गलौज हो रहा है। मैंने क्या किया है ? मैं भी तो चुनकर आया हूँ। मुझे क्यों मारा जा रहा है ? मुझे क्यों धक्के दिए जा रहे हैं ? तो इस तरह का भी इतना भी इमबैलेंस नहीं होना चाहिए। विपक्ष को होना चाहिये। और विपक्ष की बात भी आनी चाहिये। विपक्ष की आवाज़ भी जनता की आवाज़ है।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''देखिए महिला मुख्यमंत्री फिर से हैं। तो कुछ समय के लिए सुषमा जी थीं, शीला दीक्षित जी थीं और अब रेखा जी हैं। अब एक ये वुमन रिज़र्वेशन बिल डीलिमिटेशन होगा। 33% एक्स्ट्रा सीट्स महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। आपका विचार क्या है ? कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा या अच्छा है ?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''नहीं, बहुत अच्छा है। यह तो जो कोई नहीं कर पाया, वह प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा दिया। बात तो पता नहीं कब से चल रही थी। चार-पाँच दशक से तो हम ही सुन रहे थे। जब 1987 में पहली बार वुमेन रिज़र्वेशन की बात आई थी, तो लोकल बॉडीज़ को यह रिज़र्वेशन दिया गया था। तो हम कहते थे कि भाई, लोकल बॉडीज में तो ठीक है, पर मानेंगे तब जब क़ानून बनानेवाले अपने में से रिज़र्वेशन देंगे। मैनिफेस्टो में तो सब रखते थे कि हम महिलाओं को रिज़र्वेशन देंगे। फिर जब सदन में बात भी उठती थी तो फिर एक सिरे तक पहुँचती थी तो फिर पक्ष विपक्ष ऐसा लगता था कि जैसे मिलकर कुछ शोर मचा दिया और उसका हाउस उठ गया और सब चले गए और बिल सब इधर-उधर हो गया। ऐसा भी दौर हुआ है। यानी कि बात करने में तो अच्छी लगती है लेकिन उसको पूरा करने में सब लोग कुछ अलग ही माहौल हो जाता था। लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कहा, वह कर दिखाया।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''हाँ कर तो दिया, पर मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या इतनी महिला लीडर्स हैं ? क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इतना महिलाओं को अवसर दिया है ? उनको इतना ग्रूम किया है डीलिमिटेशन करके कि आप अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी निकाल रहे हैं, दिल्ली की असेम्बली की सीटें बढ़ेंगी ? पार्लियामेंट सीटें बढ़ेंगी ?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''मुझे लगता है कि अगर महिलाओं को मौका मिलेगा तो वह ऑलरेडी ग्रूम्ड है। मतलब ग्रूम करने की आवश्यकता नहीं है। वह ग्रूम है और पहली पार्लियामेंट में 1952 में, जिसमें महिलाओं का 4.4% था और फिर थोड़ा बढ़ाते-बढ़ाते वह 5% हुआ। अभी यह जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है 2024 में, वह 14% है तो अपने आप तो 14% तक ही पहुँचा है और वह भी 75 साल लग गये।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''पर कहीं आपको नहीं लगता यह फेलियर नहीं है सर कि वोटर का 51% या 50% वोटर्स प्रतिशत हैं और रिप्रेजेटेशन में मात्र 14% ?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''मुझे लगता है कि अब एक नया दौर शुरू हुआ है। अब महिलाओं पर बड़ी ज़िम्मेदारी है कि अब उनको यह सिद्ध करना है कि देर हुई, लेकिन दुरुस्त हुआ। अब महिलाओं को यह प्रूव करना होगा कि अगर आधी आबादी को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वह डिलीवर कर रही हैं। वह पार्टिसिपेट कर रही हैं। वह डिलीवर कर रही हैं।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''अब दो प्रश्न जल्दी आपसे मैं पूछूंगा। एक यह एलजी साहब के ऑफ़िस अब तो नये गवर्नर साहब हैं। नये एलजी हैं। तो समीकरण बैठ रहा है वहाँ ? बहुत बढ़िया तालमेल है ? ठीक-ठाक है ?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''आप पत्रकार हैं, आप एक चैनल हैं तो आपका तो काम है कुरेदना और जो नहीं है उसमें से भी कुछ निकालना। आप कुरेदते रहिए, कुछ निकलनेवाला नहीं।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''चलिए अन्तिम डेढ़ मिनट है तो मैं आपसे पूछूँगा। तीन चीज़ें जो आपको लगता है अगले एक साल में या तो इन टर्म्स ऑफ़ लेजिस्लेशन एण्ड बिल्स या फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ़ पेंडिंग वर्क। तीन चीज़ें जो आपको लगता है कि आपकी सरकार या यह सरकार इस सरकार को करना चाहिए या आपके सदन में यह आप होता हुआ देखना चाहेंगे ?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''नहीं इंप्लीमेंटेशन ऑफ़ वुमन बिल तो क़ानून बन जायेगा। जब इलेक्शन जहाँ भी होंगे वह उसमें डीलिमिटेशन हो जाएगा। ये तो अब ऑटोमेशन मूड में आ गया मेरे को लगता है।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''मैं इसकी भी बात कर रहा हूं। इसके अलावा दिल्ली में आपके जो सदन में तीन ऐसी बिल्स या कुछ ऐसी रूल्स या लेजिस्लेशंस लॉज़ जो आप लाना चाहते हैं या चीज़ें होती हुई देखना चाहते हैं दिल्ली में अगले एक साल में ?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''मैं तो इतना कहूंगा कि दिल्ली का विकास दिल्ली के लोगों की सहूलियत, उनको मिलनेवाली नागरिक सुविधाएँ और दिल्ली की जो बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, उन पर हमको फ़ोकस करने की ज़रूरत है और उसका एक रोडमैप तैयार होना चाहिए और मुझे लगता है उस पर उसी दिशा में काम भी हो रहा है।''

श्री आनन्द नरसिंहन : ''विजेद्र गुप्ता जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ''आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।''

ओडिशा सरकार ने की भुवनेश्वर में सेंट्रल विस्टा की तर्ज़ पर एक नये विधान सभा भवन और सचिवालय के निर्माण की घोषणा

ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में सेंट्रल विस्टा की तर्ज़ पर एक नये विधान सभा भवन और सचिवालय के निर्माण की घोषणा की। 12 जनवरी, 2026 को मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहनचरण मांझी ने ओडिशा की प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भुवनेश्वर में 71 एकड़ क्षेत्र में ₹3,623 करोड़ की लागत से नये एकीकृत सचिवालय और विधान सभा परिसर की आधारशिला रखी। यह परिसर अगले 50 वर्षों की ज़रूरतों और नयी दिल्ली के 'सेंट्रल विस्टा' की तर्ज़ पर बनाया जाएगा। वर्ष 2029 के परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या 147 से बढ़कर 196 होने की सम्भावना है। इसे देखते हुए नये हॉल में 300 विधायकों के बैठने की व्यवस्था होगी। 70 साल पुराने और जर्जर 'लोकसेवा भवन' के स्थान पर अब हाईटेक टॉवर्स, बेसमेंट पार्किंग और उन्नत सुरक्षा प्रणालीयुक्त परिसर बनेगा।

उत्तरप्रदेश विधान सभा सदन में श्रद्धाञ्जलि के दौरान मोबाइल बजने पर विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

उत्तर प्रदेश विधान सभा सदन में बजट सत्र के दूसरे दिन एक ऐसी घटना हुई, जिसने सदन में अनुशासन की ज़रूरत को एक बार फिर साफ़ कर दिया। दिवंगत साथियों को श्रद्धाञ्जलि देने के लिए रखे गए मौन के दौरान, दो माननीय विधायकों के मोबाइल फ़ोन बजने से सदन की शांति भंग हुई। इस पर विधान सभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने गहरी संवेदनशीलता दिखाते हुए सदन की मर्यादा बनाए रखने हेतु तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। शोकसभा की गम्भीरता को देखते हुए, माननीय अध्यक्ष ने मोबाइल बजने की घटना को सदन की गरिमा के प्रतिकूल माना और सुरक्षाकर्मियों को फ़ोन अपने संरक्षण में लेने का आदेश दिया। इस घटना में फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक श्री चौधरी बाबूलाल तथा एक अन्य विधायक के फोन बजने की जानकारी मिली। अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया कि संसदीय शिष्टाचार का पालन अनिवार्य है। उत्तरप्रदेश विधान सभा सदन में मोबाइल के उपयोग पर पहले से ही सख़्त नियम और दिशा-निर्देश जारी हैं। 2023 में स्पीकर ने सदन में फोन प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी, जिसे बाद में शर्तों के साथ अनुमति दी गई। यह कार्रवाई भविष्य के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि सदन की उच्च परम्पराओं का सम्मान सर्वोपरि है। इस घटना से स्पष्ट है कि अब नियमों को और भी अधिक सख़्ती से लागू किया जाएगा।

महाराष्ट्र विधान सभा में 80 पुराने क़ानून समाप्त

दिनांक 17 मार्च 2026 को महाराष्ट्र विधान सभा में 80 पुराने और अनुपयोगी क़ानूनों तथा अधिनियमों को समाप्त करनेवाला एक महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री श्री आशीष शेलार द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया। सरकार के अनुसार ये अधिकांश क़ानून ब्रिटिश शासनकाल तथा राज्य-पुनर्गठन से पहले बनाए गए थे, जिनकी वर्तमान समय में उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। इन पुराने क़ानूनों के बने रहने से प्रशासनिक कार्यों में भ्रम और अनावश्यक

बाधाएँ उत्पन्न हो रही थीं। राज्य सरकार ने बताया कि संवैधानिक परिवर्तनों, नये क़ानूनों के लागू होने और प्रशासनिक सुधारों के कारण अनेक पुराने अधिनियम अप्रासंगिक हो गए थे। इसी कारण सरकार ने राज्य में लागू पुराने क़ानूनों की समीक्षा प्रक्रिया आरम्भ की। समाप्त किए गए अधिनियमों में 'बॉम्बे अधिनियम', 'हैदराबाद अधिनियम', 'सेण्ट्रल प्रोविंसेस एवं वर्धा अधिनियम' तथा 'मध्यप्रदेश एप्रोप्रिएशन अधिनियम' शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 'मुम्बई आबकारी अधिनियम 1878', 'मुम्बई अनाज नियंत्रण अधिनियम 1939' तथा 'मुम्बई कपास नियंत्रण अधिनियम 1942' जैसे पुराने क़ानून भी निरस्त किए गये।

पंजाब सरकार ने पारित किया 'जागत जोत श्रीगुरुग्रंथसाहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026'

दिनांक 13 अप्रैल 2026 को वैशाखी के दिन पंजाब विधान सभा में 'जागत जोत श्रीगुरुग्रंथसाहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026' पारित हो गया तथा 19 अप्रैल से यह आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। यह क़ानून सिखों के धर्मग्रन्थ श्रीगुरुग्रन्थसाहिबजी के विरुद्ध बेअदबी और ऐसी साज़िश से जुड़े 'जागत जोत श्रीगुरुग्रन्थसाहिब सत्कार अधिनियम-2008 का एक संशोधन है। इस क़ानून में श्रीगुरुग्रन्थसाहिबजी का अनादर करने पर 25 लाख रुपये के जुर्माने के साथ दस वर्ष के कारावास की सज़ा का प्रावधान है।

अन्तरराष्ट्रीय विधान परिदृश्य

अमेरिकी काँग्रेस का ऐतिहासिक कदम : हाउसिंग संकट से निपटने के लिए द्विदलीय विधेयक पारित

वैश्विक राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं की एकजुटता का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अमेरिकी काँग्रेस ने देश के गम्भीर आवास संकट से निपटने के लिए एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक द्विदलीय विधेयक पारित किया है। इस '21st Century ROAD to Housing Act' (H.R. 6644) को हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स के मज़बूत समर्थन के पश्चात् मार्च 2026 में सीनेट ने भी 89-10 के भारी मतों से अपनी स्वीकृति दे दी है। यह क़ानून मुख्य रूप से घरों की आपूर्ति बढ़ाने, अनावश्यक विनियामक बाधाओं को कम करने, स्थानीय समुदायों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और किफ़ायती आवास वित्तपोषण (सस्ती होमलोन व्यवस्था) को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। इस क़ानून को बनाने में धुर विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा किया गया सहयोग इस विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता है। इस विधेयक के दूरगामी प्रावधानों में पर्यावरण-सम्बन्धी समीक्षाओं को सरल बनाना, विनिर्मित आवास-नियमों का आधुनिकीकरण और बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा एकल-परिवार के घरों को खरीदने पर रोक लगाना शामिल है ताकि आम नागरिक आसानी से घर खरीद सकें। दशकों के इस सबसे बड़े सुधार से युवा परिवारों, मध्यम वर्ग और कम आयवाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान राजनीतिक ध्रुवीकरण के दौर में यह अभूतपूर्व विधायी सफलता विश्व के समक्ष यह सकारात्मक संदेश देती है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएँ जनसमस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होती हैं, तो राष्ट्रहित में बड़े और ऐतिहासिक परिवर्तन सम्भव हो जाते हैं।

रॉलेट एक्ट : ब्रिटिश विश्वासघात और भारत का जागरण

मुदित गोस्वामी*

"सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है; लेकिन जो जागकर सोने का बहाना करे, उसके कान में ढोल बजाने पर भी वह क्यों सुनेगा?"—महात्मा गांधी के ये शब्द उस गहरी टीस का परिणाम थे जो उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के दोहरे रवैये से मिली थी। सन् 1918 में जब प्रथम विश्वयुद्ध का कोहरा छँटा और इंग्लैण्ड ने जर्मनी पर विजय-पताका फहरायी, तब समूचा भारत एक नयी उम्मीद की दहलीज़ पर खड़ा था। देश के राष्ट्रवादी नेताओं और आम जनता को यह अटूट भरोसा था कि युद्ध की इस कठिन घड़ी में भारतीयों ने जिस निष्ठा और साहस का परिचय दिया है, उसका प्रतिफल स्वराज या कम-से-कम सत्ता में सम्मानजनक हिस्सेदारी के रूप में अवश्य प्राप्त होगा।

इसके लिए, युद्धकाल में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस से लेकर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौन्सिल के राष्ट्रवादी सदस्यों तक ने साम्राज्य का हरसम्भव सहयोग किया। यहाँ तक कि सन् 1918 में स्वयं गांधीजी ने गुजरात के गाँवों में जाकर किसानों से और अप्रैल में दिल्ली में आयोजित युद्ध-सम्मेलन में जाकर युवाओं से सेना में भर्ती होने की भावुक अपील की थी। उस दौरान उन्होंने एक पर्चे में बड़े विश्वास के साथ दावा किया था कि 'स्वराज पाने का सबसे सीधा और सुगम मार्ग साम्राज्य की सुरक्षा में भागीदार बनना है।'

आँकड़े गवाह हैं कि इस युद्ध में तेरह लाख भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश सम्राट के लिए सात समन्दर पार मोर्चा सम्भाला और यूरोप की कड़कड़ाती ठंढ से लेकर मध्य-पूर्व के रेगिस्तानों तक साम्राज्य की रक्षा की। लगभग चौहत्तर हज़ार भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और देश के किसानों ने भारी करों का बोझ सहकर भी युद्ध के वित्तपोषण में योगदान दिया। इतने बड़े त्याग और सहयोग के बाद, भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत से कृतज्ञता, अधिकारों और सुधारों की अपेक्षा थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के मन में कुछ और ही पक रहा था। वह उपहार के रूप में अधिकार नहीं, बल्कि दमन का एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार कर रही थी जिसे इतिहास 'रॉलेट एक्ट' या 'काला क़ानून' के नाम से पुकारनेवाला था।

इस क़ानून में 'न अपील, न दलील, न वक़ील' जैसी स्थिति थी। गिरफ़्तार व्यक्ति को 2 साल तक बिना मुक़द्दमा चलाए सलाखों में रखा जा सकता था। इतना ही नहीं, जनता की आवाज़ दबाने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता, सभा और भाषण की आज़ादी पर भी कठोर प्रतिबंध लगाए गये।

* शोधकर्ता, विधायी अध्ययन ब्यूरो, दिल्ली विधान सभा।

रॉलेट एक्ट की नींव किसी अचानक हुई घटना का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें 10 दिसम्बर 1917 को ही जम चुकी थीं। ब्रिटिश हुकूमत के इस कदम के पीछे वैश्विक और स्थानीय–दोनों कारण मौजूद थे। अक्टूबर 1917 में रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति ने दुनियाभर के साम्राज्यों को हिला दिया था। भारत में बैठी अंग्रेज़ी हुकूमत इस बात से आशंकित थी कि कहीं साम्यवादी लहर और बढ़ते क्रांतिकारी स्वर मिलकर उनके शासन का अंत न कर दें। इसी भय के साये में, दिसम्बर 1917 में एक सेडिशन कमेटी (राजद्रोह-समिति) का गठन किया गया। इसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के 'आपराधिक षड्यंत्रों' के स्वभाव और उनके फैलाव की पड़ताल करना था। इंग्लैण्ड के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनी इस छह-सदस्यीय समिति (जिसमें दो भारतीय सदस्य भी शामिल थे) ने देश के चप्पे-चप्पे का अध्ययन किया। उनका विशेष ध्यान बंगाल पर रहा, जो उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का सबसे ज्वलंत केंद्र था।

न्यायमूर्ति सर सिडनी रॉलेट

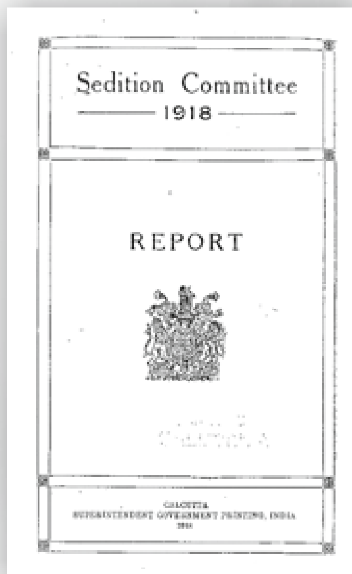
Sedition Committee
1918
REPORT
CALCUTTA
SUPERINTENDENT GOVERNMENT PRINTING, INDIA

अप्रैल 1918 में न्यायमूर्ति सर सिडनी रॉलेट ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। यह रिपोर्ट भारतीयों के दमन का क्रूर घोषणापत्र था। इस रिपोर्ट में सन् 1897 से 1919 तक की घटनाओं, जैसे–पूने के चाफेकर-बंधुओं द्वारा रैंड-वध, बंगाल-विभाजन के बाद का विद्रोह, अलीपुर बम काण्ड और दिल्ली-षड्यंत्र का हवाला देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि भारत में एक विशाल 'संगठित नेटवर्क' सक्रिय है और क्रांतिकारी गतिविधियाँ लगातार पैर पसार रही हैं।

'माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स' का चारा

ब्रिटिश कूटनीति का एक पुराना तरीका रहा है–असंतोष को दबाने के लिए एक हाथ से थोड़ा अधिकार देना और दूसरे हाथ से गला घोंट देना। जैसे कड़वी दवा देने से पहले बच्चे को गुड़ खिलाया जाता है, ठीक उसी तरह भारत-मंत्री एडविन माण्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सन् 1918 में संवैधानिक सुधारों की एक योजना पेश की।

इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधानमण्डल में दो सदन बनाए गए–निम्न सदन सेण्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली (केन्द्रीय

विधान सभा) और उच्च सदन कौन्सिल ऑफ़ स्टेट्स। लेजिस्लेटिव असेम्बली में सदस्यों की संख्या लगभग 70 से बढ़ाकर 145 कर दी गई, जबकि कौन्सिल ऑफ़ स्टेट्स में लगभग 60 सदस्य रखे गए (जिसमें चुने हुए और नामित सदस्य शामिल थे)। यद्यपि इन सदनों में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ा ज़रूर, तथापि निर्णायक शक्ति अंग्रेज़ सरकार के हाथ में ही रही।

इस प्रणाली की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता दोहरी शासन व्यवस्था थी। इसके तहत विषयों को दो भागों में बाँटा गया–

- **आरक्षित विषय :** जैसे वित्त, क़ानून और व्यवस्था, जो पूरी तरह गवर्नर के नियंत्रण में रहे।
- **हस्तांतरित विषय :** जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन, जिन्हें भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया, लेकिन उन पर अन्तिम नियंत्रण गवर्नर का ही रहा।

इस तरह यह सुधार-व्यवस्था भारतीयों को सत्ता में भागीदारी देने से अधिक, उन्हें प्रशासनिक ढाँचे में उलझाकर अंग्रेज़ी नियंत्रण को और मज़बूत करने का एक राजनीतिक प्रयोग बनकर रह गई।

इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट में गूँजी रॉलेट बिल की बहस

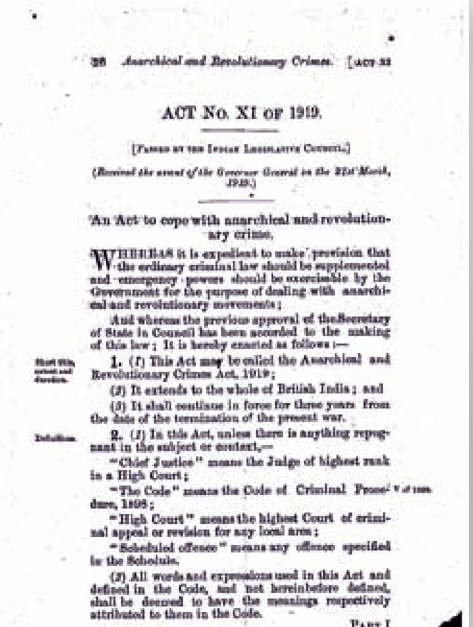

28 *Anarchical and Revolutionary Crimes.* [ACT XI

ACT No. XI OF 1919.

[PASSED BY THE INDIAN LEGISLATIVE COUNCIL.]

(*Received the assent of the Governor General on the 21st March, 1919.*)

An Act to cope with anarchical and revolutionary crime.

WHEREAS it is expedient to make provision that the ordinary criminal law should be supplemented and emergency powers should be exercisable by the Government for the purpose of dealing with anarchical and revolutionary movements;

And whereas the previous approval of the Secretary of State in Council has been accorded to the making of this law; It is hereby enacted as follows:—

Short title, extent and duration. 1. (1) This Act may be called the Anarchical and Revolutionary Crimes Act, 1919;

(2) It extends to the whole of British India; and

(3) It shall continue in force for three years from the date of the termination of the present war.

Definitions. 2. (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

"Chief Justice" means the Judge of highest rank in a High Court;

"The Code" means the Code of Criminal Procedure, 1898;

"High Court" means the highest Court of criminal appeal or revision for any local area;

"Scheduled offence" means any offence specified in the Schedule.

(2) All words and expressions used in this Act and defined in the Code, and not hereinbefore defined, shall be deemed to have the meanings respectively attributed to them in the Code.

PART I

दिनांक 06 फरवरी 1919 को इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट (सम्प्रति दिल्ली विधान सभा भवन) में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, 1919 ('रॉलेट बिल') सरकार की ओर से गृह मंत्री सर विलियम विन्सेंट द्वारा पेश किया गया। अपने भाषण में उन्होंने रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए इस कठोर क़ानून का तुरन्त पारित होना आवश्यक है।

इसके बाद राष्ट्रवादी सदस्य विट्ठलभाई पटेल ने सदन में खड़े होकर इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जब पूरी दुनिया शांति और सुधारों की ओर बढ़ रही है, ऐसे समय में इस प्रकार का कठोर क़ानून लाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा–''दमनकारी क़ानून अराजकता को कम नहीं करते, बल्कि जनता में असंतोष और अविश्वास को और बढ़ा देते हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि इस बिल को नये सुधारों के आने तक, कम-से-कम छह महीने के लिए स्थगित किया जाए।''

इसके बाद सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भी इसका विरोध करते हुए, सरकार के सामने अपनी बात कही।

THE BOMBAY CHRONICLE. SATURDAY. MARCH 1. 1919.

MINERS' COMMISSION BILL.

PREMIER'S APPEAL TO LABOUR PARTY.

LABOUR AMENDMENT LOST.

LABOUR DISPUTES IN BRITAIN.

PASSIVE RESISTANCE AGAINST THE BLACK BILLS

GRATUITIES TO INDIAN ARMY AND MARINE OFFICERS.

CENTRAL COMMISSION FOR TERRITORIAL QUESTIONS.

LATE AMIR OF AFGHANISTAN ASSASSINATED IN BED.

COMPACT BETWEEN LATE AND NEW AMIRS.

MR. GANDHI LEADS THE MOVEMENT.

PLEDGE TO DISOBEY LAWS.

Passive Resistance or Satyagraha against the Rowlatt Bills was inaugurated at a meeting held at the Ashram of Mahatma Gandhi at Ahmedabad on Monday. Below we publish the Satyagraha Vow, with the first lists of signatories in Bombay and Ahmedabad and Mr. Gandhi's manifesto.

The Satyagraha Vow.

Being conscientiously of opinion that the Bills known as the Indian Criminal Law (Amendment) Bill No. I of 1919 and the Criminal Law (Emergency Powers) Bill No. II of 1919, are unjust, subversive of the principles of liberty and justice, and destructive of the elementary rights of individuals on which the safety of the community, as a whole, and the State itself is based, we solemnly affirm that, in the event of these Bills becoming law and until they are withdrawn, we shall refuse civilly to obey these laws and such other laws as a Committee to be hereafter appointed may think fit, and we further affirm that in this struggle we will faithfully follow truth and refrain from violence to life, person or property.

PUBLIC INDIGNATION IN SINGAPORE.

MEDICAL AUTHORITIES' APPEAL.

MR. MONTAGU'S RETURN TO PARIS.

CEYLON LEGISLATIVE COUNCIL.

COLLECTION OF ESTATE DUTIES BILL.

CHIROL INTERVIEWED.

PATIENCE OF GOVERNMENT OF INDIA!

HIS VIEWS ON INDIAN PRESS LAW.

TILAK V. CHIROL CASE.

उन्होंने कहा कि सरकार के पास पहले से ही कई शक्तियाँ मौजूद हैं, जैसे–डिफेन्स ऑफ़ इण्डिया एक्ट-1915, अध्यादेश जारी करने का अधिकार और 1818 का रेगुलेशन III, जिसके तहत संदिग्ध व्यक्तियों को नज़रबंद किया जा सकता है। ऐसे में एक नया दमनकारी क़ानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे केवल जनता में आक्रोश बढ़ेगा।

इसी बहस में मुहम्मद अली जिन्ना ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''जो व्यक्ति क़ानून और न्याय में विश्वास करता है, उसके लिए यह क़ानून अत्यंत आपत्तिजनक और भयावह है... किसी भी सभ्य देश में ऐसे क़ानून का कोई उदाहरण नहीं मिलता और यह न्याय के मूल सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है।''

पण्डित मदनमोहन मालवीय ने भी इस बिल पर विस्तृत और गहन चर्चा करते हुए सरकार को यह समझाने की कोशिश की कि यह क़ानून तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित नहीं है और इससे जनता का विश्वास कमज़ोर होगा।

सात फरवरी, 1919 को श्री वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री का भाषण अत्यंत प्रभावशाली रहा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस तरह के दमनकारी क़ानून देश में भय और असंतोष का वातावरण पैदा करेंगे और इससे आंदोलन और अधिक तीव्र हो सकता है। उन्होंने वायसराय के सामने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दमन का मार्ग अपनाया, तो इसके परिणाम गम्भीर होंगे और वह स्वयं भी ऐसे विरोध और आंदोलन से दूर नहीं रह पाएँगे।

इसके बाद मार्च 1919 में लगातार लम्बी बहसें चलती रहीं, जिसकी गूँज अख़बारों के माध्यम से देशभर में ही नहीं, बल्कि लन्दन में एक मुक़द्दमे के सिलसिले से गए लोकमान्य तिलक तक पहुँच रही थी। बिल को रोकने के लिए दिनांक 01, 12, 13 और 14 मार्च को राष्ट्रवादी सदस्यों ने कौन्सिल में गहन चर्चा की। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से इसे रोकने या संशोधित करने की ज़ोरदार अपील की। साथ ही कठोर चेतावनी दी कि देश में व्यापक आंदोलन की ज़मीन तैयार हो रही है और इस आंदोलन से वह भी अछूते नहीं रहेंगे, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत पहले ही निर्णय ले चुकी थी। अंततः 18 मार्च 1919 को यह बिल कौन्सिल में पास हो गया और रॉलेक्ट बिल क़ानून बन गया।

गांधीजी का द्वंद्व : निष्ठा से असहयोग की ओर

दूसरी तरफ़, गांधीजी इस बिल के विरोध में मानसिक रूप से बहुत पहले तैयार हो चुके थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरा दुःख था। यह दुःख उस व्यक्ति का था जिसने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य को अपना मित्र मानकर गुजरात के किसानों से सेना में भर्ती होने की अपील की थी। उन्हें अटूट विश्वास था कि युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज़ सरकार भारत की सेवा का सम्मान करेगी और अधिकार प्रदान करेगी। लेकिन, जब रॉलेट एक्ट-जैसा दमनकारी क़ानून सामने आया, तो वह भरोसा रेत के महल की तरह ढह गया।

इस विश्वासघात के ज़वाब में गांधीजी ने 24 फरवरी 1919 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में एक निर्णायक बैठक बुलायी। वल्लभभाई पटेल-जैसे दिग्गजों की उपस्थिति में यहीं 'सत्याग्रह प्रतिज्ञा-पत्र' का जन्म हुआ। इस प्रतिज्ञा में रॉलेट एक्ट को समाज के लिए 'घातक और विध्वंसकारी' घोषित किया गया। इस प्रतिज्ञा-पत्र में गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा–'यदि यह विधेयक क़ानून बना, तो जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता, तब तक सत्याग्रह का शंखनाद किया जाएगा।' उन्होंने इस संघर्ष की दो अनिवार्य शर्तें रखीं– सत्य और अहिंसा। आश्रम में मौजूद नेताओं ने प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो आनेवाले तूफ़ान की पहली दस्तक बनी।

वायसराय को पत्र और दिल्ली की वह मुलाकात

उसी दिन गांधीजी ने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक पत्र भेजा, जिसमें चेतावनीभरे स्वर में लिखा– 'दुनिया की सबसे कठोर सरकारें भी अंततः अपनी सत्ता का आधार जनता की इच्छा में ही पाती हैं।' उन्होंने ज़वाब की प्रतीक्षा की, लेकिन सत्ता के अहंकार ने चुप्पी साधे रखी। अंततः गांधीजी स्वयं 04 मार्च 1919 की शाम वायसराय से मिलने बम्बई से दिल्ली पहुँचे। 05 मार्च की वह दो घंटे की मुलाकात इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। इस मुलाकात का सार गांधीजी ने अपने पुत्र देवदास को लिखे पत्र में व्यक्त किया:

'बातचीत अत्यंत विनम्र और मैत्रीपूर्ण थी, लेकिन हम दोनों एक-दूसरे की बात को समझ नहीं सके। मुझे महसूस हुआ कि अंग्रेज़ी शासन तर्क और न्याय से अधिक परिस्थितियों और सत्ता के कठोर अनुभव के आधार पर चलता है।'

इस मुलाक़ात के बाद गांधीजी के मन का सारा संशय मिट गया। उन्हें समझ आ गया कि साम्राज्य अब दलील की भाषा नहीं समझेगा। अब उनके सामने केवल एक ही मार्ग शेष था–जनांदोलन और सत्याग्रह। यह एक ऐसा युद्ध था जहाँ हथियार शब्द और संकल्प थे।

रॉलेट सत्याग्रह : एक राष्ट्रव्यापी जागृति

रॉलेट एक्ट के सदन में पहुँचते ही गांधीजी सक्रिय हो चुके थे। फरवरी के अंतिम सप्ताह से ही उन्होंने समाचार-पत्रों के माध्यम से जनता को इस 'काले क़ानून' के ख़तरों के प्रति सचेत करना शुरू कर दिया था। 07 मार्च 1919 को दिल्ली के 'पत्थरवाले कुएँ' के मैदान (सम्प्रति लाजपत राय मार्केट) में एक ऐतिहासिक सभा हुई जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हुए। लगभग डेढ़ महीने पहले हुए एक गम्भीर ऑपरेशन के कारण गांधीजी शारीरिक रूप से अत्यंत कमज़ोर थे, अतः उनका भाषण उनके सचिव महादेव देसाई ने पढ़ा।

गांधीजी ने इस क़ानून को एक 'बीमारी' की संज्ञा दी और इसका एकमात्र उपचार 'सत्याग्रह' बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मार्ग पर चलने के लिए अडिग साहस और सत्यनिष्ठा अनिवार्य है। दिल्ली की जनता पर इस सम्बोधन का गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद गांधीजी ने राष्ट्रव्यापी दौरा प्रारम्भ किया। वह दिल्ली से लखनऊ और प्रयागराज पहुँचे, जहाँ वह मदनमोहन मालवीय के घर ठहरे। इस दौरान सभाएँ कीं और लोगों को आंदोलन के लिए एक किया जिसका परिणाम अच्छा रहा और उनके बम्बई पहुँचते-पहुँचते 'सत्याग्रह-प्रतिज्ञा' पर हस्ताक्षर करनेवालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। साथ ही आंदोलन के लिए धन जुटाया गया, जिसका उपयोग पर्चों के प्रकाशन और सांगठनिक यात्राओं में हुआ।

इसके साथ ही महात्मा गांधी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के निमंत्रण पर मद्रास पहुँचे। यहाँ सभाओं में उन्होंने आंदोलन को उत्तर से दक्षिण तक एक सूत्र में पिरो दिया। अंततः 28 मार्च, 1919 को गांधीजी ने दक्षिण भारत के तूतीकोरिन से उस ऐतिहासिक संघर्ष की तिथि 06 अप्रैल घोषित की। उन्होंने देश से आह्वान किया कि इस दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाए, उपवास रखा जाए और प्रार्थना व सभाओं के माध्यम से अपनी नैतिक शक्ति का प्रदर्शन कर सरकार को इस क़ानून को वापस लेने पर विवश किया जाये।

दिल्ली-गोलीकाण्ड : जब अहिंसा और मशीनगनें थीं आमने-सामने

गांधीजी ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए 06 अप्रैल का दिन चुना था, लेकिन संचार की कमी के कारण दिल्ली तक यह सूचना समय पर न पहुँच सकी। परिणाम यह हुआ कि दिल्ली ने 30 मार्च 1919 को ही विद्रोह का बिगुल फूँक दिया।

उस दिन दिल्ली में जो दृश्य दिखा, वह अभूतपूर्व था। हकीम अज़मल ख़ान और स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व में हिंदू-मुस्लिम एकता का एक ऐसा जीवंत रूप उभरा, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के 'बाँटो और राज करो' के सिद्धान्त की चूलें हिला दीं। बाज़ार, दुकानें, तांगे और यहाँ तक कि कसाईख़ाने भी बंद रहे। सेवाभाव ऐसा था कि नाइयों ने पैसे लेने से मना कर दिया और दूधवालों ने मुफ़्त दूध बाँटा। हज़ारों घरों में चूल्हे नहीं जले; पूरी दिल्ली उपवास पर थी।

BLACK BILL DEMONSTRATORS FIRED ON

TRAGEDY AT DELHI.

SEVERAL KILLED AND INJURED.

AMAZING CONDUCT OF POLICE AND MILITARY.

MACHINE-GUN IN ACTION.

दोपहर तक माहौल अनुशासित था, लेकिन रेलवे स्टेशन के पास स्थिति तब बिगड़ गई जब कुछ दुकानों को बंद कराने को लेकर स्वयंसेवकों और स्टेशन मास्टर के बीच विवाद हुआ। देखते-ही-देखते गोरे सैनिक मशीनगनों के साथ वहाँ पहुँच गये। निहत्थी भीड़ ने अपने साथियों को छोड़ने से इनकार कर दिया और अडिग खड़ी रही। अचानक गोलियाँ चलीं और 26 लोग लहूलुहान होकर गिर पड़े। इसके बाद दूसरे स्थान पर गोरखा सैनिकों ने रास्ता रोककर

फिर गोलीबारी की, जिसमें दो लोग शहीद हो गये।

शहीदों और घायलों के साथ ब्रिटिश सैनिकों का व्यवहार अपमानजनक था, जिससे जनता का आक्रोश चरम पर पहुँच गया। इसी तनाव के बीच स्वामी श्रद्धानन्द वहाँ पहुँचे। एक बार फिर पथराव के ज़वाब में गोलियाँ चलीं, जिसमें 12 लोग घायल हुए, लेकिन भीड़ टस-से-मस न हुई।

स्वामी श्रद्धानन्द : साहस का शिखर

इस संघर्ष का सबसे अविस्मरणीय क्षण वह था जब स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व में 40 हज़ार लोगों का विशाल जुलूस निकला। सभा के बाद जब वे लोगों को घर भेज रहे थे, तब एक गोरखा सैनिक ने उन पर बंदूक तानकर धमकी दी–''तुम्हें गोली मार देंगे।'' स्वामीजी ने तनिक भी विचलित हुए बिना अपना सीना तान दिया और बोले–''मैं खड़ा हूँ, गोली चलाओ।'' स्वामीजी के उस फ़ौलादी साहस के सामने सैनिक को पीछे हटना पड़ा।

दिल्ली ने स्वतंत्रता की वेदी पर अपना पहला बड़ा बलिदान इसी संघर्ष में दिया। 30 मार्च से शुरू हुई यह हड़ताल 18 अप्रैल तक चली। दिल्ली की इस आग ने पूरे देश में आक्रोश की एक ऐसी लहर पैदा कर दी, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया।

जलियाँवाला बाग़ हत्याकाण्ड

दिनांक 06 अप्रैल 1919, रविवार के दिन सारे देश में 'रॉलेट बिल विरोधी दिवस' मनाया गया हर जगह हड़ताल और उपवास किया गया। बम्बई में गांधीजी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। पौ फटते ही हज़ारों लोग चौपाटी पर स्नान करने गए जहाँ पर करीब डेढ़ लाख लोग इकट्ठे हुए। इसमें हिन्दू, मुस्लिम, पारसी लोग शामिल थे। इसके साथ ही उड़ीसा, मद्रास, बंगाल और पंजाब में भी आंदोलन में लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

पंजाब उस समय राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। 06 अप्रैल 1919 की हड़ताल के बाद पूरे देश में तनाव बढ़ चुका था। रामनवमी के दिन अमृतसर में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहाँ हिंदू-मुस्लिम एकता के साथ लोग 'महात्मा गांधी की जय' और 'हिंदू-मुसलमान की जय' जैसे नारे लगा रहे थे। इसी बीच 07 अप्रैल को महात्मा गांधी पंजाब की यात्रा के लिए रवाना हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता और आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए उन्हें कोसीकलाँ स्टेशन पर गिरफ़्तार कर लिया। गांधीजी की गिरफ़्तारी की ख़बर जैसे ही देश में फैली, पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। बम्बई में दुकानें बंद हो गयीं, कलकत्ते में भारी भीड़ जमा हो गई और अहमदाबाद में मिल-मज़दूरों ने काम रोक दिया। कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी। सरकार ने हालात बिगड़ते देख सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी और कई शहरों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया।

इसी माहौल में 09 अप्रैल को अमृतसर में दो प्रमुख नेताओं–सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू को निर्वासन का आदेश दिया गया। इससे जनता में गुस्सा और बढ़ गया। 10 अप्रैल को जब गांधीजी की गिरफ़्तारी की खबर अमृतसर पहुँची, तो भीड़ सड़कों पर उतर आयी। बैंकों पर हमले हुए, हिंसा फैली और प्रशासन स्थिति सम्भालने में विफल रहा। शहर को सैनिक नियंत्रण में दे दिया गया और ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को ज़िम्मेदारी सौंपी गयी।

दिनांक 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियाँवाला बाग़ में हज़ारों

लोग एकत्र हुए थे। बाग़ चारों ओर से बंद था और केवल एक सँकरा रास्ता बाहर निकलने के लिए था। लोग शांत सभा में बैठे थे। अचानक जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। बिना किसी चेतावनी के उसने निकलने का रास्ता बंद कर दिया और सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। क्षणभर में पूरा बाग़ गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। लोग भागने लगे, लेकिन रास्ता बंद था। कई लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, कई कुएँ में कूद गये। गोलियाँ लगातार बरसती रहीं और कुछ ही मिनटों में बाग़ लाशों और चीखों से भर गया। इस नरसंहार में 400 से अधिक लोग मारे गए और हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गयी।

गांधीजी ने बाद में इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा विचार किया और माना कि दमन के ज़वाब में केवल हिंसा नहीं, बल्कि अनुशासित और अहिंसक आंदोलन ही सही रास्ता है। इसी कारण उन्होंने यह निर्णय लिया कि आंदोलन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, ताकि देश में फैल रही हिंसा और अराजकता को रोका जा सके और आंदोलन को पुनः अधिक संगठित एवम् अहिंसक आधार पर आगे बढ़ाया जा सके।

ख़िलाफ़त और असहयोग आंदोलन

वहीं, साल 1920 में महात्मा गांधी फिर तैयारी में जुट गये। इसी रॉलेट एक्ट का दमन चल रहा था। इस बीच दो आंदोलन देश में हुए—ख़िलाफ़त और असहयोग, जिन्होंने हिंदू-मुस्लिम समुदाय को एक किया।

ख़िलाफ़त आंदोलन की जड़ें भारत से बाहर, तुर्की में थीं। तुर्की का सुल्तान, जिसे 'ख़लीफ़ा' कहा जाता था, दुनियाभर के मुसलमानों का धार्मिक प्रमुख और पूज्य माना जाता था। जब प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की हार गया, तो उनके सामने सवाल था कि क्या वे अपने ख़लीफ़ा का साथ दें या अंग्रेज़ों का? अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि वे ख़लीफ़ा की स्थिति बनाए रखेंगे, लेकिन 1920 में सेव्रेस की संधि के बाद उन्होंने यह वादा तोड़ दिया। तुर्की का साम्राज्य तोड़ दिया गया और ख़लीफ़ा के अधिकार छीन लिए गये। यह सीधा विश्वासघात था। इससे भारतीय मुसलमानों में आक्रोश फैल गया और ख़िलाफ़त आंदोलन शुरू हुआ। अली-बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अज़मल ख़ाँ-जैसे नेताओं ने इसे आगे बढ़ाया। 1919 में अखिल भारतीय ख़िलाफ़त कमेटी बनी और पूरे देश में विरोध शुरू हो गया।

गांधीजी ने इसे हिंदू-मुस्लिम एकता का बड़ा अवसर माना और इसका समर्थन कर इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। अब आंदोलन ने एक नया रूप लिया—असहयोग आंदोलन। गांधीजी का मानना था कि अंग्रेज़ी शासन की ताक़त भारतीयों के सहयोग पर टिकी है। अगर सहयोग बंद हो जाए, तो यह शासन खुद कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने, स्कूल-कॉलेज़ों का बहिष्कार करने, अदालतों में न जाने, विदेशी वस्त्र त्यागने और स्वदेशी अपनाने की अपील की। धीरे-धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होने लगे। पहली बार लगा कि पूरा देश एकसाथ खड़ा है। ख़िलाफ़त और असहयोग अब एक ही धारा बन गए—लक्ष्य था अंग्रेज़ी सत्ता का विरोध।

दिनांक 01 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक का स्वर्गवास हो गया। उसी दिन गांधीजी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। देश में एक नयी ऊर्जा का संचार हुआ। हर बड़ा नेता इसमें शामिल था और आंदोलन तेजी से फैल रहा था। इसके उद्देश्य स्पष्ट थे—स्वराज, जलियांवाला बाग़ के दोषियों को न्याय और ख़लीफ़ा के अधिकारों की बहाली। गांधीजी ने इसे व्यवस्थित रूप दिया—एक ओर बहिष्कार

(उपाधियाँ लौटाना, स्कूल-अदालत छोड़ना, विदेशी वस्त्र त्याग), दूसरी ओर निर्माण (खादी, राष्ट्रीय शिक्षा, छुआछूत का विरोध)। यही संतुलन इसकी ताकत बना।

धीरे-धीरे यह जन-आंदोलन बन गया। किसान, मज़दूर, छात्र–हर वर्ग जुड़ गया। विदेशी कपड़ों की होली जली, अदालतें सूनी हुईं और जनता को अपनी ताकत का एहसास हुआ। अंग्रेज़ी हुकूमत दबाव में आने लगी। लेकिन 04 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले के चौरी-चौरा काण्ड ने आंदोलन को हिंसक मोड़ दे दिया। इससे दुखी होकर गांधीजी ने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। कई नेता इससे नाराज़ हुए। फिर भी, इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नयी दिशा दी। पहली बार हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर खड़े हुए।

सन् 1919 से 1922 के बीच अंग्रेज़ों ने दमन की हर सीमा पार कर दी थी। गिरफ़्तारियाँ, लाठीचार्ज़, गोलियां, प्रेस पर प्रतिबन्ध और भारतीयों को जेलों में ठूस दिया था। लेकिन इसके बावजूद, देश की एकता के सामने रॉलेट एक्ट टिक नहीं सका। जनता स्वराज के लिए तैयार थी। अंततः मार्च 1922 में यह काला क़ानून समाप्त कर दिया गया। लेकिन तब तक देश बहुत आगे बढ़ चुका था। अब यह सिर्फ़ आंदोलन नहीं, बल्कि स्वराज की ओर बढ़ता अडिग संकल्प बन चुका था।

निष्कर्ष

इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौन्सिल की वे दीवारें आज भी जैसे उस दिन की गूँज सुनती होंगी–जब एक क़ानून पास हुआ था, लेकिन उसी के साथ एक आंदोलन भी जन्म ले चुका था। रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा भारतीयों का दमन था, लेकिन अनजाने में वह भारतीयों की सबसे बड़ी ताक़त बन गया। इसने देश को विचारों में, भावनाओं में और संघर्ष में एक सूत्र में बाँध दिया। गांधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह ने एक नई भाषा दी–जहाँ लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि आत्मबल से लड़ी जाती है। दिल्ली के चाँदनी चौक से लेकर अमृतसर के जलियाँवाला बाग़ तक, और वहाँ से पूरे देश में, यह संदेश फैल गया कि अब भारत चुप नहीं रहेगा।

अंततः अंग्रेजी सरकार को यह समझ आ गया कि रॉलेट एक्ट जैसे कानून जनता की चेतना को दबा नहीं सकते। 1919 से 1922 के बीच, यह क़ानून जितना लागू रहा, उतना ही उसने विरोध को जन्म दिया और यही विरोध आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की मज़बूत नींव बना। शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग्य है कि जिस क़ानून को अंग्रेज़ों ने भारतीयों को रोकने के लिए बनाया था, वही क़ानून भारतीयों को एकजुट कर गया।

आधार-ग्रन्थ :

The Story of My Experiments with Truth, Mahatma Gandhi
Gandhi : (1914–1948), Vol. I, Ramachandra Guha
Sedition Committee Report-India-1918, Rowlatt Committee
History of Modern India, Bipan Chandra
The Collected Works of Mahatma Gandh, Vol. XV, K. Swaminathan (ed.)
Imperial Legislative Council Debates (1919)
The Collected Works of Pandit Madan Mohan Malaviya, Vol. VII-VIII, Ram Bahadur Rai (ed.)
G.S. Khaparde Diary
दिल्ली में गांधी, ब्रजेश कुमार यदुवंशी

केन्द्रीय विधान सभा में लाला लाजपत राय

मुदित मित्तल*

भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के सुदीर्घ इतिहास में लाला लाजपत राय (28 जनवरी 1865-17 नवम्बर 1928) का नाम ऐसे अग्रणी सेनानियों में आता है जिन्होंने अपनी सम्पूर्ण जीवन-साधना राष्ट्र को समर्पित कर दी। 'पंजाब-केसरी' के नाम से विख्यात लालाजी एक राजनेता के साथ साथ एक प्रखर विचारक, लेखक, पत्रकार, समाज-सुधारक, विधिवेत्ता और सबसे बढ़कर, संसदीय लोकतन्त्र के प्रबल समर्थक थे। 'लाल-बाल-पाल' त्रिमूर्ति के एक स्तम्भ के रूप में जहाँ एक ओर वे गरमपन्थी राष्ट्रवाद के प्रतीक थे, वहीं दूसरी ओर 21 जनवरी 1926 से 17 नवम्बर 1928 तक केन्द्रीय विधान सभा, दिल्ली के सदस्य के रूप में उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अत्यन्त सशक्त किया व सिद्ध किया कि संवैधानिक विमर्श और विधायी कार्य भी स्वराज-संघर्ष के प्रबल उपकरण हो सकते हैं।

1. केन्द्रीय विधान सभा में प्रवेश

1.1 असहयोग से विधान मण्डल तक : वैचारिक यात्रा

लाला लाजपत राय की राजनीतिक यात्रा में 1920 के नागपुर काँग्रेस के बाद का काल अत्यन्त निर्णायक है। इस अवधि में वे महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन के प्रबल सेनानी बने, कारावास भोगा (1921-1923) और जेल से मुक्ति के पश्चात् उन्होंने पुनः भारत की राजनीति में सक्रिय भागीदारी प्रारम्भ की। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि मूलतः लालाजी विधान मण्डलों में प्रवेश के प्रबल आलोचक रहे थे। 01 जुलाई 1920 को 'द ट्रिब्यून' के सम्पादक को लिखे पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया था कि,[1] 'पराधीन जाति के नेताओं और विदेशी सरकार के बीच कोई वास्तविक सहयोग सम्भव नहीं है, और विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की उपस्थिति ने देश को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक पहुँचाई है।'

परन्तु चौरी-चौरा की घटना एवम् असहयोग आन्दोलन के स्थगन के पश्चात् देश की परिस्थितियाँ बदल गयीं। दिसम्बर 1922 में गया के काँग्रेस अधिवेशन में 'परिवर्तनकामी' और 'यथास्थितिवादी'–इन दो धाराओं के उदय के साथ चित्तरंजन दास एवं पण्डित मोतीलाल नेहरू ने 'स्वराज पार्टी' का गठन किया, जिसका उद्देश्य विधान मण्डलों में जाकर भीतर से विरोध की नीति

* लेखक भारतीय इतिहास, संस्कृति और शिक्षा पर एक दशक से शोधपूर्ण लेखन कर रहे हैं, एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के सुपरिचित अध्येता हैं।

अपनाना था। जेल से मुक्ति के पश्चात् लालाजी भी स्वराज पार्टी में शामिल हुए और 1925 में केन्द्रीय विधान मंडल में प्रवेश किया।

1.2 स्वराज पार्टी से पृथक्करण एवं राष्ट्रवादी पार्टी का गठन

स्वराज पार्टी में लालाजी अधिक समय तक नहीं रह सके। गहरे नीतिगत मतभेदों के कारण उन्होंने 24 अगस्त 1926 को शिमला में स्वराज पार्टी से त्यागपत्र दे दिया।[2] तत्पश्चात् उन्होंने पण्डित मदनमोहन मालवीय के साथ मिलकर 'इण्डिपेंडेण्ट काँग्रेस पार्टी' का गठन किया, जो आगे चलकर 'उत्तरदायी सहयोग' के व्यापक वैचारिक छत्र के अन्तर्गत एम.आर. जयकर, एन.सी. केलकर एवं बी.एस. मुञ्जे के नेतृत्ववाली रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन पार्टी के साथ समन्वयकारी बनी।[3]

केन्द्रीय विधान सभा में प्रवेश के उपरान्त ये 'नेशनलिस्ट पार्टी' के रूप में संगठित हुए। इसका मतलब था कि जहाँ ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ भारतीय जनमानस के अनुकूल हों वहाँ सहयोग किया जाए, और जहाँ दमनकारी या जनविरोधी हों वहाँ पूरी विधायी शक्ति से उनका विरोध किया जाये।

सन् 1926 के आम चुनावों में लाला लाजपत राय पंजाब के जालन्धर निर्वाचन क्षेत्र से केन्द्रीय विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्हें राष्ट्रवादी पार्टी का उप-नेता चुना गया, यह पद अपने-आप में इस तथ्य का प्रमाण है कि भारत की विधायी राजनीति में उनका कद कितना ऊँचा था।

2. लाला लाजपत राय के प्रमुख विधायी हस्तक्षेप

जनवरी 1926 से नवम्बर 1928 तक की मात्र 34 महीनों की अल्पावधि में, लालाजी ने केन्द्रीय विधान सभा में जिस सक्रियता, विविधता एवं विद्वत्ता के साथ अपनी भूमिका निभायी, वह अद्वितीय है। उनके विधायी हस्तक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में केन्द्रित थे : संवैधानिक सुधार एवं साइमन कमीशन का बहिष्कार; वित्त-विधेयक पर भाषण एवं ब्रिटिश आर्थिक नीति की आलोचना; रेल-प्रशासन एवं भारतीय हितों की रक्षा; स्वर्ण-मानक एवं रिज़र्व बैंक विधेयक; आपराधिक विधि संशोधन विधेयक; लोकसुरक्षा-विधेयक (पब्लिक सेफ़्टी बिल) का प्रखर विरोध; उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त में संवैधानिक सुधार तथा राजनीतिक बन्दियों की रिहाई एवं नागरिक स्वतन्त्रताएँ।

2.1 साइमन कमीशन विरोधी ऐतिहासिक प्रस्ताव

नवम्बर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में सात-सदस्यीय 'भारतीय सांविधिक आयोग' (Indian Statutory Commission) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम (मोण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) की कार्य-प्रगति का मूल्यांकन करना तथा भावी संवैधानिक सुधारों की अनुशंसा करना था। किन्तु आयोग की संरचना में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, यह भारत के लिए एक राष्ट्रीय अपमान था।

तीन फरवरी, 1928 को जब आयोग बम्बई पहुँचा, तो देशव्यापी हड़ताल एवं 'साइमन गो बैक' के नारों से उसका विरोध हुआ। परन्तु संसदीय स्तर पर इस विरोध को औपचारिक एवं दस्तावेज़ी स्वरूप देने का कार्य लाला लाजपत राय ने किया। 16 फरवरी, 1928 को उन्होंने केन्द्रीय विधान सभा, दिल्ली में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा, जिसमें स्पष्ट मांग रखी :

> 'यह सभा गवर्नर-जनरल-इन-कौन्सिल को सिफ़ारिश करती है कि वह महामहिम की सरकार को सूचित करें कि आयोग की वर्तमान संरचना तथा उसके सन्दर्भ की

शर्तें इस सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के सर्वथा अयोग्य हैं; अतः यह सदन आयोग से किसी भी चरण पर अथवा किसी भी रूप में कोई सम्बन्ध नहीं रखेगा।'[4]

तीव्र सरकारी दबाव एवं ब्रिटिश अधिकारियों की उपस्थिति के बावजूद, उसी दिन यह प्रस्ताव 62 के विरुद्ध 68 मतों से पारित हो गया। इस प्रस्ताव पर अपने भाषण में लालाजी ने ब्रिटिश संसदीय पाखण्ड को तार-तार कर दिया :

''यह आयोग एक जूरी भी है और न्यायाधीश भी। यह स्वयं में न्यायाधीश और जूरी दोनों की भूमिकाएँ निभाती है। क्या यही न्याय का वह सिद्धान्त है जो इंग्लैण्ड में प्रचलित है? जूरी की यह सारी बात निरा पाखण्ड है।''[5]

अपने भाषण के अन्त में उन्होंने सदन में उपस्थित भारतीय सदस्यों की अन्तरात्मा को इन मार्मिक शब्दों से झकझोर दिया :

''वोट डालते समय वे यह स्मरण रखें कि 1918 में एक ही इन्फ्लूएंजा-महामारी से हमारे छः करोड़ देशवासियों की मृत्यु हो गई थी। वे यह स्मरण रखें कि हमारे दस करोड़ ग़रीब देशवासियों को दिन में दो समय का भोजन भी नहीं मिलता... हम कुत्ते नहीं हैं। हम इन टुकड़ों को नहीं स्वीकार करेंगे। हम अपनी दृढ़ता पर अडिग रहेंगे और सम्मान तथा आत्म-स्वाभिमान के साथ ही मिटेंगे।''[6]

इस प्रस्ताव के पारित होने का परिणाम तात्कालिक एवं दूरगामी—दोनों था। यही विधायी निर्णय देशव्यापी 'साइमन गो बैक' आन्दोलन का संवैधानिक आधार बना। लालाजी ने स्वयं 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में आयोग के आगमन पर अहिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जहाँ पुलिस अधीक्षक जेम्स ए. स्कॉट के आदेश से हुए लाठी-चार्ज़ में वे गम्भीर रूप से घायल हो गए। उसी सायं मोची गेट पर घायल अवस्था में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक नील को लक्ष्य करते हुए अंग्रेज़ी में यह ऐतिहासिक पंक्तियाँ कहीं :

''मैं घोषणा करता हूँ कि आज मुझ पर प्रहार की गई लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत की अन्तिम कीलें सिद्ध होंगी।''[7]

इन्हीं चोटों के परिणामस्वरूप 17 नवम्बर 1928 को राष्ट्राराधक लाला लाजपत राय का निधन हो गया।

2.2 भारत में आर्थिक संकट : सरकार को चेतावनी

अपने निधन से केवल आठ मास पूर्व, 19 मार्च 1928 को, लालाजी ने केन्द्रीय विधान सभा में इण्डियन फायनेंस बिल-1928' पर सामान्य चर्चा के दौरान उल्लेखनीय भाषण दिया। यह भाषण 'भारत में आर्थिक संकट, सरकार को चेतावनी' (Economic Distress in India, A Warning to Government) के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा,

''मैं कहता हूँ, रेलें समृद्ध हो सकती हैं, पर लोग भूख से मर रहे हों तो क्या अर्थ? किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने की सबसे सरल, सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे प्रभावी कसौटी यह है कि वहाँ के लोगों के जीवन को देखा जाए, उन्हें कैसा भोजन मिलता है, वे कैसे वस्त्र पहनते हैं, वे किस स्थिति में रहते हैं एवं उनकी शिक्षा का स्तर क्या

है। ये ही समृद्धि के चार मूलभूत मापदण्ड हैं।''[8]

इस भाषण में लालाजी ने गहरी गरीबी में धँसे हुए भारतीय कृषक एवं श्रमिक वर्ग की आर्थिक दुर्दशा का करुण, किन्तु तथ्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्रिटिश वित्तीय नीति की मूलभूत त्रुटियों, अत्यधिक सैन्य व्यय, रुपये-स्टर्लिंग विनिमय दर का कृत्रिम निर्धारण, भू-राजस्व का असहनीय बोझ तथा ब्रिटिश उद्योगों के पक्ष में भारतीय कर-संरचना के झुकाव की विस्तृत एवं प्रमाणिक आलोचना की।

उनकी पूर्ववर्ती कृति '*England's Debt to India*' (1917) में प्रस्तुत 'ड्रेन थ्योरी' की तार्किक परिणति इस विधायी भाषण में दिखाई पड़ती है। दादाभाई नौरोजी एवं रमेशचन्द्र दत्त द्वारा विकसित 'आर्थिक राष्ट्रवाद' की धारा को इस भाषण में विधायी मंच पर पूर्ण अभिव्यक्ति मिली। भारतीय वित्त नीति पर यह भाषण आज भी अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र के शोधकर्ताओं के लिए उपादेय है।

2.3 स्वर्ण-मानक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक विधेयक पर हस्तक्षेप

सन् 1926-27 में ब्रिटिश सरकार ने रुपये का विनिमय-दर 1 शिलिंग 6 पैंस (1:18) पर स्थिर करने तथा स्वर्ण-विनिमय मानक लागू करने का प्रस्ताव रखा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त प्रतिकूल था। यह नीति भारतीय निर्यात को महँगा और ब्रिटिश आयात को सस्ता बनाकर भारतीय कृषक एवं उद्यमी वर्ग पर दोहरा प्रहार करती थी।

दिनांक 31 अगस्त 1927 को लाला लाजपत राय ने 'स्वर्ण मानक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक विधेयक' पर अपने विधायी भाषण में इस नीति का तकनीकी विरोध किया। उनका कहना था कि नव-प्रस्तावित रिज़र्व बैंक भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करे, न कि अंग्रेज़ों के हितों की रक्षा करनेवाली एक अर्ध-सरकारी संस्था बने। उन्होंने कहा,

> ''हम किसी भी ऐसे उपाय का पक्षकार नहीं बनेंगे जो रिज़र्व बैंक की स्थापना इस प्रकार करे कि उसके संचालक-मण्डल में भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत सुनिश्चित न हो। यदि यह हमें किसी भी योजना से आश्वस्त किया जाए तो हम उसे स्वीकार करेंगे; अन्यथा हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे सरकार हमारे ऊपर से कोई भी विधेयक पारित करा दे।''[9]

स्मरणीय है कि 1894 में लालाजी स्वयं पंजाब नैशनल बैंक एवं लक्ष्मी इन्श्योरेन्स कम्पनी की स्थापना से जुड़े थे, अतः वित्त एवं बैंकिंग पर उनकी व्यावहारिक पकड़ अत्यन्त सुदृढ़ थी।

2.4 लोक-सुरक्षा विधेयक का प्रखर विरोध

ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित "Public Safety (Removal from India) Bill, 1928" का उद्देश्य 'अवाञ्छित' विदेशियों, विशेषतः कम्युनिस्टों को भारत से निष्कासित करने की शक्ति सरकार को देना था। लालाजी की दूरदृष्टि यह समझ चुकी थी कि 'कम्युनिस्ट ख़तरे' का बहाना बनाकर सरकार वास्तव में ऐसे निरंकुश अधिकार प्राप्त करना चाहती है जिनका प्रयोग अन्ततः मुख्यधारा के राष्ट्रवादी नेताओं एवं श्रमिक-संगठनों को कुचलने के लिए किया जाएगा और यह विधेयक मूल रूप से देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबन्धित करने की दिशा में एक ख़तरनाक कदम है। इस विधेयक पर भाषण देते हुए उन्होंने इसका ज़ोरदार विरोध किया,

> ''मैं इसका विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे ईमानदारी से बना उपाय नहीं

> मानता... मैं बिना किसी लाग-लपेट के इस सदन से कहता हूँ कि यह विधेयक वस्तुतः केवल विदेशी कम्युनिस्टों के विरुद्ध नहीं है। यह तो केवल कील का पतला सिरा है। यह वास्तव में स्वयं भारतीयों के विरुद्ध, राष्ट्रवादियों एवं श्रमिक-हितैषियों—दोनों के विरुद्ध, निर्देशित है।''[10]

उनके एवम् अन्य राष्ट्रवादी सदस्यों के संगठित प्रयासों द्वारा यह विधेयक तत्कालीन विधान सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। किन्तु लालाजी के बलिदान के पश्चात् वायसराय लॉर्ड इर्विन ने इसी विधेयक को अध्यादेश के रूप में थोप दिया। इसी दमनकारी 'पब्लिक सेफ़्टी बिल' एवं 'ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल' के विरुद्ध 08 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केन्द्रीय विधान सभा में प्रसिद्ध प्रतीकात्मक बम फेंके थे, जिनका उद्देश्य 'बहरों को सुनाना' था। इस प्रकार लालाजी द्वारा इस विधेयक के विरुद्ध स्थापित विधायी परम्परा की अनुगूँज भारतीय क्रान्ति के सर्वोच्च क्षण में पुनः सुनाई दी।

2.5 पक्षपाती ब्रिटिश रेलवे नीति की तीव्र आलोचना

'रेल प्रशासन एवं भारतीय हित' विषय पर 23 फरवरी 1927 को लालाजी का विधायी भाषण ब्रिटिश रेलवे नीति की मूलभूत आलोचना है। उनका मुख्य तर्क था कि भारतीय रेलवे, जो भारतीय करदाता के धन से निर्मित है, उसे ब्रिटिश व्यावसायिक हितों के अनुकूल संचालित किया जा रहा है। गाड़ियों में भारतीयों और यूरोपीयों के लिए पृथक् कक्षों की व्यवस्था, भारतीय निर्यात को हतोत्साहित करनेवाली माल-भाड़ा दरें एवं रेल-कर्मचारियों में भारतीयों के विरुद्ध वेतन-भेदभाव—ये सब मुद्दे उन्होंने भाषण में उठाए। उन्होंने कहा,

> ''महोदय, भारतीय रेलवे प्रशासन वह सबसे बड़ा सफेद हाथी है जिसे भारतीय करदाता को साल-दर-साल पालना पड़ता है... महोदय, यह एकमात्र ऐसा विभाग है जहाँ, प्लेटफ़ॉर्मों पर, रेलगाड़ी के डिब्बों में, दफ़्तरों में और अन्य कई तरीक़ों से, हर भारतीय महसूस करता है और अपनी हड्डियों की मज्जा तक गहराई से महसूस करता है कि वह एक गुलाम है, एक ऐसी प्रजा है जिसे उन लोगों द्वारा दुर्व्यवहार, अपमान और तिरस्कार का शिकार होना पड़ता है, जिनके पद और हैसियत के सामने वह कुछ भी नहीं है।''[11]

उनके तर्कसम्मत भाषण के बाद रेलवे बज़ट में कटौती प्रस्ताव पारित हो गया, जो ब्रिटिश सरकार के लिए एक अपमानजनक विधायी पराजय थी।

2.6 दमनकारी क़ानूनों की जड़ पर प्रहार

'आपराधिक विधि निरसन एवं संशोधन विधेयक' पर लालाजी का भाषण उनके विधायी विवेक का अप्रतिम उदाहरण है। लालाजी एक प्रशिक्षित विधिवेत्ता थे, लाहौर के गवर्नमेण्ट कॉलेज़ से विधि की शिक्षा प्राप्त कर हिसार एवं लाहौर में तीन दशकों का सक्रिय अधिवक्ता-अनुभव होने के कारण उन्होंने इस विधेयक के प्रत्येक खण्ड का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि दमनकारी क़ानूनों को केवल कागज़ पर निरस्त नहीं करना चाहिए, अपितु उनकी मूल प्रवृत्ति को भी समाप्त कर देना आवश्यक है, अन्यथा नये नाम से पुराने दमन की पुनरावृत्ति होगी।

दिनांक 23 अगस्त 1927 को डॉ. हरि सिंह गौर द्वारा प्रस्तुत 'Criminal Law

(Amendment) Act, 1908' के निरसन-सम्बन्धी विधेयक के समर्थन में उन्होंने एक अमिट सिद्धान्त का प्रतिपादन किया,

> ''मुझे ज्ञात है कि सरकारें प्रायः असाधारण शक्तियाँ अपने हाथ में लेने की बड़ी शौकीन होती हैं, और एक बार लिए जाने के बाद वे उन शक्तियों को कभी नहीं छोड़तीं, जब तक बाध्य न की जायें।''[12]

2.7 उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रान्त में संवैधानिक सुधार

दिनांक 14 मार्च 1928 को केन्द्रीय विधान सभा में सामान्य बज़ट पर बहस के दौरान लालाजी ने उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त में संवैधानिक सुधारों के विस्तार का प्रबल समर्थन किया और एक ऐसा दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया जो उस युग में क्रान्तिकारी था।[13] उन्होंने कहा कि बज़ट की माँग को सीमाप्रान्त की जनता की 'योग्यता' अथवा उनके द्वारा युद्ध में दी गई सेवाओं के आधार पर न रखें, अपितु आत्मशासन के 'स्वयं को शासित करने के स्वाभाविक अधिकार' पर आधारित करें।

उनका तर्क था कि यद्यपि उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त अपनी भू-रणनीतिक स्थिति के कारण विशिष्ट है, तथापि भारत के किसी भी हिस्से में रहनेवाले नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। यह तर्क उस समय अत्यन्त प्रगतिशील था, क्योंकि अंग्रेज़ सीमाप्रान्त को 'अशासित क्षेत्र' के रूप में ही बनाए रखना चाहते थे।

2.8 औपनिवेशिक व्यवस्था के अन्याय का सम्पूर्ण विरोध

लालाजी ने केन्द्रीय विधान सभा का उपयोग औपनिवेशिक न्याय-प्रणाली की ख़ामियों को उजागर करने के लिए अभूतपूर्व रूप से किया। 12 फरवरी 1926 को उन्होंने अमरनाथ दत्त द्वारा प्रस्तुत 'Bengal State Prisoners Regulation (Repeal) Bill' के समर्थन में एक मर्मस्पर्शी भाषण दिया, जिसमें 1818 के Regulation III के विरुद्ध तर्क देते हुए उन्होंने घोषित किया :

> ''इस रेगुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि सरकार असीमित शक्ति के मद से ग्रस्त है। मैं अपने मित्रों से क्षमा माँगते हुए कहना चाहूँगा, यह महान् ब्रिटेन के लिए अक्षम्य कलंक का विषय है कि ऐसा क़ानून भारत की विधि-पुस्तिका में है, और सरकार ने कभी उसके निरसन अथवा स्थगन की इच्छा तक नहीं व्यक्त की।''[14]

एक वर्ष पश्चात्, 03 फरवरी 1927 को, वी.वी. जोगैया के मूल प्रस्ताव एवं पण्डित मोतीलाल नेहरू के संशोधन पर बोलते हुए उन्होंने औपनिवेशिक न्याय-व्यवस्था के मुखौटे को पूरी तरह उखाड़ फेंका :

> ''स्वयं Regulation III of 1818 जैसे क़ानूनों का अस्तित्व, एवं यह तथ्य कि सरकार इन क़ानूनों के अन्तर्गत कार्रवाई करने में स्वयं को न्यायोचित मानती है, यही इस देश में 'क़ानून के नाम पर अराजकता' के अस्तित्व का अकाट्य प्रमाण है... मैं स्वीकार करता हूँ कि हम बँटे हुए हैं, एक ओर सरकार है और दूसरी ओर यह देश। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता, इससे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। हम अपनी आज़ादी चाहते हैं और सरकार जब तक संभव हो सके, हमें उस आज़ादी से वंचित

रखने का प्रयास कर रही है।... हम इसीलिए वर्ष-प्रति-वर्ष यह प्रस्ताव दोहराते हैं, क्योंकि हम इस खोखले दावे के पाखण्ड को उजागर करना चाहते हैं कि इस देश पर एक सभ्य सरकार का शासन है और उसके पीछे जनता की सहमति है।''[15]

3. लाला लाजपत राय की संसदीय शैली की विशेषताएँ

केन्द्रीय विधान सभा में प्रकट हुई लाला लाजपत राय की संसदीय शैली कई विशिष्ट विशेषताओं से मण्डित थी, जो उन्हें अपने युग के अन्य विधायकों से पृथक् करती हैं एवं आज भी प्रेरणास्पद है :

लालाजी तथ्याधारित बात ही करते थे, उनके तर्क का प्रमाण मांगने पर वे तुरंत दस्तावेज़ की कॉपी थमा देते थे, उनके भाषण भावुक उद्गारमात्र न होकर व्यापक आँकड़ों, ब्रिटिश राजकीय प्रतिवेदनों एवं तुलनात्मक अध्ययनों पर आधारित थे। वे सदन की मर्यादा और विधायी प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते थे, चाहे विरोध कितना भी प्रखर हो। अंग्रेज़ी में निपुण वक्ता होते हुए भी उन्होंने हिन्दी, उर्दू और पंजाबी को अपनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया; 'वन्दे मातरम्' उर्दू-दैनिक उनका प्रमुख मुखपत्र था।

लालाजी स्वतंत्र विचारक थे इसलिए दलीय अनुशासन को अपनी अन्तरात्मा से ऊपर नहीं रखते थे, स्वराज पार्टी से पृथक् होकर राष्ट्रवादी पार्टी बनाना यही दर्शाता है। यही कारण है कि विधायी हस्तक्षेप के साथ-साथ भी वे निरन्तर लिखते रहे, 'अनहैप्पी इण्डिया' (1928) उनकी अन्तिम प्रकाशित कृति इसी काल की है।

4. वर्तमान दिल्ली विधान सभा : लालाजी की चिरस्थायी विरासत

दिल्ली में स्थित ब्रिटिशकालीन केन्द्रीय विधान सभा का भवन 'कौन्सिल हाउस' ('पुराना संसद भवन या संविधान-सदन') का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था, अर्थात् लाला लाजपत राय उन प्रथम सांसदों में थे जिन्होंने इस नवनिर्मित भवन में विधायी प्रक्रिया में भागीदारी की थी। दिल्ली की भूमि लालाजी की वाग्मिता, तर्क-शक्ति एवं संवैधानिक विवेक की साक्षी रही है।

सन् 1928 में लाहौर में हुए उनके बलिदान के पश्चात् दिल्ली ने उन्हें अनेक रूपों में स्मरण रखा है, 'लाजपतनगर' क्षेत्र का नामकरण, चाँदनी चौक का 'लाजपत राय मार्केट', अनेक शिक्षण संस्थान एवं स्मारक, दिल्ली उन्हें निरन्तर श्रद्धाञ्जलि अर्पित करती है। परन्तु उनकी सबसे जीवन्त विरासत वह केन्द्रीय विधान सभा की संसदीय परम्परा है जिसमें उन्होंने अपने मात्र 34 महीनों के कार्यकाल में यह सिद्ध किया कि विधायी मंच का उपयोग केवल क़ानून-निर्माण के लिए नहीं, बल्कि जन-जागरण, राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं लोकतान्त्रिक चेतना के विस्तार के लिए भी किया जा सकता है।

लालाजी मानते थे कि विदेशी सरकार के साथ संवैधानिक सहयोग तभी तक उचित है, जब तक वह राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं जनकल्याण के अनुकूल हो। आर्थिक मुद्दों पर उनका तर्क-कौशल आज भी आर्थिक राष्ट्रवाद के विमर्श में सन्दर्भ-योग्य है। उनका साइमन कमीशन विरोधी प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में विधायी-संवैधानिक एवं जनान्दोलनात्मक धाराओं के समन्वय का अप्रतिम उदाहरण है। वे जिस लोकतन्त्र की बात सदन में करते थे, उसी के लिए अपना जीवन भी बलिदान कर दिया।

आज जब भारत का लोकतन्त्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है और जब संसदीय परम्पराओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है, तब लालाजी की विधायी विरासत एक पथ-प्रदर्शक दीप-स्तम्भ की भाँति खड़ी है।

सन्दर्भ एवं टिप्पणियाँ :

1. विजय चन्द्र जोशी (सम्पा.), लाला लाजपत राय : राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, खण्ड 2 (1920-1928), अध्याय 2, पृ. 12।
2. लाला लाजपत राय ने 24 अगस्त 1926 को शिमला से स्वराज पार्टी के नेता पण्डित मोतीलाल नेहरू को पत्र लिखकर पार्टी से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया। इसके प्रमुख कारण थे–1. हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर नीतिगत असहमति, 2. मार्च 1926 में पार्टी द्वारा बजट-मतदान से पूर्व किए गए 'वॉक-आउट' पर मतभेद तथा 3. पार्टी की निरन्तर अवरोध की नीति के स्थान पर सदन में रहकर ठोस विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता। द्रष्टव्य : विजय चन्द्र जोशी (सम्पा.), उपर्युक्त, अध्याय 27 'Differences with the Swaraj Party', पृ. 316-322।
3. 'उत्तरदायी सहयोग' की नीति के मूल प्रतिपादक जोसेफ़ बैप्टिस्टा थे; बालगंगाधर तिलक ने इसे 1919 के आसपास प्रमुखता से अपनाया था।
4. *Legislative Assembly Debates*, 16 February 1928, p.391.
5. Ibid, 16 February 1928, p.385.
6. Ibid, 16 February 1928, p.390.
7. Hansard, *House of Commons Debates*, 26 November 1928 ("Late Lala Lajpat Rai" Questions & Answers).
8. *Legislative Assembly Debates*, 19 March 1928, p.1734.
9. Ibid, 31 August 1927, p.3763.
10. Ibid, 12 September 1928, p.638.
11. Ibid, 23 February 1927, p.1235.
12. Ibid, 23 August 1927, p.3250.
13. Ibid, 14 March 1928, p.1453.
14. Ibid, 12 February 1926, p.1128.
15. Ibid, 03 February 1927, p.471.

आधार-ग्रन्थ-सूची :

Legislative Assembly Debates (Official Report), Government of India Press, 1926-1928.

Vijaya Chandra Joshi (ed.), *Lala Lajpat Rai : Writings and Speeches*, Vol. II (1920-1928). 1st ed. Delhi/Jalandhar: University Publishers, 1966.

B.R. Nanda (ed.), *The Collected Works of Lala Lajpat Rai*, 15 Volumes, Manohar Publications, New Delhi, 2004-2010.

Lala Lajpat Rai, *England's Debt to India : A Historical Narrative of Britain's Fiscal Policy in India*, B.W. Huebsch, New York, 1917.

Lala Lajpat Rai, *Young India : An Interpretation and a History of the Nationalist Movement from Within*, B.W. Huebsch, New York, 1916.

Lala Lajpat Rai, *Unhappy India,* Banna Publishing Co., Calcutta, 1928.

Lala Lajpat Rai, *The Political Future of India*, B.W. Huebsch, New York, 1919.

Lala Lajpat Rai, *The Story of My Deportation*, The Panjabee Press, Lahore, 1908.

Feroz Chand, *Lajpat Rai : Life and Work*, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, New Delhi.

J.S. Dhanki, *Lala Lajpat Rai and Indian Nationalism*, ABS Publishers, Jalandhar, 1978.

House of Commons Debates, 26 November1928, "Late Lala Lajpat Rai" Questions and Answers; Hansard.

दिल्ली विधान सभा : सदस्य-परिचय

इस स्तम्भ के अन्तर्गत दिल्ली विधान सभा के 70 माननीय सदस्यों (विधायकों) का संक्षिप्त परिचय, उनके विधान सभा क्षेत्र-क्रमांक के अनुसार, क्रमशः प्रकाशित किया जायेगा।

–सम्पादक

विधान सभा क्षेत्र-क्रमांक 1 : नरेला

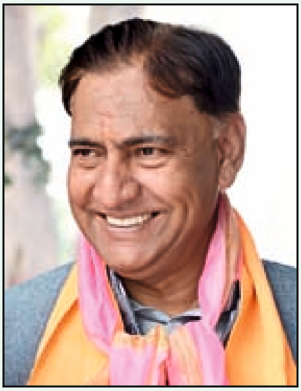

माननीय राजकरण खत्री (जन्म : 01 मार्च 1965) भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली विधान सभा के नरेला निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। दिल्ली के नरेला के पाना पापोसियान गांव के निवासी राजकरण खत्री स्व. श्री मीर सिंह के पुत्र हैं। वे जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उनकी स्कूली शिक्षा 1985 में नरेला के एम.एस. गवर्नमेंट ब्वायज सीनियर सेकेण्डरी स्कूल से 12वीं पास की है। व्यवसाय से वे किराए की आय पर निर्भर हैं। उनकी पत्नी गृहिणी हैं। राजकरण लंबे समय से नरेला क्षेत्र की स्थानीय राजनीति से जुड़े रहे हैं। उन्होंने एम.सी.डी. काउंसिलर के रूप में सेवा की और नरेला ज़ोन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 2025 के दिल्ली विधान सभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर नरेला से चुनाव लड़ा और 'आप' के शरद कुमार को हराकर पहली बार विधायक चुने गए।

विधानसभा क्षेत्र-क्रमांक 2 : बुराड़ी

माननीय संजीव झा (जन्म : 01 मई 1979) आम आदमी पार्टी के नेता तथा दिल्ली के बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र से विधायक हैं। वे दिल्ली की राजनीति में सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। बिहार के मधुबनी ज़िले के सुंदरपुर भिट्ठी गाँव में जन्मे संजीव झा स्व. सुशील झा और श्रीमती गायत्री देवी के पुत्र हैं। उन्होंने मधुबनी से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की तथा आर.के. कॉलेज, मधुबनी से बी.ए. (ऑनर्स) की पढ़ाई की। छात्र-जीवन से ही वे सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। वर्ष 2010 में वे श्री अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन से जुड़े। आम आदमी पार्टी के गठन के बाद वर्ष 2013 में वे पहली बार बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद 2015, 2020 और 2025 में लगातार विजयी हुए। वर्ष 2015 में उन्होंने बड़े मतों के अंतर से जीत दर्ज़

की। संजय झा दिल्ली सरकार में संसदीय सचिव (परिवहन) के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे दिल्ली विधान सभा की विभिन्न समितियों तथा संगठनात्मक ज़िम्मेदारियों से भी जुड़े रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तथा विभिन्न राज्यों के प्रभारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

विधान सभा क्षेत्र-क्रमांक 3 : तिमारपुर

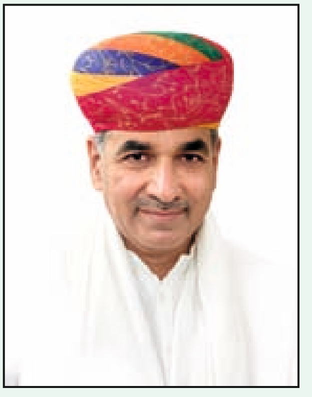

माननीय सूर्यप्रकाश खत्री (जन्म : 14 दिसम्बर 1962) भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा वर्ष 2025 से दिल्ली विधान सभा के तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनका जन्म 14 दिसम्बर 1962 को हुआ। वे लम्बे समय से दिल्ली की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। उनका निवास बी.डी. एस्टेट, तिमारपुर, दिल्ली में है। वर्ष 2025 के दिल्ली विधान सभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी के सुरिन्दर पाल सिंह को बड़े अन्तर से पराजित किया।

विधान सभा क्षेत्र-क्रमांक 4 : आदर्शनगर

माननीय राजकुमार भाटिया (जन्म : 01 जुलाई, 1965) भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा दिल्ली विधान सभा के आदर्शनगर विधान सभा क्षेत्र से विधायक हैं। वे वर्ष 2025 के दिल्ली विधान सभा चुनाव में आदर्शनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश कुमार गोयल को 11,482 मतों के अंतर से पराजित किया। श्री भाटिया भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाइयों और संगठनात्मक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।

दिल्ली विधान सभा की अनुपम भेंट

सन् 1918 के ऐतिहासिक युद्ध-सम्मेलन की दुर्लभ कार्यवाही

प्रथम विश्वयुद्ध में भारत की भूमिका और उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए अप्रैल 1918 में दिल्ली में आयोजित 'युद्ध-सम्मेलन' (वॉर कॉन्फ्रेंस) की कार्यवाही (प्रोसीडिंग्स) को दिल्ली विधान सभा द्वारा पुनर्प्रकाशित किया गया है। यह ऐतिहासिक संकलन दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया, जिसका लोकार्पण गत 30 अप्रैल 2026 को दिल्ली विधान सभा में किया गया। माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी द्वारा लिखित विस्तृत भूमिका से यह नया संस्करण और भी प्रभावोत्पादक बन गया है।

संविधान-निर्माण के अमृत-महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रकाशित, 136 पृष्ठों का यह दस्तावेज़ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और औपनिवेशिक राजनीति के अध्ययन के लिए एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है।

यह युद्ध-सम्मेलन दिनांक 27, 28 और 29 अप्रैल 1918 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता में 'इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट' के 'कौन्सिल चैम्बर' में आयोजित हुआ, जहाँ सम्प्रति दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही संचालित होती है। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में देशभर के 125 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें देशी रियासतों के शासक, राष्ट्रवादी नेता और प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तित्व शामिल थे। सम्मेलन की एक प्रमुख विशेषता महात्मा गांधी की उपस्थिति थी। इस दस्तावेज में मदनमोहन मालवीय, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी सहित कई राष्ट्रवादी नेताओं के ऐतिहासिक भाषण संकलित हैं। यह पुनर्प्रकाशन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उपेक्षित अध्यायों को सामने लाने का महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

दिल्ली विधान सभा की अनुपम प्रस्तुति

सन् 1924 से 1930 तक केन्द्रीय विधान सभा की कार्यवाही
शोधकर्ताओं के लिए एक अमूल्य धरोहर

भारत के संसदीय इतिहास से जुड़े दुर्लभ ऐतिहासिक ग्रन्थों के पुनर्प्रकाशन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली विधान सभा सचिवालय ने सन् 1924 से 1930 तक की सेण्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली (केन्द्रीय विधान सभा) की प्रोसीडिंग्स (कार्यवाही) का सुव्यवस्थित संकलन एवं प्रकाशन किया है।

दिल्ली विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 'ब्यूरो ऑफ़ लेजिस्लेटिव स्टडीज़' में कार्यरत शोधकर्ताओं के एक समूह ने विधान सभा अध्यक्ष माननीय श्री विजेन्द्र गुप्ता के मार्गदर्शन में इस कार्य को पूर्ण किया है। रॉयल आकार के ८९ खण्डों में प्रकाशित इस ग्रन्थमाला में दिनांक 30 जनवरी 1924 से 18 जुलाई 1930 तक की केन्द्रीय विधान सभा की सभी 407 बैठकों की प्रोसीडिंग्स, कालक्रमानुसार संकलित है। 32,376 पृष्ठों में तथा हार्डकवर बाईंडिंग में प्रकाशित यह ग्रन्थमाला इतिहासकारों, पत्रकारों और संसदीय इतिहास के प्रति जिज्ञासा रखनेवाले विद्यार्थियों के लिए एक अमूल्य प्राथमिक स्रोत है जो स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सदन के भीतर लड़ी गई वैचारिक एवं लोकतांत्रिक लड़ाइयों से पूर्णतः परिचित कराता है।

इस ऐतिहासिक प्रलेख में उस दौर की अत्यंत महत्वपूर्ण बहसें, ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों का मुखर विरोध और राष्ट्रवादी जननायकों के वे ओजस्वी व्याख्यान मूल रूप में सुरक्षित हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की नींव को सुदृढ़ किया था। यह वही कालखण्ड था जब स्वराज पार्टी की स्थापना के पश्चात् भारतीय नेताओं ने असेम्बली के भीतर प्रवेश कर विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ को पूरी प्रखरता से बुलंद किया था, जिसका यथावत् विवरण इन कार्यवाहियों में दर्ज़ है।

इस संकलन के माध्यम से केन्द्रीय विधान सभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष वीर विट्ठलभाई पटेल का अविस्मरणीय और अनुकरणीय योगदान प्रामाणिक रूप से सामने आता है, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के तमाम दबावों के सम्मुख भी अध्यक्ष पद की गरिमा, निष्पक्षता और स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखा तथा देश में सुदृढ़ संसदीय मर्यादाओं की नींव रखी। इसके साथ ही इस संग्रह में महामना मदनमोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, श्री बिपिनचन्द्र पाल, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, डॉ. बालकृष्ण शिवराम मुञ्जे, श्री हरविलास शारदा, श्री माधव श्रीहरि अणे, श्री एम.आर. जयकर, सेठ कस्तूरभाई लालभाई, दीवान चमनलाल, श्री हृदयनाथ कुञ्जरू, सेठ घनश्यामदास बिरला, श्री नारायण मल्हार जोशी–जैसे अनेक महान् स्वतंत्रता सेनानियों के प्रभावशाली संसदीय भाषण सुरक्षित हैं। वास्तव में यह संकलन मात्र शासकीय अभिलेख नहीं बल्कि भारत की लोकतांत्रिक चेतना और स्वाधीनता संघर्ष की एक जीवंत गाथा है जो हमारी भावी पीढ़ियों का सदैव पथ-प्रदर्शन करती रहेगी।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को कॉफ़ी-टेबल बुक 'शताब्दी-यात्रा' भेंट करते हुए दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता (नयी दिल्ली, 12.12.2025)

वर्ष 1, अंक 1 (प्रवेशांक) फरवरी-अप्रैल, 2026 ई. माघ-वैशाख 2083 विक्रमी

विधान-चेतना : उद्देश्य

- संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी कार्य, संवैधानिक मुद्दों एवं शासन-प्रशासन से संबंधित मौलिक शोध, विश्लेषण एवं लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रकाशित करना।
- दिल्ली विधान सभा तथा उसके सचिवालय की विभिन्न गतिविधियों, कार्यवाहियों एवं उपलब्धियों की अद्यतन, विश्वसनीय एवं नियमित जानकारी जनता, विधायकों, शोधकर्ताओं एवम् इच्छुक पाठकों तक पहुँचाना।
- संसदीय लोकतंत्र की मूल अवधारणा, मूल्य, प्रक्रियाओं एवम् उसके विविध आयामों से समाज को परिचित एवं संवेदनशील बनाना।
- लोकतंत्र के विभिन्न स्तम्भों– कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस एवं नागरिकों के बीच सार्थक संवाद, समन्वय एवम् आपसी समझ को बढ़ावा देने हेतु एक सशक्त, निष्पक्ष एवं विचारोत्तेजक मंच प्रदान करना।
- संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए जन-जागरण एवं जागरुकता उत्पन्न करना।
- देश के संसदीय इतिहास से जुड़े दुर्लभ, रोचक एवं प्रेरणादायी तथ्यों, घटनाओं एवं व्यक्तित्वों को प्रकाश में लाकर युवा पीढ़ी एवम् आम पाठकों में संसदीय परम्परा के प्रति गौरव एवं प्रेरणा का संचार करना।

Scan this QR code to watch the historical documentary on India's parliamentary history, produced by the Delhi Legislative Assembly.

भारत के संसदीय इतिहास पर दिल्ली विधान सभा द्वारा निर्मित ऐतिहासिक वृत्तचित्र को देखने के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें। पार्श्वस्वर : श्री अनुपम खेर।

स्वत्त्वाधिकारी **दिल्ली विधान सभा के विधायी अध्ययन ब्यूरो** के लिए प्रकाशक **गोल्डी शर्मा** द्वारा **दिल्ली विधान सभा सचिवालय**, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 से प्रकाशित एवं **जे.के. प्रिण्ट एण्ड पैक, 42ए/28, कार मार्केट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095** से मुद्रित। सम्पादक : गुंजन अग्रवाल।